पंचम माला, खंड 25, अंक 29, शुक्रवार, 30 मार्च, 1973/9 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV, No. 29, Friday, March 30, 1973/Chaitra 9, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29, शुक्रवार, 30 मार्च 1973/9चैत्र, 1895 (शक)

No. 29, *Friday, March* 30, 1973/*Chaitra* 9, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
541	घरेलू मांग को पूरा किये बिना ही वस्तुओं का निर्यात	Export of Commodities without meeting Domestic Demand	1–4
542	एशियाई देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये किये जा रहे प्रयास	fforts being made to attract Tourists from Asian Countries . . .	4–6
545	ब्रिटिश सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Collaboration with Britain .	6–7
546	झूठे दांवे प्रस्तुत करने के लिए बाटा शू कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Bata Shoe Company for Submitting False claims	8–9
547	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विदेशों में घड़ियों की बिक्री	Sale of Watches abroad by H.M.T.	9–11
554	चाय के पौधों का पुनः रोपण	Replantation of Tea Bushes	11–13

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
543	पूंजीपति देशों से सहायता लेना बंद करना	Stoppage of Aid from Capitalist Countries	13–14
544	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की विमान दुर्घटनाओं या उनके कार्यकारण की जांच के लिए नियुक्त समितियां या आयोग	Committees or Commissions Appointed to Inquire into the Accidents or Working of Indian Airlines and Air-India during 1971-72 and 1972-73 .	14
548	गुजरात में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Gujarat	14
549	भारत के निर्यात व्यापार का भविष्य	India's Export Future . .	15
550	सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के संसाधन	Resources of Public Sector Financial Institutions . . .	15

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य न वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—7 LSS/73

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
551	बंगलादेश के साथ रुपयों में होने वाला व्यापार	Rupee-Trade with Bangladesh	15
552	भारत को जापान से मिले ऋण पर येन के मूल्य में हुए परिवर्तनों का प्रभाव	Impact of Changes in value of Yen on India's Debts from Japan	16
553	चाय के निर्यात की सम्भावनाएं	Prospects for Tea Exports .	16
555	वाणिज्यिक बैंकों के निरन्तर विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए "रोलिंग योजना"	Rolling Plan to ensure continuity in Expansion of Commercial Banks	17
556	अयोध्या को पर्यटक केन्द्र के रुप में विकसित करना	Development of Ayodhya as a Tourist Centre . . .	17
557	मार्च 1973 में पूर्वी जर्मनी में हुए लिपजिंग मेले में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in Leipzig Fair held in East Germany during March, 1973 . .	17–18
558	कृत्रिम रेशों के निर्यातकों को नकद सहायता	Cash Assistance to Exporters of Manmade Fibre . . .	18
559	अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों को बिजली के सामान का निर्यात	Export of Electrical Goods to Africa and Middle East Countries	18
560	चांदनी चौक, दिल्ली की एक दुकान से तस्करी की घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Watches from a shop in Chandni Chowk, Delhi.	18
अता० प्र० सं० U.S.Q. No.			
5300	केरल राज्य की वर्ष 1972-73 में वित्तीय स्थिति की वार्षिक समीक्षा	Annual Review of the Financial Position of Kerala State during 1972-73	19
5302	नई दिल्ली में आयोजित एशियाई व्यापार मेले में 'हाल आफ नेंशस' और 'हाल आफ इंडस्ट्रीज' का निर्माण	Construction of 'Hall of Nations' and 'Hall of Industries' at the Asian Trade Fair held in New Delhi . . .	19–20
5303	बोनस का भुगतान . .	Payment of Bonus . . .	20
5304	हुसैनीवाला सीमा पर मुद्रा विनिमय करने वालों के लाइसेंसों को वाघा सीमा के लिए बदलने के बारे में आवेदन-पत्र	Application for Transfer of Licences of Money Changers at Hussainiwala Border . .	20–21
5305	स्वर्णकारों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों के निपटान के बारे में बनाए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines laid down re: Disposing of Representations made by Goldsmiths . .	21
5306	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने से सम्बन्धित नियम	Rules Regarding Grant of Loans to Farmers by Nationalised Banks	21–22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5307	चीनी, काफी, मासाले, लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी	Decline in the Export of Sugar, Coffee, Spices, Iron Ore and Manganese . . .	22
5308	युगोस्लाविया के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint ventures with Yugoslavia .	22
5309	कीनिया को तकनीकी जानकारी सम्बन्धी सहायता	Assistance of Technical Know-how to Kenya . . .	23
5310	बिजली की कमी के कारण सूती धागे के उत्पादन में कमी	Decline in the Production of Cotton Yarn due to power shortage	23
5311	पश्चिम जर्मनी को निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य	Value of Goods Exported to West Germany	23–24
5312	स्वर्ण नियंत्रण आदेश	Gold Control Order	24
5313	क्रासवर्ड (शब्द पहेली) पुरस्कारों को कर से मुक्त किया जाना	Grant of Exemption from Tax on Crossword Prizes . .	24
5314	पुरानी दिल्ली में सोने के बिस्कुटों और जेवरात का पकड़ा जाना	Seizure of Gold Biscuits and Jewellery in Old Delhi .	25
5315	आय कर निर्धारण में छूट	Rebates for Income-Tax Assessment	25
5316	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विकास कार्यों में प्रगति	Progress in Development at Trivandrum Airport . . .	25–26
5317	केरल में उपलब्ध निर्यात योग्य सेलखड़ी	Existance of Export Quality Silica in Kerala	26
5318	इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात	Export of Electronic Goods	26
5319	कलकत्ता इंश्योरैंस लिमिटेड में नियुक्त फील्ड आफिसरों का वेतन	Salary of Field Officers employed in Calcutta Insurance Limited	26
5320	काहिरा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारत का भाग लेना	India's Participation in the International Fair to be held in Cairo	27
5321	'द मेट्रो मिस्ट्री'	'The Metro Mystery' .	27
5322	चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tea Plantations	27–28
5323	विमानों के लिए 'फिजियोग्राफर' का निर्माण	Manufacture of 'Physiographer' for Aeroplanes . . .	28
5324	लद्दाख में सरकारी उद्योग	Public Sector Industries in Ladakh	28
5325	गुटकों (पैलट्स) के रूप में लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore in pelletised form	28
5326	मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के बारे में समाचार	News regarding Manganese Ore Export	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5327	दिल्ली हवाई अड्डे में कूटनीतिक कर्मचारियों और सीमा शुल्क गोदाम के अधिकारियों के बीच साठगांठ	Complicity between Diplomatic Personnel and Officials of Customs Godown at Delhi Airport	29
5328	विदेशी सहायता में कमी	Shortfall in Foreign Aid . .	29
5329	उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए दिल्ली बैंक संघ द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by Consortium of Delhi Banks for Power Projects in U.P. . .	30
5330	लौह-अयस्क की सप्लाई के बारे में भारत-चेकोस्लोवाकिया करार	Indo-Czechoslovakia Agreement for Supply of Iron Ore .	30
5331	मछलियों का निर्यात	Fish Export	30–31
5332	मछलियों के निर्यात में सुधार लाने के लिए सर्वेक्षण	Survey for Improvement in Export of Fish . . .	31
5333	काफी, चाय और रबर के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research on Coffee, Tea and Rubber	31
5334	सूखे के कारण मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh due to Drought .	31–32
5335	बल्गारिया से यूरिया का आयात	Import of Urea from Bulgaria .	32
5336	पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग की स्थापना	Setting up of a Jute Industry in West Bengal . . .	32
5338	हिमाचल प्रदेश में छोटे उद्योग मालिकों से ऋण की वसूली	Recovery of Loans from Owners of Small Industries in H.P. .	32
5339	रूस से रुई का आयात	Import of Cotton from U.S.S.R.	32–33
5340	पूर्वी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए पर्यटकों पर लगी रोक हटाने सम्बन्धी निर्णय	Decision on lifting Ban on Tourists Visiting some Areas in Eastern Region	33
5341	बिहार में एक जूट कारखाने की स्थापना	Setting up of a Jute Factory in Bihar	33
5342	फिल्म कम्पनियों तथा निर्माताओं को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Grant of Foreign Exchange to Film Companies and Producers	33
5343	औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम का कार्यकरण	Working of Industrial Finance Corporation and Industrial Credit and Investment Corporation of India . .	34
5344	जम्मू-कश्मीर में हथकरघा श्रमिकों के लिए कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material for Handloom Workers in J & K	34
5345	भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा चेकोस्लोवाकिया के मैटलीमेक्स फोरन ट्रेड कार्पोरेशन के साथ लोहे के निर्यात के लिए किया गया करार	Contract concluded by M.M.T.C. with Metalimex Foreign Trade Corporation of Czechoslovakia for export of Iron . .	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5347	लोह अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त करने के लिए अनुरोध	Abolition of Export Duty on Iron Ore	35
5348	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के महासंघ द्वारा मांग दिवस मनाया जाना	Observation of Demand Day by Confederation of Central Government Employees and Workers	35–36
5349	अफगानिस्तान में संयुक्त औद्योगिक समूह स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Joint Industrial Complex in Afghanistan .	36
5350	सोवियत संघ और पूर्व योरोपीय देशों को वस्तुओं के निर्यात से हुई हानि	Loss incurred by Export of Goods to USSR and East European Countries	36–37
5351	वर्ष 1972-73 में भारत में इंडियन एयरलाइन्स,एयर इण्डिया और विदेशी विमान कम्पनियो के विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या	Number of Air Crashes of Planes of Indian Airlines, Air India and Foreign Airlines in India during 1972-73 . . .	37
5352	चिथड़ों का पकड़ा जाना	Seizure of Rags . . .	37
5353	देश में विमान-टैक्सी सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to start Air-Taxi Service in the Country . . .	37–38
5354	गत तीन वर्षों में खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यवाही	Steps for Development of Khadi Gramodyog during the last three years	38
5355	पांचवी योजना के दौरान पर्यटन-केन्द्रों के रुप में विकसित किये जाने वाले स्थान	Names of places to be developed as Tourist Centres during Fifth Plan	38
5356	गुजरात में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए 1973-74 में नियत राशि	Amount ear-marked for Development of Tourist Centres in Gujarat during 1973-74 .	38
5357	नये कराधान प्रस्तावों के परिणामस्वरूप शेयर बाजार में तेजी	Flare-up in Stock Markets as a Result of new Taxation Proposals	39
5358	समुद्रीय उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products .	39
5359	करेंसी के मूल्य में अनिश्चितता के कारण निर्यात में कमी	Decline in Exports due to uncertainty in Currency Value .	39–40
5360	दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यात में कमी	Decline in Exports to Hard-curency Areas . .	40–41
5362	उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices following increase in Excise Duty . . .	41
5363	केन्दु पत्ते सम्बन्धी सौदा	Kendu Leaf Deal . .	41
5364	फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा निगमित कराधान में कमी करने के सुझाव	Suggestion from Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries for Reduction in Corporate Taxes . .	41–42
5365	आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax .	42
5366	रुपये के मूल्य में कमी	Fall in Value of Rupee . .	42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5367	पटसन उद्योग को अनुसंधान के लिये सहायता	Assistance to Jute Industry for Research	43
5368	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण	Loan by Nationalised Banks to Weaker Sections in Rural Areas	43-44
5369	जयपुर के लिए लीड बैंक के रुप में युनाइटेड कमर्शियल बैंक का चुना जांना	Selection of United Commercial Bank as lead Bank for Jaipur .	44
5370	दिल्ली हवाई अड्डे पर एक आधुनिक बोइंग कम्पलैक्स को चालू करना	Commissioning of a Modern Boeing Complex at Delhi Airport	44-45
5371	निर्यात गृहों के बारे में समिति का गठन	Setting up of Committee on Export Houses . . .	45
5372	वर्ष 1972-73 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का संभावित लाभ	Profit expected by International Airports Authority of India during 1972-73	46
5373	चौथी योजना के निर्यात लक्ष्यों का प्राप्त न होना	Fall in India's Export Target during the Fourth Plan . .	46
5375	भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Yogoslavia . . .	46-47
5376	व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में मंगोलिया के प्रधान मंत्री के साथ वार्ता	Talks with the Mongolian Prime Minister regarding Trade Relations	47
5377	आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारतीय प्रयासों में विदेशी सहायता का योगदान	Role of Foreign Aid in India's efforts for achieving Self-Reliance	47-48
5378	इंजीनियरिंग सामान का निर्यात	Export of Engineering goods .	48-49
5379	चाय बोर्ड के कर्मचारियों को दिया गया मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance paid to to the Employees of Tea Board	49
5380	निश्चित राशि से अधिक निकाली गई राशि का निबटारा करने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh to reduce Overdrafts	49
5381	अजन्ता और एलोरा (महाराष्ट्र) में बहुत अधिक प्रकाश (फ्लड लाईट) की व्यवस्था करने के उपाय	Steps for providing Floodlights at Ajanta and Ellora (Maharashtra)	49-50
5382	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में तकनीकी परामर्शदात्री सेवा का आरम्भ किया जाना	Starting of Technical Advisory Service in Madhya Pradesh by Industrial Development Bank of India	50
5383	स्वेच्छा से आय-विवरण देने वालों के बारे में बनाई गई योजना के अन्तर्गत एकत्र किया गया आय-कर	Collection of Income-Tax under Voluntary Disclosure Scheme	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5384	पर्यटन केन्द्र के रूप में अजन्ता और एलोरा (महाराष्ट्र) की लोकप्रियता कम होना	Popularity of Ajanta and Ellora (Maharashtra) as Tourist Centres on the Decline . .	51
5385	नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा उन भारतीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में से भारत के कर का न काटा जाना जिन्हें ब्रिटन जाने की अनुमति दे दी जाती है	Non-deduction of Indian Tax from salaries and allowances of Indian staff permitted to go to UK by National and Grindlays Bank	51
5386	फोटोग्राफिक वस्तुओं के आयात का मूल्य।	Value of Imports of Photographic Goods.	52
5387	कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा कम मूल्य पर टिकट बेचना	Sale of Tickets at Cut-under Prices by some International Airlines	52–53
5388	नागर विमानन विभाग के अगरतल्ला स्थित कर्मचारियों द्वारा 29 दिसम्बर, 1972 को भूख हड़ताल	Hunger Strike by Employees of Civil Aviation Department in Agartala on 29-12-72 .	53–54
5389	डाबोलिम रुकते हुए बम्बई से कोचीन तक उड़ान को फिर से चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to re-introduce Bombay-Cochin Flight with a stop at Dabolim	54
5390	मोटे कपड़े का वितरण	Distribution of Coarse Cloth .	54
5391	राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आय-बचत और उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन	Study Carried out by N.C.A.E.R. Income, Saving and Consumer Expenditure . . .	54–55
5392	पूर्व जर्मनी को निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य	Value of Goods Exported to East Germany . . .	55
5394	समुद्र-तटीय और पर्वतीय विश्राम स्थलों की आयोजना के बारे में दिल्ली में 12 मार्च, 1973 को हुई गोष्ठी	Seminar on Planning of Sea-side and Mountain Resorts held in Delhi on 12th March, 1973	56
5395	गत दो वर्षों के दौरान पुस्तकों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Import of Books during the last two years . . .	56
5396	निर्यात अन्तर्राज्यीय विकास बैंक की स्थापना के बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion mady by Tamil Nadu Government Re : Setting up of Export Inter-State Development Bank .	56–57
5397	वर्ष 1973-74 में विदेशी सहायता	Foreign Aid in 1973-74 . .	57–58
5398	भारत को अमरीकी सहायता देना पुनः आरम्भ करना	Resumption of U. S. Aid to India	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5399	चीनी-खांडसारी और गुड़ पर लगे करों में असमानता	Disparity in Taxes Levied on Sugar, Khandsari and Gur .	58
5400	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजनाओं के लिए रियायती शर्तों पर सीधी वित्तीय सहायता	Direct Financial Assistance by Industrial Development Bank of India on Concessional Terms to Project	58-59
5401	श्रिम्प का निर्यात . .	Export of Shrimps . . .	59
5402	अभ्रक के निर्यात में कमी	Decline in the Export of Mica	60
5403	भारतीय वाद्य यंत्रों का निर्यात	Export of Indian Musical Instruments	60
5404	सरकारी एजेन्सियों द्वारा आयात	Import through State Agencies	60-61
5405	बम्बई के शेरेटन-ओबेराय होटल में दाढ़ी वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबन्दी	Bearded Persons Prohibited to enter Sheraton-Oberoi Hotel in Bombay . . .	61
5406	उड़ीसा को वर्ष 1973-74 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए आबंटित धनराशि	Amount ear-marked for Orissa for Development of Tourism during 1973-74 . . .	61
5407	उड़ीसा में किसानों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	Bank Loan to Agriculturists in Orissa	61-62
5408	गुजरात में सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन दल का दौरा	Central Study Team to Gujarat to Assess Drought conditions	62
5409	भारत और मलयेशिया के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Malaysia . . .	62
5410	उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के कारण जीवन बीमा निगम के कार्य पर प्रभाव	Effect on the Working of L.I.C. as result of Shortage of Electricity in U.P. . . .	62-63
5411	पटना और उड़ीसा स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या	Strength of Staff Working in the Offices of Controller Defence Accounts, Patna and Orissa	63-64
5412	तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report of Third Pay Commission . . .	64
5413	विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल	Delegations sent Abroad . .	64-65
5414	राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले व्यापार वाली वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण और वितरण सम्बन्धी समिति	Report of the Committee on Pricing and distribution of Items handled by S.T.C. . .	65
5415	हिमाचल प्रदेश में सेब विपणन परियोजना पर विश्व बैंक दल का प्रतिवेदन	Report of World Bank Team on Apple Marketing Project in Himachal Pradesh . .	65-66

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5417	भारत और अमरीका के बीच व्यापार सम्बन्ध	Trade relations between India and U.S.A. . . .	66
5418	विश्व मुद्रा संकट पर बातचीत करने के लिए वाशिंगटन में मंत्री-स्तरीय समिति की बैठक में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in the meeting of Ministerial Committee at Washington to discuss World Currency Crisis .	66
5419	डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी पर करों की बकाया राशि	Arrears of taxes against Dalmia Dadri Cement Company .	66–67
5420	जीवन बीमा निगम के एजेन्टों की भर्ती और प्रशिक्षण के बारे में भारतीय जीवन बीमा एजेन्ट संघ द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Life Insurance Agents Federation of India re : Recruitment and Training of L.I.C. Agents .	67
5421	विदेशी मण्डियों में पटसन के सामान का अधिक मूल्य	High Prices of Jute goods in foreign markets . . .	67
5422	साधारणतया विमानों के उड़ने तथा उतरने के प्रयोग में न लाये जा रहे हवाई अड्डों की देख रेख	Aerodromes maintained which are not used for normal aviation purposes	67–69
5423	काजू की गिरी का निर्यात	Export of cashew kernels . .	70
5424	बैंकिंग कानून समिति के कार्य में हुई प्रगति	Progress made in the work of Banking Law Committee .	70
5425	केन्द्रीय सरकार के गैर-विकास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय में वृद्धि	Increase in non-development expenditure of Central Government	70–71
5426	ग्रामीण जनसंख्या के दुर्बल वर्गों को ब्याज की भिन्न भिन्न दरों पर ऋण देने वाले बैंक	Banks lending under differential interest rates schemes to weaker sections of rural population .	71
5427	आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए योजनाएं	Schemes for development of tourism in Andhra Pradesh .	71–72
5428	आसाम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बैंक सुविधाओं का विस्तार	Extension of banking facilities in Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, U.P. and West Bengal . .	72
5429	पांचवीं योजना में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to connect all capitals of States and Union Territories directly with New Delhi by Air during the Fifth Plan .	72–7
5430	बैंककारी सुविधाओं में पिछड़े हुए राज्य	Backward States in regard to Banking facilities . .	73
5431	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए विचाराधीन लाइसेंस	Pending licences for opening of branches of Nationalised banks in Himachal Pradesh . .	74–75

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5432	हिमाचल प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण	Functioning of branches of State Bank of India and Nationalised Banks in Himachal Pradesh .	75
5433	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चिकित्सा अधिकारी रखने का प्रबन्ध	Arrangements of a Medical Officer at International Airports	75–76
5434	एयर इण्डिया की विमान सेवाओं विदेश यात्राओं के लिए संसद् सदस्यों को रियायतें देने का प्रस्ताव	Proposal to give concession to M.Ps. for Foreign tours in Air India Services . .	76–77
5435	कूच बिहार शरणार्थी सेवा के आयकर का निर्धारण	Assessment of Income-tax on Cooch Bihar Refugee Service	77
5436	चीनी उद्योगों को दिये गये ऋण के लिए दो लेखे रखने की व्यवस्था समाप्त करने का राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिया गया निदेश	Direction by Nationalised Banks to abolish system of two Accounts for Credits given to Sugar Industries . . .	77–78
5437	तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में मुण्डियम्पक्कम में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कृषि विकास बैंक खोलना	Opening of Agricultural Development Bank by State Bank of India in Mundiyampakkam in South Arcot District of Tamil Nadu . . .	78
5438	गुजरात में सूरत जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों के व्यक्ति	Persons belonging to Scheduled Castes Working in Nationalised Banks in Surat District, Gujarat	78
5439	आस्ट्रिया से ऋण के लिए करार	Agreement for Loan from Austria	78–79
5440	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import licence .	79–80
5441	स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by State Bank Employees	80
5442	निश्चित स्टेशनों पर न उतरने वाले इण्डियन एयर-लाइन्स के विमान	Flights of Indian Airlines Overflowing Scheduled Touch Down stations	80
5443	अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ का आन्दोलन	Agitation by All India Life Insurance Employees Federation	80–81
5444	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय	Judgment delivered by Constitution Bench of Supreme Court Re : Recommendations of Second Pay Commission .	81
5445	छोटे व्यापारियों और किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Loans from Nationalised Banks to Small Businessmen and Peasants . . .	81
5446	भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment among the Employees of R.B.I.. . .	82
5447	दिल्ली में छोटी रेजगारी की कमी	Scarcity of Small Coins in Delhi	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5448	1973-74 के बजट के बाद अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Essential Commodities after Presentation of Budget for 1973-74	83
5449	वित्त मंत्रालय में काम कर रहे अनुवादक	Translators Working in the Ministry of Finance	83
5450	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में राज्य व्यापार निगम के विदेश गये अधिकारी	Number of Officers of S.T.C. who went abroad during 1971-72 and 1972-73	83
5451	विदेशों में खाते रखने वाले राज्य व्यापार निगम के अधिकारी	Number of Officers of S.T.C. having Accounts in Foreign Countries	83–84
5452	पुनर्वास वित्त प्रशासन दवारा दिये गये ऋणों की राशि तथा इसकी समाप्ति के समय वसूली के लिए बकाया राशि	Amount advanced by Rehabilitation Finance Administration and outstanding or Recovery on its Dissolution	84–85
5453	निर्यातक सूती कपड़ा उद्योग को दी गई राज सहायता	Subsidy given to Exporting Cotton Textile Industry	85–86
5454	पर्यटन विभाग दधारा पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षण देने हेतु दी गई सहायता	Arrangements made to Impart Training to Tourist Guides by Tourism Department	86
5455	पथिनी चाय बागान का सरकारीकरण	Taking over of Pathini Tea Estate	86
5456	कर-निर्धारण के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना	Disposal of Cases pending for Assessment of Taxes of Priority Basis	86–87
5457	आय-कर दाता	Income-Tax Payers	87
5458	बिहार में विकास कार्यों के लिए विश्व बैंक के डिप्टी चैयरमैन से आश्वासन	Assurance from Deputy Chairman of World Bank for Development Works in Bihar	87
5459	विदेशों में भारतीय हाथकरघा कपड़ों की लोकप्रियता	Popularity of Indian Handlooms in Foreign Countries	87–88
5460	बटाईदारों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to Share Croppers and Agricultural Workers	88–89
5461	पांचवीं योजना में केरल में पर्यटन के विकास के लिए योजनाएं	Schemes or Development of Tourism in Kerala during Fifth Plan	89
5462	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण दिया जाना	Agricultural Credit by Nationalised Banks	89
5463	लो कार्बन फैरो-क्रोम का निर्यात	Export of Low Carbon-Ferro-Chrome	90
5464	मार्च-1973 में एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण हुई हानि	Loss suffered due to Strike by Employees of Air India During March, 1973	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5465	केन्द्रीय क्षेत्र में एक महल को पर्यटक स्थल के रूप में शामिल करने के लिए अपनाई गई कसौटी	Criteria adopted for inclusion of a Palace at a Tourist Spot in the Central Sector . .	90
5466	इण्डियन एयर लाइन्स में घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के बारे में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही	Action taken on Complaints received regarding Supply of bad quality of Food in Indian Airlines	91
5467	भारत में निजी क्षेत्र में पांच-स्टार होटल	Five Star Hotels in Private Sector in India	91–92
5468	ब्रिटेन से ऋण के लिए करार	Agreement for Loan from U.K..	92
5469	विदेशी सहायता का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव	Impact of Foreign Aid on Growth of National Income . .	92–93
5470	विद्युत-चालित करघों और हथकरघा बुनकरों को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों दवारा ऋण दिया जाना	Loan given by U.P. Nationalised Banks to Powerloom and Handloom Weavers	93
5471	वित्त मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाने की सिफारिश पर निर्णय न किया जाना	Class I Officers in the Ministry of Finance awaiting decision for Prosecution of C.B.I. . .	93–94
5472	वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में गलत/परस्पर विरोधी बयान देना	False/Contradictory Statements made before High Court of Delhi by Class I Officers of Ministry of Finance . .	94
5473	पीतल और कांसा (बैल मैटल) उदयोग को नियंत्रित मूल्य पर कच्चा माल सप्लाई न किया जाना	Non Supply of Raw Material at Controlled Price to Brass and Bell Metal Industry .. .	94
5474	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हैदराबाद में हुसेन सागर के तट पर एक 5 स्टार होटल स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Five Star Hotel on the foreshore of Husain Sagar at Hyderabad by I.T.D.C. . . .	95
5475	चाय के निर्यात में कमी	Decline in Export of Tea .	95
5476	हैदराबाद में गोलकुंडा किले में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम	Son-Et-Lumiere show in Golconda fort at Hyderabad . .	95–96
5477	एशिया-72 व्यापार मेले के सम्बन्ध में जनमत के निष्कर्ष	Findings of Public Opinion Poll on Asia 1972 Trade Fair .	96–97
5478	भारतीय चलचित्र निगम दवारा वर्ष 1971-72 और वर्ष 1972-73 के दौरान निर्यात की गई फिल्में	Films exported by Bharatiya Chalchitra Nigam during 1971-72 and 1972-73 . . .	97–98
5479	संकटग्रस्त चाय बागान	Sick Tea Gardens .	98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5480	बैंक ऋण में गिरावट	Decline in Bank Credit . .	98–99
5481	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों का चयन	Selection of Directors of Nationalised Banks	99
5482	बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि और इन बैंकों द्वारा कृषकों को दिये गये ऋण	Deposits in and Loans advanced to Agriculturists by Nationalised Banks in Bihar . .	99
5483	स्टेट बैंक आफ इंडिया में सेवा नियम	Service Rules in the S.B.I.	100
5484	'मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन' और उपभोक्ताओं के बीच करार	Agreement with Man-made Fibre Spinners Association and Consumers . . .	100
5485	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालयों में छोटे पदों पर स्थानीय लोगों को भर्ती करने के लिए कार्यवाही	Measures to recruit Local people on Lower Posts in M.M.T.C. Offices	101
5486	एशिया-72 में अस्थायी पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को पुन: रोजगार देने सम्बन्धी निर्णय	Decision regarding Re-employment of Persons working against Temporary Posts in Asia-72	101
5487	वाणिज्य मंत्रालय के अधीन निगम और बोर्ड	Boards and Corporations under the Commerce Ministry .	101–102
5488	भारत में वर्ष 1972 के दौरान आए कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या में हिप्पियों की संख्या	Number of Hippies out of Total Number of Foreign Tourists who visited India during 1972	102
5489	खाल और चमड़े का निर्यात	Export of Hides and skins . .	102
5490	विदेशी संयंत्रों को भारत में लाना	Shifting of Foreign Plants to India	102–103
5491	निजी क्षेत्र में विनियोजन की लाभप्रदता	Profitability of investment in Public Sector . . .	103
5492	भारतीय हस्तशिल्प के लिये विदेशों में शो रुम	Show Rooms for Indian Handicrafts in Foreign Countries .	103–104
5493	बम्बई में असुरक्षित पड़े आयातित चिथड़े	Imported 'Rags' lying unprotected at Bombay . . .	104
5494	काजू की गिरी का निर्यात	Export of Cashew Kernels .	104–105
5495	जीवन बीमा निगम का कारोबार	Business of Life Insurance Corporation	105
5496	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के महाप्रबन्धक और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मिली शिकायतें	Complaints received against General Manager and other Officers of State Bank of Bikaner Jaipur	106
5497	पटना रांची मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर के हवाई अड्डों का विस्तार	Fxpansion of Patna, Ranchi, Muzaffarpur and Jamshedpur Airports	106

अता० प्र० संख्या U. S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5498	देश की आर्थिक स्थिति के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की रिपोर्ट	Report of R.B.I. re: Economic Conditions of Country .	106–107
5499	बकाया ऋणों की वसूली के बारे में पुनर्वास वित्तप्रशासन की उपलब्धियां	Achievements of Rehabilitation Finance Administration in regard to Recovery of Outstanding Loans . . .	107
	दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा आन्दोलन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Agitation by Doctors in Delhi Hospitals . .	107–112
	मंत्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य के बारे में	Re. Alleged wrong Statement by Minister . . .	112–113, 114,115
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	113–114
	राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	115–116
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . . .	116
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	35वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	Thirty-fifth Report and Minutes	116
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
	27वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	Twenty-seventh Report and Minutes	117
	मनीपुर बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें, 1973-74—	Manipur Budget, 1973-74—General Discussion and Demands for Grants (On Account) 1973-74—	
	श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	117–118
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	118–119
	श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Hoakip	119–120
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	120–121
	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	122
	श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	123
	श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder Jeet Malhotra	123
	श्री फूलचन्द्र वर्मा	Shri Phool Chand Verma	123–124
	श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	124–126
	मनीपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973—पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Manipur Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973—Introduced and Passed . .	127
	अनुदानों की मांगे, 1973-74—	Demands for Grants, 1973-74—	
	औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Ministry of Industrial Development and Department of Sience and Technology.	128–132
	श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	131–132

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	132
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
78वां प्रतिवेदन	Seventy-eighth Report. .	133
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—25 वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions Twenty-fifth Report . . .	133
विदेशी तेल कम्पनियों और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution Re. Nationalisation of Foreign Oil Companies and other Vital Industries—Negatived	
श्री डी० के० बरुआ	Shri D. K. Barooah . .	133–135
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Murkerjee . .	135–136
राज्य सभा के उत्सादन के बारे में संकल्प—	Resolution Re. Abolition of Rajya Sabha—	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	137–139
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	139–140
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	140–141
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	141
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	141–142
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	142–143
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque . .	144
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma . .	144
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
28वां प्रतिवेदन	Twenty-eighth Report . .	144
दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा आन्दोलन के बारे में चर्चा—	Discussion Re. Agitation by Doctors in Delhi Hospitals—	
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	144–145
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	145–146
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	146
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	146–147
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	147
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	147–148
श्री के० एस० चावडा	Shri K. S. Chavda . .	148
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar . .	148–149

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 30 मार्च, 1973/9 चैत्र, 1895 (शक)

Friday, March 30, 1973/*Chaitra* 9, 1895 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Commodities without meeting Domestic Demand

*541 **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the commodities which are being exported without meeting the domestic demand therefor;

(b) Whether Government are facing some difficulties in stopping such exports and adopting a policy of domestic utilisation of these goods; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग) हमें घरेलू बाजार की आवश्यकताओं तथा निर्यातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने की आवश्यकता के बीच सन्तुलन बनाए रखना होता है। प्रत्येक वस्तु के अनुकूल नीति अपनायी जाती है और जहां आवश्यक होता है निर्यातों को विनियमित किया जाता है ।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know the names of those essential commodities which are manufactured or grown here and which we export and also the quantity of their export....

Mr. Speaker : This information can be given in a statement not in an oral reply. You should be aware of the rule in this regard. If a question seeks a very long answer which takes quite a lot of time, it cannot be asked orally. Such questions are replied to under the category of unstarred questions.

Shri Dhan Shah Pradhan : The people of our country are weak and poor, and they crave for various commodities. Besides, that the prices are also increasing. Keeping all that in view and also that the export of commodites cause the flow of sub-standard commodities in the market, may I know whether Government would attempt to curb it ?

1—7 L.S S./73

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमन् जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची इतनी लम्बी है कि मैं उन सब के नाम यहां नहीं गिना सकता ।

Mr. Speaker : He says that the better stuff is exported and the sub-standard items are sold here in the country. Please reply to this part of the question.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह कहना शायद ठीक नहीं है । उन्हें समुचित जानकारी प्राप्त नहीं है ।

Shri Dhan Shah Pradhan : Public health in suffering for the sake of earning foreign exchange. You are exporting what is produced and manufactured here. In this contex may I known whether you love Indian people or the foreign exhange ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम गिना सकता हूं जिनका उपयोग यहां पर बड़ा लोकप्रिय है । गत कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष उनकी मात्रा में काफ़ी कमी कर दी गई है । अब यदि उनके प्रश्न का उत्तर दें तो स्पष्ट है कि हमें विदेशी मुद्रा से अधिक अपनी भातीरय जनता से प्यार है ।

Shri Narsingh Narayan Pandey : Would the hon. Minister look into the fact that handloom and powerloom textiles worth Rs. 30 crore have piled up in the market and are not being exported? Would you so arrange that besides earning foreign exchange, we may be able to save our home industry from closures ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संबंधित नहीं है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम अपने हथकरघा उद्योग अथवा शक्तिचालित उद्योग को भूखा मारने के लिये रेशे का निर्यात नहीं कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : भारत से वस्त्रों के निर्यात के फलस्वरूप कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है तथा क्या विदेशी मुद्रा कमाने की और अधिक गुंजाईश है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप मूल प्रश्न को पढ़लें । मैं फिरसे आपकी बात सुनुंगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister in his reply has stated that they have reduced the quantum of export of certain items. I want to know the amount of foreign exchange which we earn as a result of exporting the items which we grow in our land, make with our hand and manufacture in our factories. What are their procurement and export prices.? What is the different between them and also whether the handloom items fetch lesser amount . . .

Mr. Speaker : I request you also to please first read the question thoroughly.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have already read it and that is why I am asking.

Mr. Speaker : It seems that you have not gone through it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Then, Mr. Speaker, You read it out.

Mr. Speaker : He has asked the names of the items which our country needs and are in shortage but despite that those are being exported.

Shri Hukam Chand Kachwai : I too have asked the same. The hon. Minister has stated that reduction is being made in respect of the quantum of the export of the commodities which are already being exported. And I say that the said reduction is negligible.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोकप्रिय तथा आवश्यक उपयोग की वस्तुओं के निर्यात में गत वर्ष की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से कमी की गई है। उदाहरण के लिये, अप्रैल-सितम्बर 1972 में चीनी का निर्यात अप्रैल-सितम्बर, 1971 के 24 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 10 करोड़ रुपये का ही किया गया। दालों के निर्यात में भी काफी कमी की गई है। यह कमी लगभग 5000 टन की है। मूंगफली, खली तथा कच्चा और कम साफ किया हुआ चमड़ा तथा खालों जैसी अन्य अनेक वस्तुओं की मात्रा में भी कमी की गई है। इस से स्पष्ट है कि लोकप्रिय आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में काफ़ी कमी की गई है क्यों कि देश की मंडियों में उनकी स्थिति बड़ी जटिल है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I had asked the difference between the rates of procurement and export, to which the Hon. Minister has not replied. My point is that the people are not getting fair prices.

Mr. Speaker : There is no question of prices here.

Shri Hukam Chand Kachwai : The people here are not getting due price

Mr. Speaker : You give a separate notice and if found necessary, I would accept that.

श्री वसन्त साठे : क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि इस विचार से कि विदेशी मुद्रा के अधिकाधिक अर्जन के लिये यहां तक कि भारत में कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा भी निर्मित श्रृंगार-प्रसाधन आदि ऐश्वर्य की वस्तुओं का यहां अपने देश में ढेर एकत्रित करने की बजाये बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जा रहा है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम बड़े पैमाने पर श्रृंगार-प्रसाधनों का निर्यात नहीं कर रहे हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने देश की मण्डी की मांग को ध्यान में रखेंगे।

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या केन्द्र सरकार किसी भी वस्तु के निर्यात का निर्णय करने से पूर्व स्थानीक घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर विचार करती है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही 'हां' में दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न था जिसका सब से पहले उत्तर दिया गया था। यदि आप इस संबंध में अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप इसे भिन्न स्वरूप में पूछिये, परन्तु यह प्रश्न बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा था।

श्री पी० आर० शिनाय : बंगला देश को वर्ष 1972-73 में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात किया गया तथा वर्ष 1973-74 में भी कितना निर्यात किया जा रहा है ? (**व्यवधान**) देश में खाद्यान्नों की कमी है परन्तु फिर भी हम उनका विदेशों को निर्यात कर रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : क्योंकि बंगला देश के साथ हमारे अत्यन्त विशिष्ट तथा एक नये प्रकार के विशिष्ट संबंध हैं, कुछ खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति में भी हमें कुछ मात्रा में खाद्यान्न—गेंहू तथा चावल दोनों ही बंगला देश को भेजने पड़ते हैं।

श्री के० एस० चावडा : श्रीमन...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न ने बहुत अधिक समय ले लिया है। मैं आप सबकों बुलाने के लिये बाध्य नहीं हूं। हम एक दिन में बहुत से प्रश्न नहीं कर पाते हैं। अब श्री पटेल। आप सब कृपया बैठ जायें।

श्री के० एस० चावड़ा : श्रीमन्, व्यवस्था के प्रश्न पर मंत्री महोदय ने प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने केवल चीनी, खाद्य-तेलों, चमड़े तथा खालों का जिक्र किया है। उन्होंने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बड़ा प्रश्न है। यह बेहतर होता कि वह सभा पटल पर एक विवरण रख देते। यह तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है।

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्री महोदय ने आरंभ से (क) भाग का उत्तर नहीं दिया है। चीनी, खाद्य-तेलों आदि का जिक्र भी केवल अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में आया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सूची लम्बी हो तो उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वह सूची मेरे पास है और मैं उसे सभा-पटल पर रख रहा हूं।

श्री के० एस० चावड़ा : कोई विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने उसे सभा पटल पर रख दिया है।

प्रो० डी० पी०चट्टोपाध्याय : यदि आप चाहे तो मैं इसे अब रख देता हूं। यह मेरे पास हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? जब आप कहते हैं कि यह सभा पटल पर रख दी गई तब वह हमारे कार्यालय में आनी चाहियें ताकि सदस्य उसे देख सकें। प्रत्येक विवरण सदस्यों को भेजा जाता है। यही कारण है कि वे भ्रम में पड़े हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह एक सामान्य प्रकृति का प्रश्न है तथा जब तक अनुपूरक विवरण न हो, तो विस्तार से जानकारी नहीं दी जा सकती थी। अनुपूरक जानकारी है और मैं अब इसे सभा पटल रख रहा हूं।

एशियाई देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये किये जा रहे प्रयास

*542. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(ख) क्या इन देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने की अधिक गुंजाइश है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत सरकार ने पर्यटन के प्रचार एवं अभिवृद्धि के लिये टोकियो तथा सिंगापुर में पर्यटन कार्यालय खोले हैं। एशिया के देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या 1972 में बढ़कर 93372 हो गयी जोकि कुल पर्यटक यातायात का लगभग 30% है।

(ख) इन देशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की गुंजाइश है तथा पर्यटकों के आयात को अधिप्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए जा रहे है।

Shri Arvind M. Patel : The Hon. Minister has stated that tourist offices have been opened in Tokyo and Singapore, but many places of tourists interest in this country too need considerable improvement for example Gir forests in Gujarat are among the places of interest and more and more tourists can be attracted there. Same is the case with Porbandar, the birth place of Mahatma Gandhi. There is a lion show in Gir. Would the hon. Minister, therefore, assure that more money would be spent on the above quoted two place and they would be made more attractive ?

Dr. Sarojini Mahishi : I do not known how far it is connected with the main question, but certainly I can answer it. We are arranging in a new way, to provide increased accommodation to house 50 persons by spending Rs. 12 lakh on Gir Forests. Transport facilities are also being provided. Keshode airport is being developed as also the Porbandar Airport.

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने कहा है कि पर्यटकों को आर्कषित करने के लिये ऐशियाई देशों में कार्यालय खोलने के प्रयास किये जा रहे है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंगकाक तथा अन्य स्थानों पर स्थित कार्यालयों ने एशियाई देशों से पर्याटकों को आर्कषित करने के प्रयास किये है? यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जहां उक्त अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : जापान, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग तथा फिलिपाइन ऐसे एशियायी देश हैं जहां से हमारे यहां पर्यटक आ रहे हैं । इन देशों से आने वाले पर्यटकों को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है—एक विद्यमीर (एथनिक) तथा दूसरे बौद्ध । हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिकाधिक पर्यटक हमारे बौद्ध-केन्द्रों की ओर आकृष्ट हों । विदेशो में रहने वाले बहुत से भारत-मूलक लोग प्रायः हमारे देश की यात्रा करते है और मुख्यतः यदी पर्यटकों की वे दो श्रेणियां है जो हमारे देश की यात्रा करती है । इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों के पर्यटक भी हो सकते है —जसे पर्वतारोही दल—जो कि इन देशों से आते है तथा जो कुलू, मनाली तथा अन्य स्थानों को जाते है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह ।

श्री समर गुह : इस तथ्य को देखते हुए कि बर्मा, मलेशिया तथा इण्डोनेशिया, थाईलड, कम्बोडिया, लाओस तथा वियतनाम जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का भारत के साथ गहरा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संबंध है, तो इन देशों से भारत में पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

डा० सरोजिनी महिषी : टोकियो कार्यालय में हम, अन्य पड़ौसी देशों के समान ही, प्रचार कार्य पर 10 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च कर रहे है ।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न राजनैतिक पक्ष से नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्ष से संबंधित है ।

डा० सरोजिनी महिषी : पर्यटक लोग सम्पन्न देशों से ही आते है । जैसा कि मैंने कहा, इन देशों से दो वर्गों के पर्यटक हमारे यहां आते हैं । एतिहासिक तथा सामाजिक पक्ष की दृष्टि से, हम अधिकाधिक पर्यटक इस देश में आर्कषित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकिशोर सिंह ।

श्री हरिकिशोर सिंह : इस प्रश्न के उत्तर पर मेरी कुछ आपत्तियां हैं । मंत्री महोदयाने कहा है कि टोकियो तथा सिंगापुर में कार्यालय खोले गये हैं । परन्तु पच्छिमी एशिया का कोई जिक्र नहीं किया गया है । पच्छिम एशिया भी एशिया का ही एक अंग है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एशियाइ देशों के युवकों तथा युवतियों, विशेष कर छात्रों को पर्यटन संबंधी उद्देश्यों के लिये इस देश की यात्रा करने के लिये कोई विशेष रियायतें देने की किसी योजना पर विचार कर रही हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : पच्छिम एशिया में कोई पर्यटन-कार्यालय नहीं है । वहां हमारे दूतावास के साथ केवल एक सांस्कृतिक स्कन्ध संलग्न किया गया है । वही स्कन्ध इन कार्यों को करता है । जैसा कि दूसरे क्षेत्रों में है, इन देशों को भी एयर इण्डिया द्वारा वही रियायतें दी जा रही हैं ।

श्रीमती माया राय : मंत्री महोदया ने अभी अभी कहा है कि जापान में पर्यटन-संवर्धन के लिये कार्यालय बनाने हेतु दस लाख रुपये की राशि खर्च की गई है । क्या यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा कि इस राशि के अधिकांश भाग को हम अपने देश के बौद्ध-गृहों के संदर्भ में, अपने देश में अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने पर खर्च करे ?

डा० सरोजिनी महिषी : हम सुविधायें दे रहेहैं । यह तो कहने की बात ही नहीं है । इस देश के नालन्दा राजगिर, बौद्ध-गया आदि बौद्ध स्थलों के विकास के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । बिहार से संबंधित सदस्य, मझसे पूछ सकते ह कि बौद्ध-गया के बारे में क्या कुछ किया गया है । बौद्ध-गया एक प्रमुख पयटक-स्थल है । इस संबंध में हम बिहार सरकार से भी अधिकाधिक सहयोग की आकांक्षा रखते हैं । और पिछले

दो या तीन वर्षों से, केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के पास धन राशि जमा कराई है, और हम आशा करते हैं कि भूमि के अधिग्रहण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लिया जायगा। कुशी नगर, बलरामपुर तथा अन्य स्थानों पर भी हम पर्यटक-केन्द्रों का विकास करने के प्रयास कर रहे हैं। इस में सांची का विकास भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग एक महिला के प्रति इतने उदार क्यों है ? श्री शमीम !

श्री एस० ए० शमीम : काश्मीर की ओर पर्यटक-यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिये क्या सरकार श्रीनगर हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : हम श्रीनगर में सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण के लिये यहां अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स की सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं किया गया है। वास्तव में, हमारी सामान्य धारणा यह है कि यदि यह स्थान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये खोला जाये तो भी आगामी कई वर्षों तक यहां अनेकों कारणों से केवल एयर इंडिया की ही सेवायें उपलब्ध हो सकेंगी।

श्री कृष्णचन्द्र हल्दर : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूँ कि क्या रंगून में कोई पर्यटक कार्यालय स्थापित करने का विचार है और क्या सरकार बर्दवान को, जहाँ मुगल बादशहा जहाँगीर की पत्नी महरन्निशा, जो नूरजहाँ के नाम से विखयात है, बन्दी बनायी गयी थी, मलेशिया तथा इन्डोनेशिया के मुसलमानों के आकर्षण के लिये विकसित करने का विचार है।

डा० सरोजिनी महिषी : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that there are several beauty spots in Jammu region where tourists in large numbers may be attracted but they have not been developed like other tourist spots and whether it is also a fact that due attention has not been paid towards Manali and the Hon. Minister has not visited Manali so far ?

Dr. Sarojini Mahishi : I do not think that the hon. Member has got the correct information. In Jammu, a fifty roomed hotel has been constructed and a Youth hostel in Patni Top is under construction which is likely to be completed by the end of the year. Besides this, there is a youth hostel in Kulu and Manali and a scheme to develop hot springs has been undertaken. Chasing rooms and bath rooms have been constructed and efforts are being made to construct the golf club.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का क्षेत्र छोटा सा है। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ।

Setting up of Industries in collaboration with Britain

***545. Dr. Laxminarayan Pandya†**
Shri C. K. Chandrappan :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the deleagation of the Birmaingham Counial of Commerce and Industry came to India during the first week of March, 1973;

(b) whether the delegation proposed to set up joint industries with British collaboration; and

(c) the broad outlines of the proposal ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ। बरमिंघम चेम्बर आफ कामर्स द्वारा प्रायोजित एक ब्रिटिश मिशन मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत आया था।

(ख) भारत सरकार को ब्रिटेन के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने लिये प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दी गई किसी खास प्रस्थापना की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Laxmi Narayan Pandey : Sir, the Hon. Minister has agreed that such a missio came to India during the first week of March and talks were held but no precise proposal was received. In view of the talks held and proposals made by them, may I know whether, besides general proposal they made, any precise proposal was also made since they have said in a Press Conference that in British Collaboration many industries may be established in India, if so, the details of the precise proposal ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : संभवतया माननीय सदस्य के मस्तिष्क में यह बात है कि प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय से मिला है। प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय से नहीं मिला। यह गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल का और कुछ गैर-सरकारी तथा कुछ सरकारी एजेन्सियों से इनकी बातचीत हुयी। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली तथा बम्बई का दौरा किया तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ आदि से इनकी बातें हुयीं। उन्होने संयुक्त प्रस्ताव वाले क्षेत्रों की संभावना के बारे में बताया। उन्होंने जांच पड़ताल की और उससे कुल बातों का पता चला। परन्तु उन्होंने न तो कोई निश्चित प्रस्ताव दिया और नहीं उनके साथ चर्चा करनेवालों ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

Dr. Laxmi Narayan Pandey : The Hon. Minister has said that the delegation met some official as well as non-official agencies. The delegation also met S.T.C. and they made certain proposals but no proposal was definite one. The talks they had with the Ministry have been published in Newspapers. May I know whether there was any joint proposals for any specific industry as regards their talks with S.T.C. or other agencies is concerned ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं माननीय सदस्य को केवल इतनी सूचना दे सकता हूँ कि राज्य व्यापार निगम तथा निर्यात संवर्धन परिषद से बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कुछ टर्न की परियोजनाओं की संभावनाओं तथा मशीनों की सप्लाई और प्लांट कंसलटेंसी सर्विस के बारे में पूछताछ की। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ से बात-चीत करते समय उन्होंने ब्रिटेन को, यदि संभव हो तो भारतीय निर्यात बढ़ाने के बारे में तथा अन्य गैर परम्परागत मदों, स्वचालित सहायक उद्योग, विद्युत उपकरण आदि के बारे में बातें कीं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : 6 फरवरी के हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में यह बात प्रकाशित हुई थी कि प्रतिनिधिमंडल ने इंजीनियरिंग तथा विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में ब्रिटिश सहयोग से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। यह प्रस्ताव क्या था ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि उन्होंने संभावनाओं का पता लगाने वाली बातें की थी। इन्हें प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। अत: इस स्तर पर इन गैर-सरकारी बातचीतों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बताया है कि बरमिंघम प्रतिनिधिमंडल गैरसरकारी रुप से आया था। यह प्रतिनिधिमंडल किसके कहने पर भारत आया? क्या ब्रिटिश सरकार अथवा किसी मित्र राष्ट्र एजेन्सी के किसी प्रस्ताव से इसका किसी प्रकार का सम्बन्ध है अथवा बरमिंघम वाणिज्य मंडल के कहने पर प्रतिनिधिमंडल भारत आया?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वे अपने आप भारत आये।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has stated in reply to a question that the delegation is interested to make investment in setting up a industry for electrical appliances. May I know the names of the industries and the details of investment industrywise ? Do they propose to set up industry or to supply meterial for that ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि संभावनाओं का पता लगाने विषयक बातें हुयी, वे प्रस्तावों के रूप में नहीं थीं, परियोजना की तो बात ही नहीं है। अत: इस समय धनराशि, मूल्य, पूंजीनिवेश आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

झूठे दावे प्रस्तुत करने के लिये बाटा शू कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही

*546. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निर्यात प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिये झूठे दावे प्रस्तुत करने के कारण बाटा शू कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि "क्या विभिन्न निर्यात प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिये झूठे दावे प्रस्तुत करने का कारण बाटा शू कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है" इसका साधारणसा उत्तर हां अथवा नहीं कहकर दिया जा सकता था। कौन सी जानकारी एकत्र की जा रही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर हम दंडात्मक कार्यवाही कर सकें। फिर भी हम वित्त मंत्रालय से कमियों के विवरण के विषय में कमियों-सम्बन्धी निदेश के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह प्रश्न अगले सप्ताह के लिए छोड़ दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब जानकारी उपलब्ध हो जाये तो वह सभा पटल पर रखी जानी चाहिये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी ठीक है।

श्री समर गुह : बहुत से अन्य मामलों में भी ऐसी घटनाय हुयी हैं। तारांकित प्रश्न के लिये तीन सप्ताह पूर्व नोटिस दिया जाती है और उत्तर यह दिया जाता है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। क्या आप ऐसा निदेश देंगे कि सरकार यदि उत्तर देने की स्थिति में नहीं है तो एक या दो सप्ताह पश्चात प्रश्न फिर सूची में सम्मिलित किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे। इसके लिये कोई प्रक्रिया बनायेंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बाटा शू कम्पनी ने समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञापनों आदि के माध्यम से एक ऐसा दावा किया था कि वे विभिन्न देशों को अपने जूतों के निर्यात में वृद्धि कर रहे हैं। यह बात मैं विशेष रुप से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने बाटा शू कम्पनी को ऐसी अनुमति दी है कि व जूतों के छोटे तथा मध्यस्तर के निर्माताओं से जूते खरीद कर उन पर बाटा शू कम्पनी की मोहर लगाकर उनका निर्यात करें। यदि ऐसी अनुमति दी गयी है, तो क्या यह झूठा दावा नहीं है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मूल प्रश्न निर्यात प्रोत्साहनों के संदर्भ में झूठे दावों का है। माननीय मित्र निर्यात की मात्रा के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय को पता है कि निर्यात प्रोत्साहन निर्यात स्थिति पर दिये जाते हैं। अतः मैंने यह प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार ने बाटा बन्धुओं को जूतों के छोटे तथा मध्यस्तर के निर्माता से जूते खरीदकर अपनी मोहर लगाकर निर्यात करने की अनुमति दी है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं इसे प्राप्त करके आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मेरे अनुरोध का क्या हुआ कि प्रश्न अगले सप्ताहके लिये छोड दिया जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि इस मामले में हम प्रक्रिया बनायेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Question asked by Shri Indrajit Gupta has not been replied to.

Mr. Speaker : The Minister has said that he will collect the information.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Minister, has said that he will collect the information. I can supply information to him. Bata Shoe Company have been procuring shoes of other manufacturer at Agra and Exporting them after putting the Bata Brand on it.

One Hon. Member : What is wrong in it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why should Bata Shoe Co. export it. ? Small manufacturers may export. Bata Company is doing a fraud.

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह जानकारी एकत्र कर रहे हैं। क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसे झूठे दावे हैं और वे उनके बारे में जानका एकत्र कर रहे हैं अथवा क्या उनका तात्पर्य यह है कि कोई झूठा दावा नहीं है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं बता चुका हूँ कि पहली बार में ही इस मामले की सत्यता निश्चित करने के लिये हमारे पास रिकार्ड नहीं है। कमियों सम्बन्धि निदेशक से जो आधारभूत जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये दावे झूठे हैं, फिर भी उनसे कहलाया है कि मामले की और छानबीन करें और हमें सूचित करें।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विदेशों में घड़ियों की बिक्री

***547. श्री के० मालन्ना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घडियां विदेशों में बेची जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें इनका निर्यात किया जाता है और इनके निर्यात से गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) एच० एम० टी० घडियां आयात करने वाले देश ये हैं सं० रा० अमरिका, न्यूजीलन्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा लक्सम्बर्ग। 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान एच० एम० टी० की घडियों के निर्यात से क्रमश: लगभग 72,000 रु० तथा 1,03,000 रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

श्री के० मालन्ना : क्या देश में एच० एम० टी० घडियों की मांग नहीं है जो हम उनकी निर्यात कर रहे हैं ? एच० एम० टी० घडियां काला बाज़ार में बेची जा रही हैं और हाल ही में एच० एम० टी० ने स्वयंचलित घडियाँ बनाना आरम्भ किया है और वे बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। क्या अन्य देशों से भी इन घडियों की मांग है और यदि हां, तो देश तथा विदेशों की कुल मांग कितनी है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समय एच० एम० टी० द्वारा 365,000 घडियां बनायी जा रही हैं परन्तु घडियों की मांग में वृद्धि हो रही है। इसी कारण हमारा विचार है कि 2 लाख घडियों और बनायी जायें। इस समय देश में इतनी मांग है यदि उसे ही पूरा किया जाय तो निर्यात के लिये अधिक घड़ियां नहीं बचती हैं।

श्री के० मालन्ना : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि देश में या विदेशों में एच० एम० टी० घड़ियों की बहुत मांग है क्या एच० एम० टी० जापान अथवा स्विटजरलैंड के सहयोग से घड़ियों के पुर्जे बनाने की बात सोच रहा है यदि हां, तो ऐसे सहयोगों की मुख्य बातें क्या हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि 2,60,000 और अधिक स्वयंचलित घड़ियां बनाने का विचार है परन्तु 2 लाख घड़ियां और बनाने के लिये श्रीनगर में कारखाना लगाने का विचार है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये यही कुछ बातें हमारे विचार में हैं।

श्री के० मालन्ना : मैंने जापान तथा स्विटजरलैंड के साथ सहयोग के सम्बन्ध में पूछा है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जापान की सिटीजन वाच कम्पनी के साथ सहयोग पहले से ही उपलब्ध है।

Shri Sarjoo Pandey : We are short of H.M.T. watches to meet the increasing demands. We have to wait for months in a queue as regards ladies watches are concerned inview of this and in view of meeting the shortage, may I know the steps being taken by the Government so that a good number of watches may be exported or at least watches, may be available to the people of the country ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस लिये मैंने बताया है कि हमने विस्तार किया है और हम और विस्तार करने जा रहे हैं।

श्री के० एस० चावडा : एच० एम० टी० की घड़ियों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा तस्कर घड़ियों की उपलब्धि से बराबर हो जाती है। एच० एम० टी० घड़ियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये मंत्री महोदय का विचार क्या कदम उठाने का है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस का उत्तर देना मेरे लिये बहुत कठिन है। संभवतया मेरे मित्र श्री के० आर० गणेश तस्करी वाली घड़ियों के बारे में ठीक प्रकार जानते है।

Shri K. N. Tewary : The Hon. Minister has just now said that they intend to manufacture 2 lakhs more. May I know whether they have made study as regards the requirement of the country is concerned and whether the arrangements will be made well in advance to ensure the timely expansion and availability of watches to the people ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस बारे में निश्चित आंकड़े देना कठिन है लेकिन प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख घड़ियों का उत्पादन करना है और इससे इस समय की हमारी मांग के बारे में पता लगेगा।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the foreign money involved in importing watches and I also want to know whether there is any Scheme for manufacturing pocket watches in addition to wrist watches be cause there is a great demand of pocket watches in the Country.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister should know the amount of foreign exchange being spent on importing watches.

Mr. Speaker : Shri Mishra, please ask a question concerning the Minister.

Shri Bibhuti Mishra : There is the joint responsibility of the Cabinet.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं नहीं जानता कि वे ऐसा कर रहे हैं। मैं इस बात की सूचना उन्हें दे दूंगा।

Shri R. S. Pandey : We are pround of the watches manufactured by H. M. T. They are very soon going to manufacture automatic watches. Taking into consideration the potentiality of the export market, I want to know why the production of these watches is not increased so that more profits may be earned? I want to know the difficulty of the Government in not producing more watches? The Government does not undertake that business in which there is profit, on the other hand it ur dertakes that business which is not profitable. What prevents the Government to expand and produce in terms of crores ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उत्पादन के आंकड़े मांग पर निर्भर होने चाहिये। हमारा उत्पादन 4 लाख से बढकर 6 लाख हो गया है। वस्तुत: उत्पादन के आंकड़े मांग पर निर्भर करते हैं।

Shri Phool Chand Verma : I want to know whether it is a fact that there is a shortage of H. M. T. watches in the Country and whether there is a demana of these watches in other Countries ? The H. M. T. watches have been found selling in black market in the markets of Delhi. Taking into consideration their aemands in the Cour try itselt and abroad I want to know whether the Government is considering to start another plant for manufacturing watches ?

Mr. Speaker : He has just replied to that question.

Shri Phool Chand Verma : The watches are being sold in black market but they are not available on Sales Depot.

चाय के पौधों का पुन:रोपण

*554. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय के पौधे 60 से 80 वर्ष से भी अधिक पुराने हो गए हैं और उनका पुन:रोपण किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो चाय बागानों में पौधों का पुन:रोपण न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 31 मार्च 1971 को भारत में कुल चाय क्षेत्र के लगभग 34 प्रतिशत क्षेत्र पर 50 वर्ष से अधिक आयु की झाड़ियां हैं। सामान्य रूप से 60 से 80 वर्षों से अधिक पुरानी झाड़ियों का पुनर्रोपण करना अपेक्षित होता है लेकिन इनमें से कुछ सेक्शन कृषि सम्बन्धी उचित पद्धतियां अपना कर, जैसे पुनर्नवीकरण, उचित कांट-छांट, खाद तथा भराई आदि करके भी सुधारे जा सकते हैं।

(ख) झाड़ियों का पुनर्रोपण किया जा रहा है। तथापि, पुनर्रोपण की गति में सुधार करने के लिए हाल में वित्तीय सहायता योजनाओं को उदार बना दिया गया है।

Shri Nawal Kishore Sharma : Our Country gets a lot of foreign exchange due to export of tea and this inaustry is mostly in the hands of the foreigners. In this conaition it is but natural that they may not have any interest in this matter. I want to know what steps have been taken to develop this industry so that we may not lose one of the biggest source of foreign exhange? The scheme that he has just mentioned in this connection, is not adequate.

I want to know whether Government is considering to nationalise this industry because many complaints have heen received in this regard.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण मद है। यह भी सच है कि इस उद्योग की दशा बहुत अच्छी नहीं है और कुछ चाय बागान संकटग्रस्त स्थिति में हैं। कुछ बन्द हो गये हैं। सरकार को उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में ही इस स्थिति की जानकारी है। वास्तव में जब मैं पहले कलकत्ता गया था तो मैंने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में इस समस्या पर विस्तार से चर्चा की थी। हमने इस कमी के लिये विभिन्न मंत्रालयों से अधिकारी मांगे हैं जो इस उद्योग की समस्याओं की जांच करेंगे जिसमें उद्योग को अधिकार में लेने का भी मामला शामिल है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि चाय उद्योग गम्भीर संकट की स्थिति से गुजर रहा है और इस उद्योग से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि जहां तक प्रतिस्पर्धी का प्रश्न है कृषि आय पर कर लगाने से हमारे निर्यात व्यापार पर भारी प्रभाव पड़ेगा?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सर्वविदित है कि अनेक चाय बागान लाभ के उद्देश्य से चाय के पौधों का पुनःरोपण करने से इंकार कर रहे हैं और वे पुनः चाय बागान लगाने में धन खर्च करने में रूचि नहीं लेते हैं। क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि कलकत्ता में गत रविवार को उनके द्वारा रखा गया यह प्रस्ताव कि यदि आवश्यक हुआ तो दार्जिलिंग स्थित चाय बागानों को करों में विशेष छूट दी जायेंगी, जैसा कि उद्योगपतियों ने मांग की है। क्या उक्त छूट दार्जिलिंग स्थित उन चाय बागानों पर भी लागू होगी जो चाय के पौधों का पुनःरोपण नहीं कर रहे है और अपने बागों को यों ही खराब होने दे रहे हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : नहीं! उक्त रिपोर्ट को तोड़ी मोरोडी गया है। उक्त रिपोर्ट चाय बागानों के एक विशेष जोन से सम्बन्धित है जो राजकोष से छूट का अनुरोध कर रहे हैं। यह सच है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनःरोपण की योजना का चाय बागानों द्वारा उचित लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह किस जोन का उल्लेख कर रहे थे? क्या वह दार्जिलिंग जोन है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या दार्जिलिंग स्थित उन चाय बागानों को भी, अनुरोध करने पर, करों में छूट दी जायेगी जो पुनःरोपण के प्रयोजन के लिये इस सहायता का लाभ नहीं उठा रहे है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी, नहीं। उन लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जायेगा जो उक्त बागान सम्बन्धी योजना का लाभ उठाने में असफल पाये जायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरी चाय का निर्यात प्रतिवर्ष घट रहा है और विशेष रूप से देहरादून घाटी में चाय बागान समाप्त होते जा रहे, है मैंयह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा जिससे चाय की हरी पत्ती के उद्योग को बन्द करने के लिये मजबूर न होना पड़े?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस उद्योग को सहायता देने के लिये हमारी पहले ही योजनाएं हैं और उक्त योजना का लाभ उठाना उद्योगपतियों और सम्बद्ध चाय बागानों का काम है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि चाय उत्पादक चाय उद्योग का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किये जाने के भय से नये चाय के पौधें नहीं लगा रहे हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि राष्ट्रीयकरण के बारे में समाचार पत्रों के लोग अटकलें लगाते रहते हैं, तो हम मजबूर हैं। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि हमने एक टास्क फोर्स की स्थापना की है, जो इस समस्या से सम्बन्धित सब पहलुओं और इस उद्योग के भविष्य के बारे में, जिसमें इनको नियंत्रण में लेने का प्रश्न भी शामिल है, जांच कर रहे हैं, जब तक हम उनके प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं कर लेते तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : पुन:रोपण के बारे में क्षेत्र-सीमा कितनी है। जहां तक चाय बागान के मालिकों को सहायता देने का प्रश्न है, तमिलनाडु में केवल बड़े चाय बागानों के मालिकों को या तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से सहायता मिल रही है। क्या सरकार ने छोटे बागानों के मालिकों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई फार्मूला तैयार किया है, अथवा इस बारे में कोई उपबन्ध बनाया है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वित्तीय सहायता के क्षेत्र के अन्तर्गत निस्संदेह छोटे चाय बागान आते हैं। जहां तक कुल क्षेत्र का सम्बन्ध है कुछ चाय बागान संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं जब कि अन्य चाय बागानों में ऐसा नहीं हो रहा है। अत: कुल क्षेत्रों के पुन:रोपण की आवश्यकता के बारे में मैं सामान्य उत्तर नहीं दे सकता।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या विभिन्न जोनों में 50 पैसे से 1 रुपया 50 पैसे की दर से असमान उत्पादन शुल्क लगाने के कारण चाय उत्पादक हतोत्साहित हो रहे है और यदि हां, तो क्या मंत्रालय का उत्पादन शुल्क के बारे में पुन: विचार करने का प्रस्ताव है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समस्या के बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि विभिन्न जोनों में उत्पादन शुल्क भिन्न है। हम कुछ विशेष जोनों को छूट देने के बारे में विचार कर रहे हैं लेकिन यह देश के कुल राजकोष के अनुशासन के अन्तर्गत करना पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूंजीपति देशों से सहायता लेना बंद करना

*543. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन देशों से, जिनका रवैया हमारे देश के खिलाफ दिखाई देता है, विशेष रूप से पुंजीपति देशों से, सहायता लेना बंद करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) विकास संबंधी हमारी कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आन्तरिक संसाधनों और कार्यकुशलता पर निर्भर रहा जाय। एक ओर जहां हमने विदेशी सहायता का स्वागत किया है वहां दूसरे ओर इस बात का प्रत्येक प्रयास किया है कि विदेशी सहायता हमारे राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का स्थायी अंग न बन जाय। पांचवी आयोजना

का उद्देश्य यह है कि उसके अन्तिम वर्ष तक विदेशी सहायता की शुद्ध राशि घट कर शून्य तक पहुंच जाय ।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया की विमान दुर्घटनाओं या उनके कार्यकरण की जांच के लिये नियुक्त समितियां या आयोग

*544. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 में इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया की विमान दुर्घटनाओं या उनके कार्यकरण की जांच करने के लिये कितनी समितियां या आयोग नियुक्त किये गये ;

(ख) उनमें से कितनों ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं ; और

(ग) उनके रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4666/73]

गुजरात में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

*548. **श्री वेकरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में सीमा-शुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1972–73 में कौन-कौन-सी तस्करी की वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में बरामद की और इस अवधि में कितने तस्कर-व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : गुजरात राज्य में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 1972–73 के दौरान (फरवरी, 1973 तक) पकड़े गये तस्करी के माल का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है :

	मात्रा	(अनुमानित) मूल्य रुपयों में
सोना	22 किलोग्राम	5 लाख
कलाई की घड़ियां	3,400	5 लाख
संश्लिष्ट वस्त्र	8,60,000 गज	138 लाख
संश्लिष्ट धागा	46,000 रीलें	
चांदी	3,000 किलोग्राम	18 लाख
गाड़ियां	40	7 लाख
जलयान	20	11 लाख
विविध सामान		43 लाख
	जोड़	227 लाख

गुजरात में तस्कर व्यापार के संबंध में 1972–73 के दौरान (फरवरी, 1973 तक) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 69 है ।

भारत के निर्यातव्यापार का भविष्य

***549. श्री सी० जनार्दनन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में "इण्डियाज एक्सपोर्ट फ्यूचर लाइज़ विद् डिवैलप्ड नेशंस सेज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल चीफ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का विचार है कि हमारे निर्यातों के लिए विकसित तथा विकासशील दोनों देशों के बाजार महत्वपूर्ण हैं हलांकि विशिष्ट इंजीनियरी उत्पादों की निर्यात संभाव्यता पृथक-पृथक बाजारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है ।

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के संसाधन

*** 550. श्री बी० बी० नायक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर सरकारी क्षेत्र की उन वित्तीय संस्थाओं के पास कुल कितनी धनराशि के साधन हैं जो सीधे केन्द्र के नियंत्रण में हैं और भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं ; और

(ख) इन संसाधनों का बजट बनाए जाने में सरकार का क्या नियंत्रण है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31-12-1972 को स्थिति के बारे अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) संस्थाएं बजट तैयार करने और अपने साधनों के प्रयोग के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक नीति के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करती हैं। उनके दैनंदिन के कार्य में भारत-सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं करती ।

बंगला देश के साथ रुपयों में होने वाला व्यापार

***551. डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के साथ रुपयों में होने वाले व्यापार को समाप्त करने और उसे सामान्य निर्यात-आयात विनियमों के अन्तर्गत लाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद सीमित भुगतान करार से है । सीमित भुगतान करार, जो कि सन्तुलित आधार पर विशेष हित की वस्तुओं के आयात तथा निर्यात को सुकर बनाने के लिए एक अन्तरिम प्रबंध था, व्यापार करार का एक भाग था जो कि एक वष की अवधि के लिए वैध था । व्यापार करार की अवधि अब तीन महीने के लिए 27 जून, 1973 तक बढ़ा दी गई है ।

भारत को जापान से मिले ऋण पर येन के मूल्य में हुए परिवर्तनों का प्रभाव

*552. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 के बाद से येन और रुपये के सापेक्ष मूल्यों में हुए भारी परिवर्तनों के कारण भारत द्वारा जापान को देय ऋण की राशि 4330 लाख डालर से बढ़कर लगभग 6000 लाख डालर हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) जापान के प्रति भारत की ऋण सम्बन्धी देनदारी का हिसाब येनों में दिखाया जाता है । येन के रूप में भारत की देनदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । किन्तु येन और अन्य मुद्राओं की विनिमय दरों में परिवर्तन हो जाने के कारण अन्य मुद्राओं में अभिव्यक्त दायित्वों में परिवर्तन हो गया है । उदाहरण के तौर पर जापान के प्रति भारत की ऋण-सम्बन्धी बकाया देनदारी डालर के सन्दर्भ में लगभग 37 प्रतिशत तथा रुपयों के सन्दर्भ में लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गयी है । दिसम्बर 1971 में, पहली बार येन का पुनर्मूल्यन होने से पूर्व, डालर में अभिव्यक्त बकाया ऋण राशि 4120 लाख डालर और रुपयों में अभिव्यक्त ऋण राशि 309.61 करोड़ रुपये थी । दिसम्बर 1972 में यह राशि 5,070 लाख डालर और रुपयों में लगभग 370 करोड़ रुपये थी । ऋण सम्बन्धी देनदारी में परिवर्तन, न केवल येन के पुनर्मूल्यन से बल्कि सहायता के उपयोग और मूलधन की वापसी अदायगी के कारण हुआ है ।

सरकार सदा इस बात पर जोर देती रही है कि विनिमय दरें स्थिर रहें क्योंकि मुद्राओं के मूल्यों में प्राय: तथा अधिक परिवर्तन होने से भारत जैसे विकासशील देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में सुधार लाने के सन्दर्भ में भी यही मत व्यक्त किया गया है ।

चाय के निर्यात की सम्भावनाएं

*553. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात की अच्छी सम्भावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा किन बाजारों में चाय की मांग बहुत अधिक है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय चाय की काफी मांग है । विशेष रुप से दार्जिलिंग तथा नीलगिरि की चाय अपनी क्वालिटी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है । भारतीय चाय के प्रमुख बाजार हैं : ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, अफगानिस्तान, आयरिश गणराज्य, सूडान, पश्चिमी जर्मनी, तथा मिश्र का अरब गणराज्य ।

पश्चिम एशिया के देशों में भी पैकटबंद चाय का बड़ा बाजार है । इंस्टेंट चाय, पैकट बंद चाय तथा चाय बगों के निर्यात बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

वाणिज्यिक बैंकों के निरन्तर विस्तार को सुनिश्चित करने के लिये "रोलिंग योजना"

***555. श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिये तीन वर्ष का एक 'रोलिंग योजना' बनाने का निश्चय किया है कि वाणिज्यिक बैंकों का निरन्तर विस्तार होता रहे और यह बैंक अपनी कर्मचारी योजना पहले से बना सकें ;

(ख) यदि हां, तो उक्त 'रोलिंग योजना' कब प्रारम्भ होगी ; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को वर्ष 1973 के लिये योजना बनाने की सलाह देते हुए कोई पत्र जारी किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) पहली रोलिंग योजना वर्ष 1973–75 की तीन वर्ष की अवधि के लिये होगी ।

(ग) जी, हां ।

अयोध्या को पर्यटक केन्द्र के रुप में विकसित करना

***556. श्री आर० के० सिन्हा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्य को, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है, पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित करने के लिये गत तीन वर्षों में क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं और इस वर्ष क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ;

(ख) क्या पर्यटक दृष्टिकोण से इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व के बारे में विदेशों में प्रचार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) साधनों के परिसीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में अयोध्या में कोई सुविधायें प्रदान नहीं की गयी हैं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । फिलहाल ऐसे स्थानों का विदेशों में मुख्यतया प्रचार किया जा रहा है, जो कि पहले ही विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय हैं तथा जहां पर पर्यटन के मूल आधारभूत उपादान उपलब्ध हैं ।

मार्च, 1973 में पूर्वी जर्मनी में हुए लिपजिग मेले में भारत द्वारा भाग लिया जाना

***557. श्री सतपाल कपूर :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी में मार्च, 1973 में हुए लिपजिग मेले में भारत ने भाग लिया था और यदि हां, तो कितनी और कौन-कौन सी भारतीय फर्मों ने प्रदर्शनी में अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया और कसी प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन किया ; और

2—7 L.S.S./73

(ख) क्या इसके परिणामस्वरुप वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई आर्डर प्राप्त हुए और यदि हां, तो ये कितनी धनराशि के थे तथा भारतीय वस्तुओं के प्रमुख खरीदार कौन-कौन हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां, भारत ने 11 से 18 मार्च, 1973 तक लिप्जिग (जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य) में हुए लिप्जिग बसंत मेले में भाग लिया था। भारतीय फर्मों के नाम तथा उनके द्वारा प्रदर्शन हेतु रखी गई सामग्री की किस्में दर्शानें वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 4667/73]

(ख) जी हां, हमारे भाग लिए जाने के फलस्वरूप मेले के दौरान भारतीय प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा निर्यात आदेश बुक किये गए। चूंकि प्रदर्शनी दल अभी वापिस नहीं आया है अतः ऐसे आदेशों की राशि तथा भारतीय माल के मुख्य खरीदारों के संबंध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

कृत्रिम रेशों के निर्यातकों को नकद सहायता

*558. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशों के निर्यातकों को नकद सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां ; तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों को बिजली के सामान का निर्यात

*559. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम एशियाई देशों में ट्रांसमिशन टावरों, केबलों, ट्रांसफार्मरों स्विचगियरों, मोटरों और पंखों जैसे बिजली के सामान की मांग बढ़ रही है और, यदि हां, तो इन देशों में उपरोक्त सामान बेचने के लिये क्या **अग्रेत्तर** कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : जी हां । इन उत्पादों के लिए, जिनके निर्यातों को द्विपक्षीय करार करके व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को भेज कर, क्रेताओं को आमंत्रित करके तथा अन्य निर्यात संवर्धन उपाय करके समर्थन दिया जा रहा है, बढ़ता हुआ बाजार है ।

चांदनी चौक, दिल्ली की एक दुकान से तस्करी की घड़ियों का पकड़ा जाना

*560. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदनी चौक, दिल्ली की एक दूकान से एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की घड़ियां मार्च 1973 में पकड़ी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यावाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) एक दुकान से तथा जो व्यक्ति व्यापार की व्यवस्था करता है उसके निवास-स्थान से 1.24 लाख रुपये के मूल्य की घड़ियां पकड़ी गयी थीं । उसे गिरफ़्तार किया गया था और तदुपरान्त मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया । आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

केरल राज्य की वर्ष 1972-73 में वित्तीय स्थिति की वार्षिक समीक्षा

5300. **श्री वयालार रवि :** क्या वित्त मंत्री केरल में गैर-योजना व्यय में अन्तर के बारे में 31 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य की वर्ष 1972–73 में वित्तीय स्थिति की वार्षिक समीक्षा पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा का क्या परिणाम निकला है तथा इस अवधि में अनुमानित गयगैर-योजना अन्तर कितना है और इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) समीक्षा करने से पता चलता है कि 1972–73 के दौरान अनुमानित आयोजना-भिन्न अन्तर 20.58 करोड़ रुपये का होगा। संसाधनों में यह अन्तर 20.58 करोड़ रुपय के केन्द्रीय ऋण से पूरा किया जाएगा।

नई दिल्ली में आयोजित एशियाई व्यापार मेले में "हाल आफ नेशंस" और "हाल आफ इंडस्ट्रीज" का निर्माण

5302. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिली में हाल में आयोजित एशियाई व्यापार मेले में 'हाल आफ नेशंस' तथा 'हाल आफ इंडस्ट्रीज' का मैसर्स पुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि० नामक ठेकेदारों ने निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन दोनों इमारतों का निर्माण कार्य निर्धारित स्तर का नहीं पाया गया जिसके कारण व्यापार मेले के दौरान हुई वर्षा में इन इमारतों को काफी क्षति पहुंची जिससे प्रदर्शन की वस्तुओं तथा अन्य सामान की हानि हुई ;

(ग) क्या इस कारण से हुई हानि के लिये कुछ देशों की सरकारों ने, जिन्होंने इन दोनों इमारतों के भागों को किराये पर लिया था, सरकार से मुआवजा मांगा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या एन इमारतों के गिरने के बारे में कोई जांच कराई गई है तथा ठेकेदारों तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इमारतों के निर्माण के लिये इस कार्य को चुना था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एशियाई व्यापार मेले में "हाल आफ नेशन्स" तथा "हाल आफ इन्डस्ट्रीज" का निर्माण मेले के लिये ठेकेदार मैसर्स पुरी कंसट्रक्शन प्राइवेट लि० द्वारा समय पर पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर सका । इस निर्माण कार्य के पूरा न किये जाने के यह कारण ह :

(1) इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुवर्ती वृद्धि जिससे लागत 91 लाख रु० से बढ़कर 135 लाख रु० हो गई ;

(2) अपेक्षित मात्राओं में संरचनात्मक इस्पात, नरम तथा टोर इस्पात प्राप्त होने में विलम्ब ;

(3) सीमेंट फैक्टरियों में हड़ताल के कारण एक मास की अवधि के लिये सीमेंट का अभाव ;

(4) इमारतों के निर्माण सम्बन्धी श्रमिकों की हड़ताल के कारण दो सप्ताह कार्य का रूका रहना और

(5) पाकिस्तानी संघर्ष के दौरान उससे पहले कार्य का रूकना ।

(ख) इमारतों का निर्माण अपेक्षित स्तर का किया गया था । 26 नवम्बर, 1972 को हुई अभूतपूर्व वर्षा के दौरान कुछ खुली जगहों को न ढके जाने के कारण कार्य चूंकि पूर्ण नहीं हुआ था इस लिय वर्षा का पानी रिस कर अन्दर आ गया था ।

(ग) किसी भी विदेशी सरकार ने किसी भी क्षति के लिये ; जो उन्हें हुई हो, सरकार से मुआवजा नहीं मांगा है ।

(घ) कोई इमारत गिरी नहीं थी । अत: ठेकेदारों तथा अधिकारियों के खिलाफ जांच करने अथवा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बोनस का भुगतान

5303. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में नियत किये गये बोनस के अनुसार सरकारी उपक्रमों के विभिन्न औद्योगिक एककों में कर्मचारियों को अनुमानतः कितनी धनराशि दी जाएगी अथवा देय है ; और

(ख) सभी सरकारी उपक्रमों में बोनस वृद्धि से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1971–72 में केन्द्रीय सरकार के उद्यमों द्वारा, उनके लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार, 1971–72 में बोनस (कृपा-पूर्ण अदायगियों सहित) के रूप में दी गयी रकम 19.6 करोड़ रुपये है । 1972–73 के लिये लेखा-परीक्षित लेखे अभी देय नहीं हैं ।

(ख) बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत देय बोनस, बोनस अदायगी (संशोधन) अधिनियम, 1972 के द्वारा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 1/3 प्रतिशत कर दिया था । इस अधिनियम के परिणामस्वरूप 1971–72 में केन्द्रीय सरकार के उद्यमों द्वारा देय बोनस की अतिरिक्त राशि 7 करोड़ रुपये तक हो जाने की सम्भावना है । लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, बोनस अधिनियम में उल्लिखित, उद्यमों पर लागू विभिन्न क्षत्रों पर निर्भर करती है ।

हुसनीवाला सीमा पर मुद्रा विनिमय करने वालों के लाइसेंसों को बाधा सीमा के लिए बदलने के बारे में आवेदन पत्र

5304. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद हुसैनीवाला सीमा के बंद होने के कारण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हुसनिवाला सीमा पर मुद्रा विनियम करने वालों को प्राप्त लाइसेंसों को बाधा सीमा के लिए दिए जाने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) हुसैनीवाला सीमा (अब फीरोजपुर स्थित) के मुद्रा विनिमय करने वालों की ओर से उनके लाईसेंसों को बाधा सीमा के लिए बदलन के बार ने प्राप्त कितने आवेदन पत्र रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) हुसैनीवाला सीमा पर मुद्रा विनिमय करने वालों को जारी किए गए मुद्रा विनिमय लाइसेंस बाधा सीमा के लिए बदलने के बारे में आवेदन पत्रों को मंजूर करने के बारे में कोई अलग मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं हैं। रिजर्व बैंक एसे आवेदन पत्रों पर उसी आधार पर विचार करता है जिस पर किसी नय स्थान पर मुद्रा विनिमय ला सेंस प्रदान करने के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है । लाइसेंसों की अनुमति स्थानीय सीमा-शुल्क अधिकारियों से परामर्श करके दी जाती है और अपेक्षित क्षेत्र में मुद्रा विनिमय संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता तथा आवेदनकर्ता की व्यापार को हाथ में लेने की उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) और (घ) 7 आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं और बैंक उनके बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लेगा ।

स्वर्णकारों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों के निपटान के बारे में बनाए मार्गदर्शी सिद्धांत

5305. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने पुत्रों को अपना व्यवसाय चलाने तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत व्यापार चलाने के लिय उन्हें दिये गये ला सेंसों में उन्हें सम्मिलित किये जाने के बारे में स्वर्णकारों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों का निपटान करने के लिये उनके मंत्रालय ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के दिल्ली स्थित कार्यालय में एसे कितने अभ्यावेदन अनिर्णीत पडे हैं ; और

(घ) उनका निपटान कब तक कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : जिन स्वर्णकारों ने सोने का काम करने के लिए प्रमाण-पत्र लिय हैं वे अपने नाबालिग बच्चों की, किसी पदार्थ अथवा आभुषण को बनाने, गढ़ने, तैयार करने, मरम्मत करने अथवा ढालने में सहायता ले सकते हैं जिसमें शर्त यह है कि उनके प्रमाण-पत्रों में ऐसे बच्चों के नाम दर्ज हैं। मालिकाना कारोबार करने वाले लाइसेंस-शुदा व्यापारी के मामले में एसी फर्मों के उनके बच्चों के नामों को फर्म के हिस्सेदारों के रूप में लाइसेंस में शामिल करने स फर्म का रूप बदल जायगा और उन्हें एक नय लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देनी होगी । ऐसी दरख्वास्त पर निर्णय, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 27 और अधिनियम के अन्तर्गत बनाय गय स्वर्ण नियंत्रण (व्यापारियों को लाइसेंस देना) नियम के अनुसार, किया जायगा ।

(ग) और (घ) मालिकाना कारोबार वाले लाइसेंस प्राप्त स्वर्ण व्यापारियों के लाइसेंसों में उनके बच्चों के नामों को शामिल करने की चार दरख्वास्तें दिल्ली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय में विचाराधीन पड़ी हैं, क्योंकि प्रार्थियों से मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । सूचना प्राप्त होने पर दरख्वास्त का कानून के अनुसार निपटान कर दिया जायगा ।

Rules Regarding Grant of loans to Farmers by Nationalised Banks

5306. **Shri Amar Singh Chaudhari :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the rules regulating grant of loan to the farmers by the nationalised banks ;

(b) the number of days by which loan is paid to the farmer after receipt of his application ; and

(c) the authority which sanctions such application and the number of days taken in this process ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The Reserve Bank of India has framed guidelines for all commercial banks relating to the manner in which all agricultural loan applications should be received processed and loans sanctioned. All nationalised banks have issued field instructions to their staff regarding the manner in which agricultural loan applications are to be processed and sanctioned within the guidelines of the Reserve Bank of India.

(b) & (c) A large majority of the applications for agricultural loans are disposed of at the branch manager's level within one to four weeks. Larger amounts requiring approval of senior Regional Officers or of the Head Office of the bank, take 2 to 8 weeks provided applications received are complete in all respects.

चीनी, काफी, मसाले लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी

5307. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 में किन-किन देशों को कितनी-कितनी चीनी, काफी, मसाले, लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या इन वस्तुओं के निर्यात में कमी हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4668/73**].

युगोस्लाविया के साथ संयुक्त उपक्रम

5308 **श्री भागीरथ भंवर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया है ; और

(ग) संयुक्त उद्यम कब तक लगाये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) भारत तथा युगोस्लाविया की सरकारें सिद्धान्त रूप में इस बात के लिय समहमत हो गई हैं कि दोनों देशों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं।

(ख) तथा (ग) ऐसे और क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है जहां दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिये संयुक्त उद्यम स्थापित करने के सम्बन्ध में और आगे विचार करने की गुंजाइश है। जब भी कभी विशिष्ट सहयोग प्रस्थापनाएं प्राप्त होंगी उनके सम्बन्ध में विनिश्चय इस बारे में भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार किया जाएगा।

कीनिया को तकनीकी जानकारी संबंधी सहायता

5309. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किनिया का तकनीकी जानकारी दिये जाने के प्रश्न पर वहां के वाणिज्य मंत्री ने उनसे हाल में विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विचार-विमर्श किया गया तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): कीनिया के वाषिज्य उपमंत्री महामहिम बाबुवुड ने एक दिन (5 मार्च, 1973) के लिये भारत का दौरा किया। उनके साथ जो वार्ताएं की गई व सामान्य स्तर की थीं और भारत से कीनिया को तकनीकी जानकारी प्रदान करने जैसी कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं थी।

बिजली की कमी के कारण सूती धागे के उत्पादन में कमी

5310. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण वर्ष 1972–73 में देश में सूती धागे का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन बनाये रखने के लिये अपने निर्यात को कम करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस में कितनी कटौती किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यद्यपि, पंचाग वर्ष 1972 के दौरान सूत का उत्पादन सन्तोषजनक रहा है और उत्पादन के 820 लाख कि०ग्रा० मासिक औसत स्तर को प्राप्त किया गया, तथापि जनवरी तथा फरवरी, 1973 के दौरान भारी गिरावट आई है। इसका मख्य कारण बिजली में कटौती का होना है जिससे कि तामिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) तथा (ग) : निर्यातों को 26 मार्च, 1973 से निम्न प्रकार से विनियमित कर दिया गया है।

(1) विद्यमान संविदाओं पर आधारित निर्यात 1-7-73 तक आस्थगित रखे जाएंगे।

(2) 1-9-73 से पूर्व नई संविदाओं के अन्तर्गत किसी निर्यात के लिये संविदा नहीं की जाएंगी।

इस प्रकार सूत के निर्यातों को बन्द नहीं किया गया है अपितु उन्हे केवल इस उद्देश्य से विनियमित किया गया है कि मुक्त सूत की घरेलू प्राप्यता में कमी को दूर किया जा सके। ज्यों ही मुक्त सून की प्राप्यता बढकर सामान्य स्तर पर आ जाएगी निर्यात पुन : शुरु कर द जाएंगे।

Value of GoodsExported to West Germany

5311. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commer be** pleased state the value of goods exported to West Germany during 1970-1971, 1971-72 and 1972-73 in terms of Indian currency?

The Deputy Minister in The Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : India's exports to West Germany amounted to Rs 32.31 crores during 1970-71, and Rs, 37.10 crores during 1971-72. During April-September 1972 (the period for which figures are available), the export amounted to Rs 30.41 crores, compared to the exports of Rs. 18.28 crores during the corresponding period of last year (i.e., April-September 1971.)

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

5312. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व पास किया गया स्वर्ण नियंत्रण आदेश पूर्णतया असफल रहा है क्यों कि इसका वांछित परिणाम नहीं निकला है ;

(ख) क्या इस आदेश के परिणामस्वरूप जनसाधारण के मन में बेरोजगार हो जाने का संदेह पैदा हुआ है और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्वर्ण नियंत्रण आदेश को समाप्त कर देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं । स्वर्ण नियंत्रण से अन्य बातों के साथ साथ, देश के अन्दर सोने के लेन-देन पर नियंत्रण की व्यापक प्रणाली द्वारा तस्करी विरोधी उपायों की पूर्ति होती है, जिससे चोरी छिपे लाये गये सोने का देश में लेन-देन कठिन हो जाय ।

(ख) विधिवत् माध्यमों से सोना सीमित मात्रा में मिलने के कारण सोने का व्यापार बहुत अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे सकता । 1963 में जब स्वर्ण नियंत्रण लागू किया गया था उस समय 14 करट से अधिक शुद्ध सोने के आभूषणों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लग जाने से कुछ बेकारी हुई थी । नवम्बर, 1966 में इस पाबन्दी के हट जाने से बेरोजगारी का मुख्य कारण हट गया है । फिर भी जो स्वर्णकार, स्वर्ण परिशोधक और लघुव्यापारी दूसरे धन्धों में जाना चाहते थे, उनको पुनर्वास सहायता दी गई । स्वर्णकार और उनके परिवार के अधिकांश सदस्य स्वर्णकारी का काम करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं । स्वर्ण परिशोधक और जो व्यक्ति पहले सोने का व्यापार करते थे वे भी स्वर्ण व्यापार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये जाते हैं । देश में पैदा सोने वाले होने का अधिकांश भाग औद्योगिक प्रयोग के लिए दिया जाता है और इसे विभिन्न उद्योगों में विविध प्रयोग के लिए जारी करने के अलावा वर्तमान कारखानों को अधिक कोटा दिया जाने लगा है, जिससे इन उद्योगों में और इन उद्योगों के उत्पाद का उपयोग करने वाले उद्योगों में भी रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हुए है ।

(ग) जी नहीं ।

क्रासवर्ड (शब्द पहेली) पुरस्कारों को कर से मुक्त किया जाना

5313. **श्री बरके जार्ज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्रासवड पुरस्कारों को कर से मुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं । वर्ग पहेलियां जीतने से हुई आय को, सरकार आयकर से मुक्त करने का विचार नहीं रखती ।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

Seizure of Gold Biscuits and Jewellery in Old Delhi

5314. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether gold biscuits and jewellery worth more than seven lakh of rupees were recovered from a person of old Delhi in March, 1973 ; and

(b) if so, the number of persons involved and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On the night of 7th/8th March, 1973, 209 gold biscuits and jewellery in all worth about Rs. 7 lakhs were recovered from two premises in old Delhi.

(b) Two persons have been arrested so far. Further investigations are going on.

आय-कर निर्धारण में छूट

5315. **श्री अम्बेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर साइकिल रखने वाले कर्मचारी को 75 रुपया प्रतिमास की दर से तथा साइकिल रखने वाले अथवा बस से जाने वाले अथवा पैदल जाने वाले कर्मचारी को 50 रुपया प्रतिमास की दर से बारह महीनों की अवधि के लिए मानक कटौती में छूट दी जाती है यदि कर्मचारी एक कलैंडर महीने तर कार्यालय में अर्जित छूट्टी, प्रसूति अवकाश (केवल महिला कर्मचारी), स्कूल अध्यापकों के मामले में अवकाश के समय, चिकित्सा आधारों पर छूट्टी और निलम्बन आदि के कारण उपस्थित नहीं होता ; और

(ख) यदि उपर्युक्त अवधि के लिये कोई छूट नहीं दी जाती, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई कर्मचारी जो किसी विशेष कैलेण्डर महीने की पूरी अवधि के लिए छूट्टी पर हो, मुअत्तिल, आदि हो, वह उस महीने के लिए मानक कटौती का हकदार नहीं होगा।

(ख) धारा 16 (iv) के अन्तगत कटौती, नियोजन के प्रयोजन के लिए की गई यात्रा के व्यय के संबंध में है। जब कोई व्यक्ति किसी महीने में अपने सरकारी कार्य नहीं करता तो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने कार्यों के प्रयोजन के लिए सवारी पर कोई व्यय किया है। अतः ऐसे महीने में इस प्रकार के व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जा सकती।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विकास कार्यों में प्रगति

5316. **श्री वयालार रवि :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) 1973–74 के दौरान किये जाने वाले विकास कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सीमा शुल्क-खण्ड के निर्माण का कार्य, तथा वर्तमान टर्मिनल भवन के विस्तार, परिवर्धन और परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है और इस कार्य के 1973 में पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) धावनपथ के और आगे विस्तार व उसे मजबूत करने का कार्य, तथा विमान क्षेत्र के चारों ओर चिनाई दीवार का निर्माण-कार्य 1973-74 में हाथ में लिया जायेगा। त्रिवेन्द्रम में विभिन्न विकास-कार्यों एवं भूमि अधिग्रहण पर वर्ष 1973–74 में 14.64 लाख रुपये का व्यत होने का अनुमान है ।

केरल में उपलब्ध निर्यात योग्य सेलखड़ी

5317. **श्री वयालार रवि :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के शरटल्लेरी तटीय क्षेत्र में भारी मात्रा में निर्यात योग्य सेलखड़ी उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्यात के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत से सिलिका सैंड की निर्यातों की सम्भाव्यताएं उत्साहजनक नहीं हैं क्योंकि उच्च भाड़ा प्रभारों के कारण हमा सिलिका अप्रतियोगी बन जाता है । तथापि, इसके निर्यातों की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिय प्रयास किये जा रहे हैं ।

इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात

5318. **श्री एस० एम० संजीवी राव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में कितने इलैक्ट्रानिक सामान का उत्पादन हुआ तथा उक्त अवधि में कितने सामान का निर्यात हुआ तथा विश्व में हुए इलैक्ट्रानिक सामान के व्यापार की तुलना में इस निर्यात के आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इलैक्ट्रानिक की किन मख्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तथा किन देशों को किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और जितनी उपलब्ध हो जायेगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता इंश्योरेंस लिमिटेड में नियुक्त फील्ड आफीसरों का वेतन

5319. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद कलक त्ता इंश्योरेंस लिमिटेड के कुछ फील्ड आफीसरों को प्रतिमास केवल एक सौ रुपया कुल वेतन मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) तथा (ख) स्थिति का पता लगाया जा रहा है ।

काहिरा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारत का भाग लेना

5320. **श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत काहिरा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मले में इस महीने के दौरान भाग लेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो मेले में भाग न लेने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (जी नहीं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने सम्बन्धी विनिश्चय एक अन्त: विभागीय समिति द्वारा किया जाता है। आयोजनों के चयन के समय ध्यान में ख जाने वाले तथ्यों में से एक यह है, कि विभिन्न क्षेत्र तथा प्रदेश सीमित संसाधनों के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार कुछ स्थानों पर प्रति वर्ष भाग लेना सम्भव नहीं हो पाता है । भारत ने अन्तिम वार काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय मेले में मार्च 1972 में भाग लिया ।

'द मैट्रो मिस्ट्री'

5321. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाले 30 नवम्बर, 1972 के 'इकनामिक टाइम्स में 'द मेट्रो मिस्ट्री' शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान इस विषय पर अतारांकित प्रश्न संख्या 4359 की ओर दिलाया जाता है, जिसका उत्तर सदन में 23 मार्च, 1973 को दिया गया था ।

चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण

5322. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**
श्री गदाधर साहा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के अपने एक वक्तव्य में मंत्री महोदय ने चाय वागानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की बात कही थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने यह वक्तव्य किस आधार पर दिया था ;

(ग) क्या देश में संकट ग्रस्त चाय बगानों की संख्या लाभ कमाने वाले बागानों से अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग चाय बागानों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) 'टी प्लान्टेशन नाट टू बी टेकिन ओवर' शीर्षक से जो वक्तव्य 17–2–73 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ था वह चाय बागानों को सरकारी अधिकार में लेने के संबंध में उत्पन्न आशंका को दूर करने के लिये वाणिज्य मंत्री द्वारा दिया गया था ।

(ग) तथा (घ) 24–6–70 को चाय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक उप-समिति ने सभी उत्पादक संघों से उन बागों के सम्बन्ध में जानकारी मांगने के लिये एक प्रश्नावली जारी की, जो स्वयं को अलाभकारी समझते हैं। अब तक प्राप्त उत्तरों पर समिति विचार कर रही है । उप-समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो

जाने के पश्चात ही देश में ऐसे बागों की कुल संख्या अभिज्ञात करने तथा उनका अनुमान लगाना सम्भव होगा ।

विमानों के लिए 'फिजियोग्राफर' का निर्माण

5323. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगा देव :
क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'फिजियोग्राफर' नामक इलेक्ट्रोनिक उपकरण, जिसे सुरक्षा के लिये विमानों में प्रयोग हेतु पोलेण्ड द्वारा विकसित किया गया है, के निर्माण के लिये एक फैक्ट्री स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी कब तक स्थापित कर दी जायेगी और यह कहां पर स्थापित की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) हमारे नागर विमानन विभाग को "फिजियोग्राफर" नाम के उपकरण तथा इसके उपयोगों के बारे में कोई सूचना नहीं है । इसका भारत में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Public Sector Industries in Ladakh

5324 **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up industries in the public sector in Ladakh district of Jammu and Kashmir to remove unemployment and underemployment among persons skilled in Pashmina, wool and other handicraft ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) No, Sir. There is no such proposal.

However, the Government of Jammu & Kashmir propose to give training to seventy candidates on a monthly stipend in Pashmin shawl weaving, carpet weaving, namdha making namdha embroidery and machine knitting during the year 1973-74 in Ladakh District of Jammu & Kashmir. They also propose to set up a divisional office for handicrafts in LadakhD istrict for the development of handicraft during 1973-74.

गुटकों (पैलट्स) के रूप में लौह अयस्क का निर्यात

5325. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से गुटकों (पैलट्स) के रूप में निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) छुरों के रूप में लौह अयस्क के निर्यात से प्रति वर्ष इस देश को कितनी बचत हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान लौह अयस्क के सम्बन्ध में गुटकों (पैलट्स) के रूप में निर्यातित लौह अयस्क की प्रतिशतता मशः 2.4 तथा 2.0 प्रतिशत थी ।

(ख) लौह अयस्क फाइन्स की अपेक्षा 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान लौह अयस्क गुटकों (पैलट्स) के निर्यात से अर्जित अतिरिक्त विदेशी मुद्रा क्रमशः 2.09 तथा 1.85 करोड़ रु० के लगभग थी ।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बारे में समाचार

5326. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1973 के 'दि इंडियन एक्सप्रैस' में "मैंगनीज और एक्सपोर्ट नोट जस्टीफाइड" (मैंगनीज अयस्क के निर्यात का अनौचित्य) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मैंगनीज युक्त अयस्क के सन्दर्भ में मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध लागू करने का विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है। यह प्रतिबंध निम्नतर ग्रेडों की अपेक्षा उच्चतर ग्रेडों के संबंध मे अधिक होगा ।

दिल्ली हवाई अड्डे में कूटनीतिक कर्मचारियों और सीमाशुल्क गोदाम के अधिकारियों के बीच सांठगांठ

5327. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे के सीमाशुल्क गोदाम के कुछ उच्च अधिकारियों का राजधानी के कुछ दूतावासों के अधिकारियों के साथ मिली भगत होने का पता चला है और ये अधिकारी निषिद्ध वस्तुओं को 'कूटनीतिक सामान' के रुप में गोदाम से बाहर निकालते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी को ऐसा नहीं पाया है जिसकी राजनयिक अधिकारियों के साथ साठ-गांठ हो ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी सहायता में कमी

5328. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 में विदेशी सहायता में कमी हुई है ; और

(ख) क्या इसका कारण विशेषकर अमरीका से सहायता उपलब्ध न होना है अथवा आत्मनिर्भरता सबंधी हमारी नीति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) गत दो वर्षों के मुकाबले 1972–73 के वर्ष में विदेशी सहायता के वचनों में कमी हुई है ।

(ग) 1972–73 में सहायता के वचनों में कमी अशंतः आत्मनिर्भरता की नीति का अनुसरण करते हुए अन्न सहायता न मांगने और कुछ हद तक अमरीकी सहायता के वचनों में कमी होने की कारण हुई है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए दिल्ली बैंक संघ द्वारा दिया गया ऋण

5329. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बैंक संघ ने उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए ऋण देने सम्बन्ध बैंकों के दिए गए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत ऐसा किया गया था ; और

(ग) क्या कई राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए इसी प्रकार के ऋण देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 21 मार्च, 1973 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार प्राधिकार योजना के अन्तगत, अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अग्रिम दिये जाने से पूव रिजव बैंक से पूर्वप्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है ।

लौह-अयस्क की सप्लाई के बारे में भारत-चेकोस्लोवाकिया करार

5330. **श्री एम० एस० संजीव राव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में लौह अयस्क सप्लाई करने के लिये भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक दीर्घावधि करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) करार के अन्तर्गत मई, 1974 से 2 वर्षों के दौरान 21 लाख मे० टन की कुल मात्रा के निर्यात की व्यवस्था है। मूल्य, विशिष्टियों, नौवहन कायक्रम तथा अन्य पहलुओं पर प्रतिवर्ष वार्ता की जाएंगी ।

मछलियों का निर्यात

5331. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बैंकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा मात्रावार कुल कितनी मछलियों का निर्यात किया गया ;

(ख) किन किन राज्यों से निर्यात किया गया ; और

(ग) किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1969–70, 1970–71 तथा 1971-72 के वर्षों में निर्यात की गई मछली की कुल मात्रा क्रमश: 29,500, 32,300 तथा 32,700 मे० टन थी ।

(ख) मछली उत्पाद का अधिकांश भाग केरल से निर्यात किया जाता है और उसके बाद तमिलनाडु महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात आदि आते ह ।

(ग) हमारे डिब्बाबन्द तथा जमाये हुए समुद्री उत्पादों का अधिकांश भाग अमेरिका तथा जापान लेते हैं और उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय देश, जैसे कि बल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, डेन्मार्क आते हैं । सुखाई हुई मछली का प्रमुख बाजार श्रीलंका है ।

मछलियों के निर्यात में सुधार लाने के लिए सर्वेक्षण

5332. **श्री बैंकारिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलियों के निर्यात में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समुद्री उत्पादों के संबंध में भारत की निर्यात संभाव्यता का सर्वेक्षण 1969 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किया गया था ।

(ख) इस सर्वेक्षण ने समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढाने के लिए जिन विभिन्न उपायों की सिफारिश की वे है : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन, अधिक ट्रालर्स चलना, मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नावों के लिए शुल्क मुक्त डीजल तेल देना आदि । सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना पहले ही कर दी है और इस उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ।

काफी, चाय और रबड़ के सम्बन्ध में अनुसंधान

5333. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी, चाय और रबड़, जिनसे वस्तुतः अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुसंधान नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । चाय, काफी तथा रबड़ के सम्बन्ध में पर्याप्त गवेषणा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Financial Assistance to Madhya Pradesh due to Drought

5334. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether about 34 Districts of Madhya Pradesh are in the grip of drought as a result of which about two-third kharif crop has been damaged ;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for Rs. 22 crores from the Central Government for relief works ; and

(c) if so, the amount given to Madhya Pradesh for relief works so far and the remaining amount still to be given as also the time by which this amount is likely to be given ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) According to the memorandum furnished by the State Government 30 districts in the State have been affected by drought. Firm estimates of loss of production in kharif were, however, not furnished.

(b) and (c) According to the State Government's estimates, a total amount of Rs. 24.3 crores is required for various relief measures necessitated on account of drought during the current and the next financial years. This has been examined by the Central team that visited the State recently to make an on-the-spot assessment of the situation and their requirement of funds for purposes of Central assistance. The report of the team is being finalised. Central assistance will be made available to the State in the light of the recommendations of the Central team.

बल्गारिया से यूरिया का आयात

5335. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बल्गारिया से यूरिया आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) एक लाख मे० टन ।

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग की स्थापना

5336. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में पटसन उद्योग की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उत्तर बंगाल के जिलों में ऐसे उद्योग स्थापित करने की सम्भाव्यता का अध्ययन करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

हिमाचल प्रदेश में छोटे उद्योग मालिकों से ऋण की वसूली

5338. **श्री पन्नालाल बारुपाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के छोटे उद्योग मालिकों से, जिन्होंने सरकार एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर उद्योगों की स्थापना की थी और अब वे उद्योग तकनीकी और वित्तीय सहायता के अभाव में बन्द पड़े हैं, ऋण वसूल करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में छोटे उद्योग धंधों के स्वामियों को दिये गये ऋणों की वसूली पार्टियों द्वारा ऋणों की स्वीकृति के समय तय की गयी शर्तों के अनुसार की जाती है । यदि कुछ मामलों में, ऋण कर्ताओं से बस से बाहर की कठिनाइयों के कारण विद्यमान शर्तों में कछ परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो वाणिज्यिक बैंक ऋण-कर्ताओं के आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

रूस से रुई का आयात

5339. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष रूस से रुई का आयात करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कितने मूल्य की रुई आयात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973-74 के लिए रुई संपरिवर्तन सौंदे के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों की यात्रा करने के लिये पर्यटकों पर लगी रोक हटाने सबंधी निर्णय

5340. **श्री राम भगत पस्वान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के कुछ क्षत्रों की यात्रा करने के लिये पर्यटकों पर लगी रोक हटाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पूर्वी प्रदेश के रूप में उस प्रदेश के किसी क्षेत्र में जाना निषिद्ध नहीं है, तथापि उस प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जाने के लिये विशेष रूप से परमिट लेने पड़ते हैं। परमिटों के लिये आवेदन-पत्रों पर यथा-योग्य रूप से विचार किया जाता है।

Setting up of a Jute Factory in Bihar

5341. **Shri K. M. Madhukar. :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have examined the question of opening a jute factory at Chakia in Bihar, where raw jute is available in sufficient quantity ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The Central Government have requested the Bihar Government to submit concrete proposals for setting up one new jute mill in the State. Proposals in this behalf are still awaited from the State Government. It is for the State Government to select the suitable location for the mill.

फिल्म कम्पनियां तथा निर्माताओं को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

5342. **श्री लालजी भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73 में विदेश में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए विभिन्न फिल्म कम्पनियों तथा फिल्म निर्माताओं को कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : 1972–73 में (20 मार्च 1973 तक) फिल्म कम्पनियों और फिल्म निर्माताओं को दी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा

कम्पनी का नाम	दी गई विदेशी मुद्रा (पौण्डों में)
1. मेसर्स माया मूवीटोन, 747, स्वामी विवेकानन्द रोड बम्बई-52	924.00
2. मेसर्स नवकेतन इंटरनेशनल फिल्मस् (प्रा) लि० स्वामी विवेकानन्द रोड बम्बई-52	1000.00

3—7 L.S.S./73

औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम का कार्यकरण

5343. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निकाय के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड के आन्तरिक संगठनात्मक ढांचे और कार्य में, धीरे, धीरे, जहां तक सम्भव है, इन संस्थाओं के प्रबन्धक वर्गों द्वारा विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के मामले में निगम के बोर्ड ने अपनी कुछ एक शक्तियों निगम के अध्यक्ष को दे दी है । इसी प्रकार मुख्य कार्यालय के कुछ एक कार्य, सहायता की मंजूरी और वितरण को छोड कर शाखा/उप-कार्यालयों को सौंप दिये गये हैं ।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड के मामले में इस निगम के निदेशक बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये तक की सीमा तक ऋण सहायता स्वीकार करने का अधिकार दे दिया है । इस निगम के दो प्रादेशिक कार्यालयों को परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और स्वीकृति के बाद के सभी मामलों के सम्बन्ध में निगम के ग्राहकों और निगम के बीच सम्पर्क स्थापित करने का अधिकार दिया गया है ।

(ख) उस प्रकार के विकेन्द्रीकरण के लिए ये कारण हैं :–

(i) सहायता पाने के इच्छुक व्यक्तियों को संस्थाओं के पास उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में उत्तम सूचना माध्यम प्रदान करना ;

(ii) वित्तीय सहायता के लिए निगम की अपेक्षाओं के अनुसार पात्र परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने वाली औद्योगिक कम्पनियों का मार्ग-दर्शन करना ;

(iii) विशेष रूप से नये उद्यम कर्ताओं को तकनीकी सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करना ;

(iv) देश के प्रत्येक भाग की औद्योगिक क्षमता/सम्भावनाओं का अनुमान लगाने और राज्य सरकारों एवं राज्यस्तर की अन्य संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए अच्छी स्थिति में होना ; और

(v) जिन स्थानों पर सहायता प्रदत्त कम्पनियां स्थित हैं उन स्थानों के बार बार दौरे कर के अधिक कारगर पर्यवेक्षण और सम्पर्क स्थापित करना ।

जम्मु-कश्मीर में हथकरघा श्रमिकों के लिए कच्चे माल की कमी

5344. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में हथकरघा श्रमिकों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड रहा रहा है और उनमें काफी क्षमता बेकार है ; और

(ख) यदि हां, तो संकट का सामना करने के लिए उन्हें यदि कोई सहायता दी गई है अथवा दी जा रही है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य से सूत, रेशम तथा रेयान, नायलन धागे की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, राज्य में ऊनी हथकरघा द्वारा अपेक्षित ऊनी धागे की कमी तथा उसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बेकार पड़ी क्षमता के बारे में रिपोर्ट मिली है । राज्य को ऊन के अतिरिक्त कोटे के आबंटनके प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा चेकोस्लोवाकिया के मैटलीमैक्स फौरन ट्रेड कार्पोरेशन के साथ लोहे के निर्यात के लिये किया गया करार

5345. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री श्रीकिशनमोदी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चैकोस्लोवाकिया मैटलीमैक्स फारेन ट्रेड कार्पोरेशन के साथ, वर्ष 1973-74 में लोहे के निर्यात के लिये करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने लोहे के निर्यात के लिए करार किया गया है ;

(ग) क्या वर्ष 1974-75 और 1975-76 में लोहा सप्लाई करने के लिए कोई अन्य समझौता किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 9.40 लाख मे० टन ।

(ग) जी हां ।

(घ) करार के अन्तर्गत मई, 1974 से अप्रैल, 1976 की दो वर्ष की अवधि के दौरान 21 लाख मे० टन की कुल मात्रा के निर्यात की व्यवस्था है । मूल्य विशिष्टियों, नौवहन कार्यक्रमों तथा अन्य पहलुओं पर प्रतिवर्ष वार्ता की जाएगी ।

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त करने के लिए अनुरोध

5347. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ ने केन्द्रीय सरकार से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त कर देने का अनुरोध किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में घटौती करने के बारे में सम्बन्धित पक्षों से, जिनमें गोआ, दमन तथा दीव की सरकार शामिल है, आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के महासंघ द्वारा मांग दिवस मनाया जाना

5348. श्री विभूति मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों का महासंघ वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल, 1973 को मांग दिवस मना रहा है ;

(ख) क्या उन्हों ने अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिये अप्रैल मास के लिये अनेक कार्यक्रम बनाये हैं ; और

(ग) इस सम्बध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) से (ग) कुछ समाचार पत्रों में समय समय पर इस आशय की खबरें छपी हैं कि यदि तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र पेश नहीं की गई तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ संस्थाएं कुछ कदम उठायेंगीं। पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि तृतीय वेतन आयोग की अन्तिम रिपोर्ट 31 मार्च 1973 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

अफगानिस्तान में संयुक्त औद्योगिक समूह स्थापित करने का प्रस्ताव

5349. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफगानिस्तान में संयुक्त औद्योगिक समूह स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से अफगानिस्तान सरकार द्वारा काबूल के नजदीक एक औद्योगिक बस्ती स्थापित की जा रही है।

(ख) बस्ती में औद्योगिक शेड, एक सामान्य सुविधा केन्द्र तथा एक प्रशासनिक खण्ड होगा। अफगानिस्तान के उद्यमियों को औद्योगिक शेड, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए पट्टे पर दिये जायेंगे। सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए अपेक्षित मशीनों की भारत सरकार द्वारा सप्लाई की जायेगी। एक चार-सदस्यीय भारतीय विशेषज्ञ दल ने उन लघु उद्योगों के बारे में अभी हाल में एक रिपोर्ट पूरी की है जो उस बस्ती में स्थापित किये जा सकते हैं। 3 वर्षों की अवधि के लिए हमारा वित्तीय योगदान फिलहाल 25 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

Loss incurred by Export of Goods to USSR and East European Countries

5350. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the extent of loss incurred by India as a result of export of goods to the Soviet Union and East European Countries during 1971-72;

(b) the names of the articles exported and the names of the East European countries to which these articles were exported; and

(c) the reasons for incurring the loss by India in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Exports to the Soviet Union and East European countries, as to other territories, take place under world competitive prices, and, therefore, the question of loss does not arise.

(b) A list of principal commodities exported to East European Countries is annexed These articles are exported to Bulgaria, Czechoslovakia, G.D.R., Hungary, Poland, Rumania, USSR and Yugoslavia.

(c) Does not arise.

Statement

1. Cashew Kernels.
2. Coffee.
3. Tea.
4. Spices.
5. Oil Cakes.
6. Unmanufactured tobacco.

7. Cigarettes.
8. Mica.
9. Iron Ore.
10. Vegetable oil.
11. Chemicals.
12. Essential Oils.
13. Medicines & Pharmaceuticals.
14. Leather.
15. Coir Yarn & Manufactures.
16. Cotton manufactures.
17. Rubber manufactures.
18. Jute manufactures.
19. Footwear.
20. Iron & Steel.
21. Raw Cotton.
22. Engineering goods.

Number of Air Crashes of planes of Indian Airlines, Air India and Foreign Airlines in India during 1972-73

5351. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of air crashes of the planes of Indian Airlines, Air India and Foreign Airlines in India during 1972-73;

(b) the extent of loss suffered as a result thereof and the number of casualties in these air crashes; and

(c) the amount of compensation paid to the dependents of those persons by Government?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) Three aircraft belonging to Indian and foreign airlines were involved in air crashes in India during the period 1st January, 1972 to date. A statement giving the requisite information is attached.

[Placed in Library. See. No. L. T. 4669/73.]

Seizure of Rags

5352. **Shri Dhan Shah Pradhan** ; Will the Minister of **Finance** be pleased to state the quantity of imported wool and ready made clothes seized as "rags" during 1972?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : During 1972 the Customs authorities seized 16,452 bales of old discarded garments and some discarded garments imported against licences of woollen rags.

देश मे विमान टैक्सी सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

5353. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान टैक्सी सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में आरम्भ की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख): फिलहाल इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

Steps for Development of Khadi Gramodyog during the last three years

5354. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the steps taken for the development of Khadi Gramodyog during the last three years;

(b) whether Government are considering a scheme to provide facilities to Khadi weavers besides giving facilities to Khadi users; and

(c) if so, the broad outlines of the said scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) (a). The steps taken for the development of Khadi Gramodyog by the Khadi and Village Industries Commission, Bombay during the last three years are as follows :—

(i) Efforts of earlier years, initiating technological improvement both in equipment and processing techniques, have been continued.

(ii) Some major improved implements like six-spindle new model charkha sets, two spindle new model charkha sets to replace traditional charkhas on a phased basis and improved new model sevagram looms, pre-weaving processes and aequipments were introduced. The Khadi and Village Industries Commission has already distributed 760 looms with preweaving equipment 8975 six-spindle new model charkhas and 30,000 two-spindle charkhas.

(iii) Improvements in Silk Waste Spinning Units and Muslin Spinning Charkha Sets; power operated Ghanis, hand/power operated dehuskers/polishers, composite units to replace hullers, Standard lime manufacturing kilns and Gobar Gas plants of varying capacities were also improved.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Names of places to be developed as Tourist Centres during Fifth Plan

5355. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the names of places proposed to be developed as tourist centres by the Central Government during the next Five year Plan ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): Tourism schemes to be included in the Fifth Plan are under formulation and have not yet been finalised.

गुजरात में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये 1973-74 में नियत राशि

5356. **श्री वेकारिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में 1973-74 के दौरान कितने और कौन कौन से पर्यटन केन्द्रों का विकास किया जाना है ; और

(ख) इस उद्देश्य से कुल कितनी धन-राशि नियत की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख): 1973-74 के दौरान सासनगिर और गांधी नगर में क्रमशः एक विश्राम-गृह और यवा होस्टल के निर्माण पर 11.60 लाख रुपये का व्यय होने की संभावना है ।

नये कराधान प्रस्तावों के परिणामस्वरूप शेयर बाजार में तेजी

5357. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में "फ्लेअर अप इन स्टाक मार्केट्स एज चव्हाण लैट्स आफ कम्पनीज लाइटली ओवर टैक्सेज" (चव्हाण द्वारा करों के मामले में कम्पनियों को छोड़ देने से शेयर बाजार में तेजी) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त विधेयक, 1973 में व्यापक रूप से नियन्त्रित कम्पनियों के मामले में आय-कर अथवा अधिकर की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि इसमें अधिनियंत्रित औद्योगिक कम्पनियों के बारे में कर का दायित्व बढ़ाया गया है। इक्विटी शेयर मूल्यों में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्षमता का बेहतर उपयोग निगमित क्षेत्र का अच्छा कार्य-निष्पादन, अच्छे शेयरों के चल-स्टाक में कमी, नये शेयर जारी होने में मन्दी, पिछड़े इलाकों और चुनींदा क्षेत्रों में उद्योगों के लिए नए कर प्रोत्साहन के बारे में घोषणा और व्यापक रूप से नियंत्रित कम्पनियों पर नए प्रत्यक्ष कर भारों का अभाव। यह, किसी हद तक देश में निवेश के वातावरण में सुधार की द्योतक है।

समुद्रीय उत्पादों का निर्यात

5358. **श्री बी० वी० नायक :**

श्री भागिरथ भंवर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1972 से दिसम्बर 1972 तक इस देश से निर्यात किये गये समुद्रीय उत्पादों की कुल मात्रा और उनका मूल्य क्या था; और

(ख) निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित हुई और इस विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने के कारण मछुओं को क्या लाभ उपलब्ध किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जनवरी, 1972 से दिसम्बर 1972 के दौरान इस देश से लगभग 38,271 मे० टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 58.13 करोड़ रु० होने का अनुमान है। पंजीकृत निर्यात कीं हेतु आयात नीति के अन्तर्गत मछली तथा मछली उत्पादों, फिशिंग हुक्स, पैकेजिंग सामग्री, टिनप्लेट, मैरीन डीजल इंजनों हेतु फालतू पुर्जों, रेफ्रिजरेशन मशीनरी, केनिंग मशीनरी आदि के आयात की अनुमति है।

करेंसी के मूल्य में अनिश्चितता के कारण निर्यातों में कमी

5359. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च 1973 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार डालर के अवमूल्यन के फलस्वरुप रिजर्व बैंक द्वारा "फारवर्ड कवर" के निरन्तर स्थगित रहने तथा पौंड, मार्क, डॉलर अथवा येन के करेंसी मूल्य में अनिश्चितता के कारण निर्यातक नये आर्डर प्राप्त करने में अब हिचकचाने लगे हैं और वे इस समय किये जा रहे निर्यात को स्थगित रख रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी-मार्च में निर्यात में कितनी कमी हुई और वे मुख्य वस्तुएं कौन सी हैं जिनके निर्यात में कमी हुई है ; और

(ग) व्यापार में पुनः सामान्य स्थिति लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मूल्यों के उतार-चढ़ाव का हमारे निर्यातों पर पड़ने वाले प्रभाव का सही-सही मूल्यांकन करना कठीन है। फरवरी-मार्च, 1973 के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। रिजर्व बैंक द्वारा 13-2-73 से स्टलिंग की जो अग्रिम खरीदारियां निलम्बित कर दी गई थी वे 8-3-1973 से 6 माह तक की अवधि के लिए पुनः चालू कर दी गई हैं। स्टर्लिंग की अग्रिम खरीदारी करने की दरें वे ही थीं जो 13-2-73 से पहले चालू थीं। इस उपाय का अभिप्राय निर्यातकों को कुछ सीमा तक रक्षात्मक सुविधाएं प्रदान करना था ताकि निर्यातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सकें।

दुर्लभ मुद्रा क्षत्रों को किए जान वाले निर्यात में कमी

5360. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालर अवमूल्यन और भाड़े की दर में वृद्धि के कारण दुर्लभ मुद्रा वाले क्षत्रों को किए जाने वाले निर्यात में कमी आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में मदवार निर्यात में कमी होने का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अमरीकी डालर का 12 फरवरी, 1973 को 10% अवमूल्यन किया गया था। पाउण्ड स्टर्लिंग का खुला छोड़ा जाना अभी जारी है और चूंकि रुपया पाउण्ड अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अतः डालर की तुलना में स्टर्लिंग के मूल्य में जितनी वृद्धि हुई है उतने ही प्रतिशत वृद्धि रुपये के मूल्य में हुई है। जापानी येन तथा जर्मन डच मार्क की तुलना में स्टर्लिंग के मूल्य में जितनी कमी हुई है उतनीही प्रतिशत कमी रुपय के मूल्य में हुई है। डालर अवमूल्यन तथा उसके परिणामस्वरूप भाड़ा दरों में वृद्धि के फलस्वरूप दुलभ मुद्रा क्षत्रों को हमारे निर्यातों पर निम्न-लिखित ढंग से प्रभाव पड़ने की आशंका है :—

(1) ब्रिटन के बाजार को हमारे निर्यातों पर और साथ ही हमारे उन निर्यातों पर जिनके बीजक पाउण्ड में बनाये जाते है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि पाउण्ड रुपया दर में परिवर्तन नहीं हुआ है।

(2) संयुक्त राज अमरीका को हमारे निर्यातों के संबंध में अमरीकी डालर की तुलना में रुपय में सीमान्त वृद्धि होने के कारण ठेस पहुंच सकती है।

(3) भारतीय रुपय की तुलना में डच मार्क तथा यन की वृद्धि से हमारे निर्यातक इन बाजारों में और साथ ही तृतीय देशों के बाजारों में इन देशों के उत्पादों के संबंध में प्रतियोगी स्तर पर पहुंच सकेंगे।

(ख) इस अवधि के दौरान निर्यातों में गिरावट के मदवार ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवृत्तियों के प्रभावों पर कड़ी निगरानी रखती है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी कि हमारी निर्यात आय को बढ़ाने के मूल उद्देश्य को क्षति न पहुंचे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा ढांचे में सुधार के प्रश्न पर बीस की समिति द्वारा विचार किया जा रहा जिसका भारत सदस्य है। हम इस तथा अन्य दिशाओं में ऐसे प्रबंध करने के लिए प्रयत्नशील है जिनमें विकासशील देशों की उपर्युक्त लिक्विडिटी संबंधी आवश्यकताओं, व्यापार तथा विनियम दरों की स्थिरता तथा विश्व व्यापार के क्रमिक विकास की व्यवस्था हो।

उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण मूल्यों में वृद्धि

5362. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क में हाल हो में हुई वृद्धि के कारण सिग्रेटों, विद्युत उपकरणों, बढ़िया और बहुत बढ़िया कपड़े, मिश्रित कपड़े जैसी विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में काफी तेजी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के वर्तमांन और जनवरी, 1973 के तुलनात्मक मूल्य क्या है ; और

(ग) उत्पादन-शुक्ल की वृद्धि के अनुपात में मूल्यों में कितनी तेजी आई है और अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सिगरेट, मिश्रित वस्त्र तथा बढ़िया एवं बहुत बढ़िया सूती वस्त्र जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। किन्तु, इसके बारे में यह उल्लेखनीय है कि बिजली के घरेलु उपकरणों जैसी कुछ वस्तुओं के लिये अंतिम उपभोक्ता मूल्य, न केवल तैयार उत्पादों पर उत्पादन शुक्ल में वृद्धि होने पर, अपितु तांबे तथा अन्य कच्ची सामग्रियों पर आयात शुक्ल में वृद्धि होने पर भी निर्भर करते है।

मुल्यो में उतार-चढ़ाव के कारण स्थिति में सुधार लाने के लिये उपाय करने के निमित्त स्थिति पर निगरानी रखी जाती है।

केन्दु पत्ते सम्बन्धी सौदा

5363. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा 1970 और 1972 के दौरान किए गए केन्दु पत्तों के सौदों के संबंध में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा निगमित कराधान में कमी करने के सुझाव

5364. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नीतियों में इस प्रकार के परिवर्तन की मांग की है जिससे कि बचत बढ़े और निगमित कराधान में कमी करके उसे 50 प्रतिशत के समान स्तर तक लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन की मांग की गई है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। 8 मार्च 1973 के फाइनैंशल एक्सप्रेस में छपे समाचार से ऐसा लगता है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों की फेडरेशन ने 'ऐसी कराधान-नीति की मांग की है जिसका लक्ष्य बचत कार्य को तरजीह देना हो और निगम-कराधान को कम करके 50 प्रतिशत के समानस्तर पर लाना हो'।

(ख) उपर्युक्त प्रेस समाचार के अनुसार भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों की फेडरेशन द्वारा बचतों तथा निवेश को बढ़ाया देने के लिए जो मुख्य-मुख्य वित्तीय परिवर्तन सुझाए हैं वे इस प्रकार हैं :-

(i) व्यक्ति-आय पर कराधान की अधिकतम सीमान्त दर को कम करके 75 प्रतिशत तक लाना, जैसा कि वांचू समिति ने सुझाया है।

(ii) उद्यमों को, पिछड़े हुए इलाकों में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निवेश करने के लिए, लाभों के किसी प्रतिशत को, कर-मुक्त आधार पर, अलग रखने की अनुमति देना।

(iii) बचतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी नीतियां अपनाना।

(iv) बजट भाषण में घोषित आरम्भिक 20 प्रतिशत मूल्यहास छूट की अपेक्षा विकास छूट के स्थान पर अधिक ठोस प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

(v) निगम कराधान के भार को कम करके आय के 50 प्रतिशत के समान स्तर पर लाना।

इस दिशा में सरकार की स्थिति को बजट प्रस्ताओं में स्पष्ट किया गया है।

आयकर की बकाया राशि

5365. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73 के अंत पर आयकर का, राज्यवार, बकाया क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : आयकर से सम्बन्धित आंकड़े आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों के अनुसार रखे जाते है, राज्यवार नहीं। वर्ष 1972-73, 31 मार्च 1973 को समाप्त होगा। 1972-73 के अन्त में आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों के अनुसार वसूल होने वाले आयकर की बकाया के बारे में सूचना वर्ष 1972-73 के पूरा होने के बाद उपलब्ध होगी और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

रुपये के मूल्य में कमी

5366. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में 'रीयल वेल्यू रुपीज फालन टू 39.2 पैसे' '(रुपये का वास्तविक मूल्य 39.2 पैसे रह गया है)' शीर्षक की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाचर 23 फरवरी 1973 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 613 के सम्बन्ध में दिये गय उत्तर पर आधारित है जिसमें यह बताया गया था कि रुपये का मूल्य दिसम्बर 1967 में 46.7 पैसे की तुलना में घट कर दिसम्बर 1972 को 39.2 पैसे हो गया अर्थात् इसमें 16 प्रतिशत की कमी हो गई।

(ख) रुपये की क्रय शक्ति में यह कमी पांच वर्ष में हुई है। सरकार उपभोक्ताओं के खास कर समाज के कमजोर वर्गो के हितों की रक्षा करने की जरूरत को स्वीकार करती है, और सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये हैं। "पांचवी पंचवर्षीय आयोजना—1974-79 के प्रति दृष्टिकोण" में बड़ पैमाने पर काम में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा मूल्यों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनाये रखने पर विशेष जोर दिया गया है।

पटसन उद्योग को अनुसंधान के लिये सहायता

5367. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग को अनुसंधान के लिये सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को अनुसंधान के लिये जो सहायता दी जायेगी उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या वैज्ञानिक अनसंधान के क्षेत्र में हमारे द्वारा अपेक्षित विकास न किये जाने के कारण पैकेजिंग जगत में मंडियां भारत के हाथ से निकल गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : सरकार की नीति यह है कि पटसन उद्योग में अनुसंधान तथा उत्पाद विकास में सहायता की जाए। सहायता किस प्रकार से दी जाएगी यह अनुसंधान संस्थाओं द्वारा लागू की जाने वाली स्कीमों पर निर्भर करेगा।

(ग) पैकेजिंग क्षेत्र में पटसन माल के लिए बाजार के हाथ से निकल जाने का मुख्य कारण संश्लिष्टों तथा बंगला देश से उत्पादों से प्रतियोगिता का होना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण

5368. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए बैंकरों के सम्मेलन में उन्होनें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण देने के संबंध में निराशा व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है, बक देश में कृषकों, छोटे व्यापारियों आदि की काफी सहायता करें; और

(ग) क्या 10 मील सीमा का प्रतिबन्ध ऋणों के अनुदान के रास्तें में रुकावट बन रहा है और यदि हां, तो क्या इस प्रतिबंध को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मंत्राल में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 17-18 जनवरी, 1973 को हुई सरकारी क्षेत्र के बैंको के कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में वित्त मंत्री ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर कृषि को ऋण देने की नीति पर टिप्पणी करते हुई यह विचार प्रकट किये थे कि इस क्षत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। और जनता की आशाओं के अनुरूप नहीं हुई है।

(ख) बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जिनमें कृषि और छोटे पैमाने पर व्यापार शामिल है, ऋण देने के कार्य में सुधार करें। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे कार्य संबंधी बजट तैयार करें और लीड बैंकों के अंतर्गत जिला स्तर की समन्वय समितियों के काम को तेज करके छोटे कृषकों के विकास अभिकरणों/सीमान्तिक कृषकों और खेतिहर मजदूरों के अभिकरणों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करें छोटे और सीमान्तिक किसानों के ऋण संबंधी प्रस्तावों विषयक क़ानूनी व्यय को अपने आप वहन करें व्यवस्थात्मक ढांचे को मजबूत करें और अपने अधीन तकनीकी क्षेत्रीय कर्मचारी रखें। इस संबंध में हुई प्रगति का सामयिक अवलोकन किया जायगा।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कृषि को वित्तीय सहायता देने हेतु दर्शायी गई मार्ग दर्शक हिदायतों में 10 मील की सीमा को सख्ती से लागू करने का विचार नहीं था और बैंकों को यह स्वतंत्रा है कि वे निरिक्षण योग्य ऋणों को देने के लिये अपने कारोबार के लिये उतना क्षेत्र चुन सकते है जितने क्षेत्र में वे सुविधापूर्वक व्यवस्था कर सकें ।

जयपुर के लिए लीड बैंक के रूप में युनायटेड कर्मशियल बैंक का चुना जाना

5369. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सारे जयपुर जिले के लिए यूनाइटेड कर्मशियल बैंक को लीड बैंक के रूप में चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो जिला जयपुर में इस बैंक की कितनी शाखाएं है, और वे कहां कहां पर स्थित है; और

(ग) इस बैंक ने कृषकों तथा सभी व्यापारियों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं और कुल कितनी राशि के ऋण मांगे गए थे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय जयपुर जिलें में युनाइटेड कर्मशियल बैंक की 12 शाखाएं है। इन में 5 जयपुर नगर में स्थित है जबकि अन्य 7 चोयू, रेंवल, नारायना, बागरु, डोसा, कोट-पुतली तथा अचरोल में है ?

(ग) जब कि मांग के संबंध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है, बैंक द्वारा खेतिहरों को तथा छोटें व्यापारियों के और छोटें व्यावसायिकों के बकाया अग्रिम के संबंध में सूचना निम्न-लिखित है :—

	खातों की संख्या	31 दिसम्बर 1972 को बकाया राशि (लाख रुपयों में)
कृषि क्षेत्र	274	12.54
छोटे व्यापारी और छोटे व्यवसायी	220	41.08

दिल्ली हवाई अड्डे पर एक आधुनिक बोइंग कम्पलैक्स को चालू करना

5370. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने बोइंग विमानों का ओवरहाल करने और उनकी जांच करने के लिये दिल्ली हवाई अड्डे पर एक आधुनिक बोइंग कम्पलैंक्स चालू किया है;

(ख) क्या नये कम्पलैक्स से बोइंग विमानों की परिचालन क्षसता बढ जायेगी और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) नये कम्पलैक्स की वर्कशाप बनाने पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । परन्तु लाभ का परिमाण स्थिर करना कठिन है ।

(ग) 35.00 लाख रुपए (लगभग)

निर्यात गृहों के बारे में समिति का गठन

5371. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात गृहों को कनलाईजिंग एजेन्सियों का कार्य सौंपने हेतु दिये गये सुझाव पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है, और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के सदस्य निम्नोक्त प्रकार हैं :-

1. श्री एम० जी० कौल, — संयोजक
   सचिव,
   आर्थिक कार्य विभाग ।

2. श्री बी० वी० लाल,
   सचिव,
   वाणिज्य मंत्रालय ।

3. श्री पी० सहाय,
   अध्यक्ष,
   राज्य व्यापार निगम ।

4. श्री एस० जी० बोस मल्लिक,
   आयात निर्यात का मुख्य नियंत्रक

5. श्री जी० वेंकटसुब्रामण्यम,
   संयुक्त सचिव, (विधि मामलें),
   विधि मंत्रालय ।

6. श्री आर० श्रीनिवासन,
   निदेशक
   सरकारी उद्यम ब्युरो ।

7. श्री बी० नेहरू,
   प्रबंध निदेशक,
   टाटा एक्सपोर्टस् लि० ।

8. श्री टी० अब्दुल वहीद, मद्रास ।

9. श्री संजोय सेन,
   कलकत्ता ।

10. श्री ए० एस० गिल्ल, — सदस्य सचिव
    संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

वर्ष 1972-73 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का संभावित लाभ

5372. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को 1972-73 में काफी लाभ होने की संभावना है, और यदि हां, तो कितना ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 1972-73 के दौरान 94.83 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाने की आशा है ।

Fall in India's Export Target during the Fourth Plan

5373. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether we have not been able to achieve our export target during the Fourth Plan; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) The growth rate of India's exports during the 1st three years of the Fouth Five Year Plan has varied from 4.1% in 1969-70 to 8.6% in 1970-71 and to 4.6% in 1971-72, giving an average compound rate of about 5.8% per annum. The growth rate of exports over this period, particularly during 1971-72 was hampered by number of adverse factors such as (i) continuing shortages of domestic supply of certain basic raw materials (steel, non-ferrous metals, cotton, etc.) needed for export production, (ii) sluggish trend in industrial production (iii) transport bottlenecks and dislocation in shipments due to Indo-Pak hostilities, (iv) the international monetary crisis which added to the uncertainties of foreign trade, (v) recession in world steel industry which affected exports of iron ore, ferro-manganese, etc. (vi) respective trade policies pursued by certain developed countries, and (vii) inadequate shipping space and increasing freight rates.

The trends of exports have been quite encouraging during 1972-73. With an estimated increase of ever 10% during 1972-73 (over 1971-72), the growth of export during the 1st four years of the Fourth Five Year Plan is expected to improve to the target of 7% rate of annual growth envisaged for the Fourth Five Year Plan.

भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार करार

5375. श्री भान सिंह भौरा :

श्री मूलचंद डागा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया के बीच अनेक निर्यात-वस्तुओं के बारे में नये आर्थिक सम्बन्धों पर सहमति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां, तथापि, नवम्बर, 1972 में किये गये, व्यापार करार का भारत और युगोस्लाविया की सरकारों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना है । युगोस्लाविया की सरकार द्वारा अनुसमर्थन प्रतीक्षित है ।

युगोस्लाविया की सरकार द्वारा करार का अनुसमर्थन किये जाने पर ही व्यापार करार की रूपरेखाओं के बारे में बताया जा सकता है ।

व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में मंगोलिया के प्रधान मंत्री के साथ वार्ता

5376. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलिया के प्रधान मंत्री, श्री जेडेनबाल की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत-मन्गोलिया व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में उनके साथ कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। वार्ताएं अन्वेषणात्मक ढंग की थीं और इनके दौरान पारस्पपरिक हित के कुछ संभव क्षेत्रों का पता लगाया गया ।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारतीय प्रयासों में विदेशी सहायता का योगदान

5377. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र संवाददाताओं को 1973-74 के केंद्रीय बजट का विवरण देने वाले एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा था कि जैसा कि "इंडियन एक्सप्रैस" दिनांक 2 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुआ था, कि विदेशी सहायता औद्योगिक उत्पादन को गति देने में सहायक हो सकती है और उससे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को बढावा मिल सकता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या यह वक्तव्य इस बारे में सरकारी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय पर सरकार का मत यह है कि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, खास कर उन क्षेत्रों में जो शोधन शेष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उत्पादन बढा कर तथा विकास कर के आत्मनिर्भरता का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में, पांचवीं आयोजना के अन्तर्गत शुद्ध (नेट) शून्य विदेशी सहायता की स्थिति तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । पांचवी आयोजना में परिकल्पित विदेशी मुद्रा की कमी का अनुमान, जिसके लिए विदेशी ऋणों की आवश्यकता होगी, 1000 करोड रुपए का है, जिसके लिए 3000 करोड रुपये की विदेशी सहायता का संवितरण आवश्यक होगा। यदि परियोजनाओं को पूरा करके तथा परियोजना भिन्न सहायता द्वारा जिससे मशीनों के हिस्सों, कच्चे माल और फालतू पुर्जों के आयात की व्यवस्था की

जाती है, परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता का उपयोग करके पांचवीं आयोजना के लक्ष्यों को पूरा करना है तो इस प्रकार के संवितरण के लिए विदेशों से उतनी ऋण राशि लेना अत्यावश्यक है ।

सरकार, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है कि विदेशी सहायता पर निर्भर करना, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का स्थायी अंग न बन जाय।

इंजीनियरिंग सामान का निर्यात

5378. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग सामान को निर्यात की संभावनाओं का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार इन वस्तुओं के निर्यात को बढाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। 1973-74 के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने 200 करोड रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है । इंजीनियरी माल का किस्म-वार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

किस्म-वार	(कीमत करोड़ रु० में)
मोटरगाडी तथा मोटरगाडी के पुर्जे	25.00
औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी	20.00
बिजली के तार तथा केबल	15.00
रेलवे वैगन कोचें	15.00
एम० एस० पाइप तथा टयूबें	12.00
बाइसिकलें तथा उनके पुर्जें	12.00
इस्पात संरचना	10.50
दस्ती तथा छोटे औजार	9.00
बिजली की मोटरें, ट्रान्सफारमर आदि	7.50
इलेक्ट्रोनिक उपस्कर	7.50
ढलवां माल तथा गढ़ा हुआ माल	8.00
मशीन औजार	5.00
डीजल इंजन	6.50
अन्य	47.00
	200.00

(ग) इंजीनियरी माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए है:-

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए देश में उपलब्ध न होने वाले कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करना

(2) देशी कच्चा माल यथा इस्पात तथा एल्यूमिनियम की प्राथमिकता आधार पर सप्लाई करना;

(3) व्यापार विकास प्राधिकरण तथा परियोजना तथा उपस्कर निगम को निर्यात उत्पादन बढाने तथा कतिपय चुनी हुई वस्तुओं को विदेशों में विपणन करने के कार्य सौंपे गए हैं;

(4) अनेकों निर्यात उत्पादों पर रियायती रेलवे भाड़े की अनुमति दी जाती है।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने अनवरत आधार पर निम्नोक्त कदम उठाए है: व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों तथा अध्ययन दलों को बाहर भेजना, विदेशों में बाजार सर्वेक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना आदि।

चाय बोर्ड के कर्मचारियों को दिया गया मकान किराया भत्ता

5379. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

Financial assistance to Madhya Pradesh to reduce overdrafts

5380. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to give special grant to Madhya Pradesh Government in order to enable that State to reduce its overdrafting and for overcoming its financial difficulties; and

(b) the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Steps for providing Floodlights at Ajanta and Ellora (Maharashtra

5381. **Shri G. C. Dixit ;** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps for providing floodlights in Ajanta and Ellora (Maharashtra); and

(b) if so, the progress made in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There is no proposal under the consideration of the Government of India for providing floodlights in Ajanta and Ellora.

(b) Does not arise.

Starting of Technical Advisory Service in Madhya Pradesh by Industrial Development Bank of India

5382. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Industrial Development Bank of India has started technical advisory service in Madhya Pradesh; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : No, Sir.

(b) The State level inter-institutional group in Kerala under the leadership of the Industrial Development Bank of India (IDBI) took the initiative in establishing a technical consultancy service centre for Kerala, namely, the Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Limited (KITCO) for assisting it with regard to various aspects of project work. It is the policy of the IDBI for having a limited extension of the KITCO type consultancy organisation by organising a zonal organisation for a group of States instead of each State mainly due to the constraint of professional staff of the required quality/qualifications to man such organisations.

The IDBI has consequently recently decided to set up a zonal organisation at Gauhati, to cater to the needs of the States/Union Territories in the North-eastern Region *viz.*, Assam Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. Similarly a proposal for a joint industrial and technical consultancy organisation which may look after the requirements of both Bihar and Uttar Pradesh has been referred to the concerned State Governments for their views. Similar zonal organisation for other States including Madhya Pradesh would be considered in due course.

Collection of Income-tax under Voluntary Disclosure Scheme

5383. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of tax collected by the Income-tax Department under the voluntary disclosure scheme launched by it during 1971-72 and 1972-73; and

(b) the category-wise break-up of the amount of tax so collected?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No voluntary disclosure scheme as such was launched by the Income-tax Department during the years 1971-72 and 1972-73. But, certain concessional treatment regarding penalty was given u/s 271 (4A) of the Income-tax Act, 1961 as well as by an order under Section 119 (2) (a) of the same Act.

(b) The information regarding the amount of tax realised under the above provisions, in accordance with the status of the assessee *i.e.*, company, Hindu undivided family, individual etc. is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Popularity of Ajanta and Ellora (Maharashtra) as Tourist Centres on the decline

5384. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the popularity of Ajanta and Ellora (Maharashtra) as tourist Centres is on the wane ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government did not earn sufficient foreign exchange from Ajanta and Ellora during the recent tourist season?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Tourist arrivals and foreign exchange earnings therefrom are estimated on an All India basis. It is therefore not possible to assess the performance of individual tourist centres.

नैशनल एन्ड ग्रिन्डलेज़ बैंक द्वारा उन भारतीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में से भारत के कर का न काटा जाना जिन्हें ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी जाती है

5385. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि "प्रधान कार्यालय में अस्थायी नियुक्ति" के बहाने नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक भारतीयों को उनकी पत्नियों के साथ ब्रिटेन में तीन महीने के अवकाश की अनुमति देता है;

(ख) क्या यह बैंक इन भारतीयों को लन्दन में जिन वेतन और भत्तों का भुगतान करता है उसमें से भारत का कर नहीं काटा जाता है जिससे स्वदेशों में राशियां भेजने सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमयों का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : विनियमों के अन्तर्गत, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं में काम कर रहे अनुबंधित अधिकारियों को मुख्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाती है। बशर्ते कि मुख्यालय, खर्च को भारतीय शाखा को नामे डाले बिना अधिकारियों को विदेशी मुद्रा में उचित अधिवृत्ति (स्टाइपेंड) दे। जहां तक नेशनल ऐण्ड ग्रिन्डलेंज बैंक का सम्बन्ध है, मुख्यालय, अधिकारियों को उतने वेतन और सामान्य भत्तों की अदायगी करता है जो उन्हें भारत में देय होते है और प्रशिक्षण की अवधि के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में स्थानान्तरित माना जाता है तथा उन अधिकारियों को अदा की जाने वाली राशियां भारतीय शाखा के नामे भी नहीं डाली जातीं। इंग्लेंड में प्राप्त आय के, भारत में कर सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने के लिए वेतन का कुछ भाग रुपयों में अदा किया जाता है। अधिकारियों की स्त्रियों को विदेश जाने की अनुमति तभी दी जाती है जब अधिकारियों को विदेश में 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए रहना हो। हो सकता है कुछ परिवार, विदश यात्रा योजना के अन्तर्गत विदेश गये हों जिसके अनुसार रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना तीन वर्षों में एक बार विदेश यात्रा करने की छूट है।

(ख) प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाने वाले अधिकारियों के कर सम्बन्धी दायित्व को वेतन के उस भाग से पूरा किया जाता है जो भारतीय शाखा द्वारा अदा किया जाता है। प्रेषण से संबंधित विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फोटोग्राफिक वस्तुओं के आयात का मूल्य

5386. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात व्यापार नियंत्रण तालिका के भाग iv के क्रमांक 303 और 305 के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और भाड़ा बीमा लागत के आधार पर आयात की गई फोटोग्राफिक वस्तुओं की मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ख) भाड़ा बीमा लागत के आधार पर और देश वार प्रत्येक पुराने और नये आयात-कर्ताओं द्वारा अलग अलग प्रतिवर्ष 25,000 रुपये से अधिक कीमत के किये गये आयात और आयात करने के लिये लाइसेंस देने की तदर्थ तथा उदारात्मक निति लागू होने के बाद उक्त नीति अन्तर्गत किये गये आयात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वास्तविक आयात, संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक वस्तु के संबंध में आयात के देश के विस्तृत ब्यौरों के साथ वस्तुवार प्रकाशित किये गये हैं। तदनुसार, एक विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है जिसमें उन वस्तुओं के देश-वार वास्तविक आयात दिखाये गये है जो वर्ष 1969–70-1970–71 तथा 1971–72 के दौरान आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के भाग 4 के क्रमांक 303 तथा 305 के अन्तर्गत आने वाली मदों के लगभग अनुरूप है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4670/73**]

(ख) वास्तविक आयातों के आंकडे आयातकों के वर्गों अर्थात 'सुस्थापित आयातकों' तथा 'नवा गन्तुकों' अथवा 'नयी फर्मों' के अनुसार उपलब्ध नहीं है क्योंकि वास्तविक आयातों से संबंधित आंकडे आयातकवार रखने की बजाए समग्र रूप में देश भर के रखे जाते हैं । तथापि, आयात व्यापार नियंत्रण संगठनों के विभिन्न कार्यालयों द्वारा जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों के ब्योरे जो कि 'सुस्थापित आयातक', 'नवागन्तुक' आदि आयातकों के वर्ग के अनुसार रखे जाते है, आयातक का नाम व पता, बीमा भाड़ा लागत सहित लाइसेंसों के मूल्य, आयात का देश/सामान्य मुद्रा क्षेत्र/रुपया क्षेत्र आदि से संबंधित ब्यौरों के साथ 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस एण्ड एक्सपोर्टस् लाइसेंसिज्' में प्रकाशित किये जाते है, जिस की प्रतियां नियमित रूप से संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध की जाती है ।

कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा कम मूल्य पर टिकट बेचना

5387. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां अन्य लोकप्रिय विमान कम्पनियां जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संगठन (आई० ए० टी० ए०) द्वारा स्वीकृत सामान्य दर पर टिकट बेचती है, की कीमत पर कम मूल्य पर टिकट बेच रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह सामान्यतया विश्वास किया जाता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियाँ अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ द्वारा अनुमोदित किरायों से कम किराये लने जैसे भ्रष्ट तरीके अपना रहीं है जिसके परिणामस्वरूप यातायात उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है ।

(ख) इस परिस्थिति का सामना करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है :–

(i) यू० एस० ए० तथा भारत के बीच रियायती वापसी भ्रमण किराये चालू किये गये हैं ।

(ii) भारत और फ्रान्स के बीच घटी दरों पर वापसी युवा किराए चालू किये गये हैं ।

(iii) एयर इण्डिया द्वारा सस्ते किरायों पर चार्टरों के परिचालन के लिये एक चार्टर्ड कम्पनी की स्थापना की गयी है ।

(iv) वायुयान नियमों में एक नये नियम का समावेश कर दिया गया है जिसमें विमान कम्पनियों द्वारा नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये उसके पास अपनी शुल्क दरें (टैरिफ) प्रस्तुत करने की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के भ्रष्टाचार निरोध संगठन तथा विदेशी मुद्रा के विनियमों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित हमारे अपने सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कडी निगरानी रखी जा रही है ।

नागर विमानन विभाग के अगरतला स्थित कर्मचारियों द्वारा 29 दिसम्बर, 1972 को भूख हड़ताल

5388. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग के अगरतला स्थित कर्मचारियों ने सरकार की स्थानान्तरण की नीति के विरुद्ध 29 दिसम्बर, 1972 को बडे पैमाने पर भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या थीं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच मामले को निपटा दिया है, और यदि हां, तो समझौते की मोटी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : 22–12–1972 को नागर विमानन विभाग ने लोकप्रिय से अलोकप्रिय स्टेशनों पर कार्मिकों का स्थानान्तरण करने के लिये अपनायी जाने वाली नीति संबंधी कुछ निर्णय किये थे । कलकत्ता क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी सामान्य रूप से तथा अलोकप्रिय स्टेशनों के कर्मचारी विशेष रूप से इन निर्णयों से सन्तुष्ट नहीं थे । अगरतला के कर्मचारियों ने 29–12–72 को सामूहिक भूख हड़ताल करने की धमकी दी किन्तु 22–12–1972 को जारी किये गये आदेशों पर पहले ही से हो रहे पुनरावलोकन के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अन्तत: वैसा न करने का निर्णय किया । अन्ततोगत्वा 2–1–1973 को लोकप्रिय

प्रिय से अलोकप्रिय तथा अलोकप्रिय से लोकप्रिय स्टेशनों पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के लिये अपनायी जाने वाली नीति निर्धारित करने संबंधी संशोधित अनुदेश जारी किये गये थे। कर्मचारियों का एक वर्ग अभी भी संशोधित नीति से सन्तुष्ट नहीं है ।

डाबोलिम रुकते हुए बंबई से कोचीन तक उड़ान को फिर से चालू करने का प्रस्ताव

5389. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में डाबोलिम रुकते हुए बंबई-कोचिन उडान के बन्द कर दिये जाने के क्या कारण ह; और

(ख) क्या इस उडान को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) डाबोलिम बम्बई–कोचीन उडान से, आयभार (पे–लोड) समस्या तथा इस उडान के वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण, अलग कर दिया गया था।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस की डाबोलिम को दक्षिण से पुनः जोडने की योजना है, परन्तु विमानों की कमी के कारण कुछ समय के लिये ऐसा करना उनके लिये संभव नहीं होगा।

Distribution of Coarse Cloth

5390. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether due to the take-over of distribution of cloth by Government, small cloth retailers in rural areas are facing unemployment?

(b) whether Government have thought of measures to provide alternative means of livelihood to the small cloth retailers; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आय, बचत और उपभोक्ता व्यय के संबंध में किया गया अध्ययन

5391. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में उनके मंत्रालय के अनुरोध पर भारत में शहरों और गांवों में गृहस्थियों की आय, बचत और उपभोक्ता व्यय के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने देहातों और शहरों के परिवारों की 1967–68 की आय, बचत और उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण किया था परिषद ने सर्वेक्षण के निष्कर्ष हाल में प्रकाशित "अखिल भारतीय पारिवारिक आय, बचत और उपभोक्ता व्यय नामक पुस्तिका में दिए है ।

(ख) इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष प्रकाशित पुस्तिका के अध्याय 8 में दिए गए हैं। सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है :—

(i) 1967–68 में, देश के प्रत्येक परिवार की औसत आय 2,748 रुपये थी। देहातों के परिवारों की आय 2,560 रुपये तथा शहरों के परिवारों की आय 3,467 रुपये थी।

(ii) आय की विषमता के बारे में लारेंज अनुपात के आधार पर जो हिसाब लगाया गया है उससे यह पता चलता है कि देहाती इलाकों में यह अनुपात जो 1962 में 0.41 था 1967–68 में बढ कर 0.46 हो गया था किंतु शहरी इलाकों में यह अनुपात जो 1960 में 0.49 था घट कर 1967–68 में 0.45 हो गया।

(iii) 1967–68 में, समूचे देश के परिवारों की बचत करने की औसत प्रवृत्ति (खर्च किए जाने योग्य आय के अनुपात में अभिव्यक्त शुद्ध बचत) 7·9 प्रतिशत और सम्पूर्ण पारिवारिक क्षेत्र की बचत करने की सीमान्तिक प्रवृत्ति 35 प्रतिशत आंकी गयी है। देहाती इलाकों के परिवारों ने अपनी आय का 6.9 प्रतिशत भाग के बराबर बचत की थी जबकि बचत करने की उनकी सीमान्तिक प्रवृत्ति लगभग 34 प्रतिशत थी; इसके विपरित शहरी इलाकों के परिवारों न अपनी आय का 10.6 प्रतिशत के बराबर बचत की और बजत करने की उनकी सीमान्तिक प्रवृत्ति लगभग 39 प्रतिशत थी।

(iv) उपभोक्ता व्यय (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर होने वाले व्यय समेत) पारिवारिक क्षेत्र की खर्च किए जाने योग्य आय का 92 प्रतिशत था। खर्च किए जाने योग्य आय का लगभग 50 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं पर खर्च किया गया। शहरी इलाकों में, यह अनुपात 43 प्रतिशत तथा देहाती इलाकों में 52 प्रतिशत था।

(v) जहां तक सम्पूर्ण देश का संबंध है, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय, खर्च किए जाने योग्य आय का 1.5 प्रतिशत था। देहाती इलाकों के परिवारों ने खर्च किए जाने योग्य अपनी आय का लगभग 1.25 प्रतिशत उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया था जबकि शहरी इलाकों के परिवारों के संबंध में यह अनुपात 2.3 प्रतिशत था।

Value of goods Exported to East Germany

5392. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the value of goods exported to East Germany during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 in terms of Indian currency?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): Value of goods exported to East Germany during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (April-Sept.) is as under :—

(Rs. in crores)

1970-71	1971-72	1972-73 (April-Sept.)
24.56	17.97	6.65

समुद्र-तटीय और पर्वतीय विश्राम स्थलों की आयोजना के बारे में दिल्ली में 12 मार्च, 1973 को हुई गोष्टी

5394. श्री पी० गंगा देव :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तटीय और पर्वतीय विश्राम स्थलों की आयोजना के बारे में 12 मार्च, 1973 को दिल्ली में एक गोष्टी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में कुल कितने देशों ने भाग लिया, और

(ग) गोष्ठी में किन किन विषयों पर चर्चा हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । पर्यटन विभाग और सरकारी यात्रा संगठनों के संघ ने संयुक्त रूप से 12–17 मार्च, 1973 तक नई दिल्ली में पर्यटन के लिये "भौतिक आयोजन" (फिजिकल प्लानिंग) एवं 'क्षत्र विकास' (एरिया डेवलपमेंट) पर एक गोष्टी का आयोजन किया था।

(ख) गोष्ठी में कुल मिला कर 34 देशों ने भाग लिया।

(ग) पर्वतीय विहार स्थलों, समुद्र-तटीय विहार स्थलों एवं पुरातत्वीय महत्व के स्थ ों के विकास एवं आयोजना सम्बन्धी विषयों पर चर्चा की गई ।

गत दो वर्षों के दौरान पुस्तकों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

5395. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान देश में पुस्तकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) वर्ष 1970–71 तथा अप्रैल 1972 – दिसम्बर 1972 के दौरान पुस्तकों के आयात के आधार पर क्रमशः 942 लाख रुपये तथा 758 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा भेजी गयी ।

निर्यात अन्तर्राज्यीय विकास बैंक की स्थापना के बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया सुझाव

5396. श्री एम० कतामुतु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्याकन करने हेतु निर्यात अन्तर्राज्यीय विकास बैंक की स्थापना के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : जी, नहीं । परन्तु 'पांचवीं आयोजना के संबंध में दष्टिकोण' पर विचार करने के लिए 19 और 20 जनवरी, 1973 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने जलपूर्ति, बिजली और उदयोग संबंधी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए चालू परियोजनाओं के आधार पर एक अन्तर्राज्यीय विकास बैंक की

स्थापना की सुझाव दिया था बजाय इसके कि ऐसी योजनाएं राज्यों की अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों के कारण पिछड जाएं और लम्बे समय में पूरी हों । तमिलनाडु सरकार से इस विषय में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्ष 1973-74 में विदेशी सहायता

5397. **श्री एम० कतामुतु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के बजट में उल्लिखित अनुमित विदेशी सहायता पूरी पूरी प्राप्त हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किन देशों से मिलने की आशा है, और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उन्होंनें कोई ठोस वचन दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1973–74 के बजट में दिखाई गई विदेशी सहायता की प्राप्तियों में मार्गस्थ सहायता के उपयोग और सहायता के मिलन वाले नये वचनों के संभावित उपयोग के आंकडे शामिल है जिनकी कल्पना चालू बर्ष के स्तर के बराबर ही की गई है ।

(ख) जिन देशों से यह सहायता प्राप्त होगी उनका ब्योरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
आस्ट्रिया	5
बेल्जियम	35
कनाडा	37,61
चैकोस्लोवाकिया	7,12
डेनमार्क	1,15
जर्मन संघीय गणराज्य	28,61
फ्रान्स	25,12
हंगेरी	1,00
इटली	..
जापान	49,07
नीदरलैण्ड	7,27
नार्वे	..
पोलैंड	1,29
स्वीडन	6,40
स्विटजरलैण्ड	2,62
ब्रिटेन	49,62
संयुक्त राज्य अमेरीका	9,97
सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ	20,12
अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिमाण और विकास संघ	4,07
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	222,36
नये ऋण	188,00
जोड	661,80

(ग) उपर्युक्त आंकडों में दिखाई गई मार्गस्थ सहायता के उपयोग के संबंध में इन देशों और संस्थाओं के साथ पक्के करार किए जा चुके है ।

भारत को अमरीकी सहायता देना पुनः आरम्भ करना

5398. **श्री एम० कतामुतु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1973 के 'दि इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत को अमरीकी आर्थिक सहायता देना पुनः आरम्भ करने के लिए पहले ही स्वीकृति दे दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उस समाचार में कोई सच्चाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 8.76 करोड डालर की परियोजना भिन्न सहायता के उपयोग के संबंध में दिसम्बर 1971 में लगायी गयी रोक को हटा लेने क अपने निर्णय की घोषणा कर दी है ।

चीनी, खांडसारी और गुड़ पर लगे करों में असमानता

5399. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योम ने चीनी खांडसारी और गुड़ पर लगे करों में असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार से अपील की है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) और (ख) : निर्वात पात्र चीनी (वेक्युम पैन शुगर) और खांडसारी चीनी पर लगाये जाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में असमानता को कम करने के लिए चीनी उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है । इस सुझाव की जांच की जा रही हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजनाओं के लिए रियायती शर्तों पर सीधी वित्तीय सहायता

5400. **श्री राजदेव सिंह :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हाल में निर्णय किया है कि वह पिछडे जिलों/क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजनाओं के लिए रियायती शर्तों पर सीधी वित्तीय सहायता देगा और इसके लिए लागत पूंजी एक करोड रुपये से बढाकर 3 करोड रुपये कर दी जाएगी; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ख) क्या यह निर्णय देश के अपेक्षाकृत पिछडे क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किया गया है;

(ग) क्या इन ऋणों की शर्तें पहले से काफी नर्म है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बैंक की ऋण देने संबंधी सफलताओं के बारे में बताने या इनका विस्तृत प्रचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उद्यमकर्ताओं को देश के अपेक्षित रूपेण औद्योगिक दृष्टि से पिछडे हुए क्षेत्रों में प्रसार के निमित्त अधिकतर अभिप्रेरण प्रदान करने के लिए तथा परियोजनाओं की लागत में अधिघोषित वृद्धि के कारण भी, आयोजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों में स्थापित उन सभी परियोजनाओं को जिन की पुंजीगत लागत 3 करोड रुपये तक की है, अब तक की। करोड रुपय की लागत के बजाय, रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है। रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता का विस्तार करने वाले उपक्रमों को भी दी जाएगी जिन में कुल निवेश (अर्थात वर्तमान एकक की शुद्ध नियत परिसम्पत्ति जमा शुद्ध कार्यगत पूंजी परियोजना विस्तार व्यय सहित,) 3 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं है। अधिक बड़ी परियोजनाओं के लिये रियायती वित्त के प्रश्न पर विचार विशिष्ट परिस्थितियों में प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर किया जाएगा।

क्योंकि मूल योजना से सम्बद्ध शर्तें पहले ही उदार थी अत: विकास बैंक द्वारा उन शर्तों का आगे कोई उदारीकरण/शिथिलन आवश्यक नहीं समझा गया।

विकास बैंक द्वारा अपनी उधार देने की योजनाओं और उनके परिचालन के संबंध में समय समय पर जारी की गयी प्रेस सूचनाओं द्वारा अथवा अन्य सूचना माध्यमों से या उद्योग संघ या प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित मंचों के द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता है। विकास बैंक के नियतकालिक प्रकाशनों तथा इसके द्वारा जारी की गयी विवरणिका/पत्रकों द्वारा उनकी योजनाओं का सुविस्तृत प्रचार किया जाता है। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में विकास बैंक के चल रहे प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालय भी राज्यों में परिचालित औद्योगिक वित्तीय तथा विकासात्मक अभिकरणों के साथ सम्पर्क रखते हुए इसके परिचालन का उपयुक्त प्रचार करते है।

श्रिम्प का निर्यात

5401. श्री राजदेव सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने इस बात पर जोर दिया है कि अपेक्षित मछुआ नाव, बन्दरगाह तथा परिष्करण की सुविधाएं उपलब्ध करने से श्रिम्प के निर्यात करने से होने वाली आय में चार गुना वृद्धि होगी अर्थात् 1969–70 में यह 31 करोड से बढकर 1978–79 में 118 करोड हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार परिष्करण संबंधी व्यवस्था करने तथा मछुआ नावों की संख्या बढाने को तैयार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस दिशा में पहले से ही आवश्यक प्रयास कर रही है।

अभ्रक के निर्यात में कमी

5402. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गलतफहमियों के कारण मद्रास से अभ्रक के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो मामल के लक्ष्य क्या है; और

(ग) अभ्रक निर्यात के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गत वर्ष इसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में इस वर्ष अभ्रक के निर्यातों में वृद्धि हुई ।

भारतीय वाद्ययंत्रों का निर्यात

5403. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वाद्यग्रंत्रों अर्थात हारमोनियम और ग्रामोफोन तथा उसके रिकार्डों की मांग बढ रही है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में उनके निर्यात की क्या संभावनाए है; और

(ग) गत दो वर्षों में हुए निर्यात के आंकडें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : गत कुछ वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वाद्ययंत्रों की मांग नियमित रही है। तथापि, भविष्य में उनके निर्यात आयात के विभिन्न देशों में स्वदेशी उत्पादन तथा साथ ही विकासशील दशों में उत्पादन पर निर्भर करेगी।

(ग) गत 2 वर्षों के दौरान निर्यात के आंकडे ये है :—

वर्ष	मूल्य लाख रुपए में
1970–71	10.30
1971–72	10.06

सरकारी एजेंसियों द्वारा आयात

5404. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश आयात सरकारी एजेंसियां द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सही सही कितना प्रतिशत आयात किया गया है और उन वस्तुओं के नाम क्या है; और

(ग) गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किन मुख्य वस्तुओं का आयात हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार आयात व्यापार में सरकारी क्षेत्र का अंश 70% से 75% का होगा । जिन मदों का आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत है उनकी एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4671/73]**

(ग) जो मदें सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत नहीं है उनके लिए गैरसरकारी पार्टियों को भी अनुमति है बशर्ते कि नीति के अंतर्गत उनके लिए अनुमति दी जा सकती हो।

बम्बई क शेरेटन-ओबेराय होटल में दाढी वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबन्दी

5405. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के शेरेटन-ओबेराय होटल में दाढ़ी वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी है; और

(ख) यदि हां, तो कुछ होटलों के इस प्रकार के रवैये के विरुद्ध सरकार का क्या दष्टिकोण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस होटल में एक तथाकथित घटना के बारे में प्रकाशित हुई एक प्रेस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप होटल के प्रबंधक वर्ग से पूछताछ की गई थी। प्रबंधक वर्ग ने कहा कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है जिस की कि जांच की जा सकती। प्रबंधक वर्ग ने यह भी कहा है कि उनका कभी भी यह प्रयत्न नहीं रहा है कि वे मेहमानों पर उनकी वेशभूषा, आचरण अथवा व्यवहार के संबंध में किसी प्रकार का दबाव डालें बशत कि उनसे अन्य मेहमानों को कोई असुविधा न होती हो। दाढ़ीधारी व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को वर्ष 1973-74 के दौरान पर्यटन के विकास के लिये आवंटित धनराशि

5406. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को वर्ष 1973-74 के दौरान पर्यटन के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यह धनराशि किन पदों पर व्यय की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन स्कीमें राज्य वार आधार पर नहीं ली जातीं, अपितु उनका आधार किसी स्थान का पर्यटकों के लिये वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण होता है। केन्द्रीय क्षेत्र में पुरी में एक यवा होस्टल के निर्माण पर 3.08 लाख रुपए का व्यय किये जाने की संभावना है।

उड़ीसा में किसानों को बैंकों द्वारा दिय गये ऋण

5407. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में उडीसा में किसानों को बैंकों से कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ख) क्या बेरोजगार स्नातकों को भी नया कारोबार आरम्भ करने के लिय ऋण मिल रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उडीसा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों की कुल रकम जून 1972 को 99.14 लाख रुपये थी।

(ख) जी, हां।

गुजरात में सुखे की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन दल का दौरा

5408. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने गुजरात में सूखे से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु उस राज्य का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उस दल की मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) केन्द्र का विचार इन सिफारिशों को देखते हुए राज्य सरकार को और कितनी अधिक सहायता देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। फिर भी राज्य को सूखा सहायता उपायों हेतु, अपनी निधियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी है। और अधिक सहायता केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर उनके प्राप्त ो जाने के बाद दी जायगी।

भारत और मलयेशिया के बीच व्यापार करार

5409. **श्री वरके जार्ज** :
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट डिक्सन पर स्थापित किय जाने वाले विद्युत संयंत्रों के तीन एककों के लिए भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में कोई व्यापार करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत तथा मलेयशिया के बीच हाल में कोई करार नहीं हुआ है। परन्तु जून 1971 में, पोर्ट डिक्सन मलयेशिया पर थुआंक जा पर पावर स्टेशन हेतु 120 मे० वा० के तीन आयल वायर्ड बायलर्स के डिजाइन, विनिर्माण तथा लगाने के लिए मलयेशिया के नैशनल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, से एक आदेश प्राप्त किया था। यह आदेश 9.31 करोड़ रुपये मूल्य का है।

Effect on the working of L.I.C. as a result of shortage of Electricity in U.P.

5410. **Shri Ramavatar Shastri** ; Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether due to shortage of electricity in Uttar Pradesh, the Life Inurance Corporation has not been able to make payment of commission to its agents;

(b) if so, the manner in which the shortage of electricity has affected the working of the Life Insurance Corporation; and

(c) the action taken by Government to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) & (b) An important part of the work in the Divisional Offices of the LIC is done on electricially operated machines. The power cut imposed between 13.00 hours and 18.30 hours has affected the working. Notwithstanding this, in Kanpur and Meerut Divisional Offices commission to agents has been paid upto February, 1973. In Lucknow, commission to agents has been paid upto January, 1973 and advance payments have been made in respect of February, 1973.

(c) The working hours in Kanpur and Meerut Divisional Offices have been changed. A separate feeder line for the Lucknow Divisional Office has been sanctioned by the State Electricity Board and the LIC are trying to get similar facility for the other two offices.

पटना और उड़ीसा स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या

5411. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना और उड़ीसा स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालयों में काम कर रहें कर्मचारियों की क्रमशः संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1972–73 में किन कर्मचारियों को भर्ती किया गया और उन्हें कहां नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या आसाम, मिज़ोराम और अरुणाचल में भर्ती किये गये कर्मचारियों को रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना कार्यालय में नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रक्षा लेखा नियंत्रक पटना का प्रधान कार्यालय पटना में है । उसके उप-कार्यालय उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा देश के पूर्वी भाग के अन्य राज्यों में हैं।

रक्षा लेखा नियंत्रक पटना के अधीनस्थ संगठन में अराजपत्रित कर्मचारियों (लिपिकों और पर्यवेक्षकों) की संख्या 1 जनवरी 1973 को निम्नलिखित थी :–

स्थान/क्षेत्र	लेखाकार	लिपिक
पटना में	82	723
उडीसा में	2	10
शेष क्षेत्रों में	158	1150
कुल	242	1883

(ख) लेखाकारों की सीधी भर्ती नहीं की जाती। उड़ीसा में 1972–73 में 18 लिपिकों की भरती की गई थी। उनको निम्मलिखित स्थानों पर तैनात किया गया :–

(1)	बालासोर (उड़ीसा) . . .	4
(2)	चिल्का (उड़ीसा) . . .	1
(3)	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) . .	3
(4)	कलईकुंडा (पश्चिम बंगाल) . .	1

(5)	काकीनाड़ा (पश्चिम बंगाल) . .	1
(6)	पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) . .	7
(7)	पटना (बिहार) . . .	1
	कुल	18

(ग) जी हां।

(घ) छः लिपिक।

तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

5412. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या वित्त मंत्री 23 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा और

(घ) वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर पूरे एक वर्ष में कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) आशा है कि आयोग अपनी अन्तिम रिपोर्ट कल तक दे देगा।

(ग) रिपोर्ट की पूरी जांच करने और मुख्य मुख्य सिफारिशों पर निर्णय लेने के काम को वाजिब समय में पूरा करने की पूरी कोशिश की जायेगी।

(घ) इसका पता तो आयोग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही चल सकेगा।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल

5413. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**

श्री प्रबोध चंद्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1973 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में कितने प्रतिनिधिमण्डल विदेश भेजे गए;

(ख) उनके जाने का उद्देश्य क्या था, उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया, प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल में कितने सदस्य थ, और विदेशी मुद्रा समेत प्रत्येक पर कितना रुपया खर्च हुआ; और

(ग) इन प्रतिनिधीमण्डलों पर वर्षवार कितना रुपया खर्च हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले व्यापार वाली वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण और वितरण संबंधी समिति

5414. श्री पन्नालाल बारपाल :

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन वस्तुओं के मूल्य निर्धारण और वितरण के प्रश्न की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी जिनका व्यापार राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : आयातित माल की अधिप्राप्ति, कीमत निर्धारण तथा वितरण के संबंध में राज्य व्यापार निगम सहित सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के कार्यकरण की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करने के लिए आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई है और इसमें सदस्य के रूप में औद्योगिक विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार लघु उद्योग के विकास आयुक्त, तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) तथा वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि है। समिति का कार्य प्रशासनिक प्रकृति का है और उससे यह आशा नहीं की जाती कि वह सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करगी।

Report of World Bank Team on Apple Marketing Project in Himachal Pradesh

5415. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the World Bank Team, which undertook a tour of Himachal Pradesh last year regarding marketing of apples has submitted its recommendations to Government;

(b) if so, the salient features thereof and the time by which the World Bank proposes to give financial assistance for the purpose indicating the amount of the financial assistance; and

(c) whether production cost and support price of apples are likely to be ensured under this scheme of the World Bank?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) A World Bank Team had visited Himachal Pradesh last year for the appraisal of the Himachal Pradesh Apple Marketing and Processing Project which had been presented by the Government of India to the Bank for seeking World Bank group's assistance. The Team make its recommendations to the Bank management and not to the Government of India.

5—7 L. S. S./73

(b) The World Bank has sought some additional information on certain aspects of the project and it is, therefore, not possible to indicate the time by which the credit for this project would be negotiated with the International Development Association.

(c) The assistance from the World Bank group would be forthcoming only if the project financially and economically viable.

भारत और अमरीका के बीच व्यापार संबंध

5417. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंध सुधारने की संभावना है यदि हां, तो कितने सुधार की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारों की बराबर इच्छा रही है । तथापि इस संबंध में बताना कठिन है कि किस सीमा तक सुधार होने की आशा है ।

विश्व मुद्रा संकट पर बातचीत करने के लिए वाशिंग्टन में मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में भारत द्वारा भाग लिया जाना

5418. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व मुद्रा संकट पर बातचीत करने के लिए वाशिंग्टन में मार्च, 1973 में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने भाग लिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या क्या निर्णय किए गए;

(ग) क्या भारत ने उक्त बैठक में कोई प्रस्ताव रखा है, और

(घ) यदि हां, तो कितने देशों ने भारत के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) तक : भारत के वित्त मंत्री ने 26 – 27 मार्च, 1973 को वाशिंग्टन में आयोजित 20 देशों के समूह की बैठक में भाग लिया था । विचार विमर्श के स्वरूप तथा उससे निकलने वाले निष्कर्षों के संबन्ध में जानकारी उनके भारत लौटने पर दी जायगी ।

Arrears of taxes against Dalmia Dadri Cement Company

5419. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether arrears amounting to several lakhs of rupees on account of Income-tax and Central Sales tax are still outstanding against the Dalmia Dadri Cement Comapny; and

(b) if so, the efforts being made by Government to realise this amount?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Out of an amount of Rs. 20,16,525 outstanding against the company as on 1st March, 1973 on account of Income-tax demands, an amount of Rs. 8,18,284 has been recovered, and the amount outstanding as on 24th March, 1973 is Rs. 11,98,241. Action as provided under

the law was initiated to recover the same. However, the Income-tax Appellate Tribunal has stayed the recovery proceedings. The Company has been asked to furnish security for the outstanding amount.

Information regarding the sales tax dues is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

जीवन बीमा निगम के एजेंटों की भरती और प्रशिक्षण के बारे में भारतीय जीवन बीमा एजेंट संघ द्वारा दिया गया सुझाव

5420. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा एजेंट संघ ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि जीवन बीमा निगम के एजेंटों को उनकी इस कार्य के लिए रुचि के आधार पर भरती करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए तथा उन्हें विशेष रुप से बनाई गई शाखाओं के साथ, उनके निकटतम कस्बे, शहर अथवा गांव में उस क्षेत्र की क्षमता और गहन विकास की आवश्यकता के अनुसार संबद्ध करना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या, प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) संघ द्वारा दिये गये सुझावों की जांच जीवन बीमा निगम कर रहा है ।

विदेशी मंडियों में पटसन के सामान के अधिक मूल्य

5321. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के सामान के अधिक मूल्य होने के कारण गत वर्ष अमरीका के पटसन बाजार का छटा भाग भारत के हाथ से निकल गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या पटसन के बारे में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में विदेशी खरीदारों को कोई सर्वसम्मत विचार था ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को पटसन माल के निर्यात 1971 में 285,200 मे० टन से घटकर 1972 में 260, 200 मे० टन के हो गए जिसका मुख्य कारण संस्लिष्टों तथा बंगलादेश से उत्पादों से प्रतियोगिता का होना था ।

(ख) सेमिनार का प्रतिवेदन प्रयोजकों यथा दि कलकत्ता जूट फेब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन से प्रतीक्षित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

साधारणतया विमानों के उड़ने तथा उतरने के लिए प्रयोग में न लाये जा रहे हवाई अड्डों की देख-रेख

5322. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देखरेख कि एजाने वाले उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जिनका प्रयोग साधारणतया विमानों के उड़ने तथा उतरने के लिए नहीं किया जाता है ; और

(ख) इन हवाई अड्डों पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमानन विभाग द्वारा संधारित किये जा रहे 84 विमानक्षेत्रों में से 37 अनुसूचित परिचालनों के लिए प्रयोग नहीं किये जाते । उनका व्यौरा निम्न प्रकार है ।

विमान क्षेत्र का नाम	कैफियत
(अ) 1. दिल्ली (सफदरजंग) . .	इनका प्रयोग मुख्यतया फ्लाइंग क्लबों ग्लाइडिंग क्लबों द्वारा किया जाता है ।
2. बेहाला	
3. बम्बई (जूहू)	
4. नादिरगुल	
5. पूना (हादप्सर)	
6. कानपुर (सिविल)	
(ब) 1. जबलपुर . . .	इनका प्रयोग विकल्प के रूप में अथवा यदाकदा परिचालनों के लिए अथवा मार्गवर्ती सुविधायें प्रदान करने के लिए किया जाता है ।
2. पनागढ	
3. अकोला	
4. वेलरघाट	
5. हसन	
6. वारगल	
7. मैसूर	
8. झारसूगूडा	
9. रूपसी	
10. कोटा	
(स) 1. विलासपुर . . .	इन विमान क्षेत्रों का प्रयोग सामान्य विमानन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता अपितु इनका संधारण आपातिक परिस्थितियों में प्रयोग के लिए अथवा विशेष उड़ानों के लिए किया जाता है ।
2. चकूलिया	
3. कुड्डापाह	
4. दानोकोंडा	
5. झांसी	
6. जोगवानी	
7. खाण्डवा	
8. कोल्हापुर	
9. ललितपुर	
10 मालदा	
11. पालनपुर	
12. पन्न	
13. पासीघाट	
14. राजामुंधरी	
15. रामनद	
16. रक्सौल	
17. सतना	
18. शैल्ला	
19. शोलापुर	
20. तंजौर	
21. वेलूर	

(ख) ऊपर (स) में सूचीबद्ध 21 विमानक्षेत्रों के संबंध में होने वाले वार्षिक व्यय को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	विमानक्षेत्र का नाम	संधारण इत्यादि पर व्यय		
		कर्मचारी	संधारण मरम्मत	छोटे मोटे कार्य
1.	विलासपुर	..	5,437	..
2.	चकूलिया	4,304	38,341	..
3.	कुड्डापह	4,304	52,117	..
4.	दोनाकोंडा . . .	4,304	11,439	..
5.	झांसी	..	8,125	3,499
6.	खाण्डबा	..	10,421	..
7.	कोल्हापुर	..	8,600	..
8.	ललितपुर	26,000	34,794	6,282
9.	मालदा	..	22,980	..
10.	पालनपुर	..	7,823	..
11.	पन्ना	..	6,331	..
12.	पासीघाट	7,025	39,684	..
13.	राजामुंधरी . . .	..	23,310	..
14.	रामनद	..	5,863	..
15.	रक्सौल	..	15,742	..
16.	सतना	..	9,661	..
17.	शोलापुर . . .	..	5,199	..
18.	तंजोर	..	15,735	..
19.	वेलूर	11,750	10,698	..
20.	जोगबानी . . .	..	2,782	..
21.	शैल्ला	..	..	..
		57,687	3,45,152	9,781

काजू की गिरी का निर्यात

5423. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने मूल्य की काजू की गिरी का निर्यात किया गया तथा कितना किन-किन देशों को किया गया ; और

(ख) गत वर्ष कितने मूल्य का काजू के छिलके के अर्क का निर्यात किया गया तथा उसी अवधि में कितने मूल्य के कच्चे काजू का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क)

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा मे० टन	मूल्य करोड़ रुपये
1970–71.	50,280	52.06
1971–72.	60,379	61.33

खरीदारों के नामों के संबंध में जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है ।

(ख)	1971–72
(1) काजू के छिल्के के अर्क के निर्यात . .	55.17 लाख रुपये
(2) कच्चे काजू के आयात . . .	27.90 करोड़ रुपये

बैंकिंग कानून समिति के कार्य में हुई प्रगति

5424. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग कानून समिति के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशील रोहतगी) : (क) और (ख) बैंकिंग पर प्रभाव डालने वाले विधान के संबंध में बैंक आयोग के अध्ययन दल दवारा शुरु किये गये काम को पूरा करने के लिये 24 नवम्बर 1972 को बैंकिंग विधि समिति की स्थापना की गयी थी । बैंकिग विधि समिति, बैंकिंग आयोग के अध्ययन दल द्वारा जारी की गयी प्रश्नावाली के उत्तरों पर विचार कर रही है और आशा है कि 30 जून 1973 तक वह अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

केन्द्रीय सरकार के गैर-विकास संबंधी कार्यों पर व्यय में वृद्धि

5425. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर कर लगाने से बचत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि गैर-विकास संबंधी कार्यों पर व्यय में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-विकास संबंधी कार्यों पर व्यय में वृद्धि को कम करने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यह सच है कि बंगला देश से आय शरणार्थियों, पाकिस्तान से हुए युद्ध, प्राकृतिक संकटों तथा तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित अंतरिम सहायता की तीन किस्तें दिये जाने के कारण हुए असाधारण किंतु अपरिहार्य खर्च से हाल के वर्षों में सरकार की बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बचत के कई उपाय किये हैं जो मुख्यतः प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उद्देश्य से किये गये हैं । ये उपाय अभी भी चालू हैं । इनमें से अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :

(i) वेतनमानों के संशोधन पर रोक ;

(ii) कुछ वर्गों के पदों की भरती पर आंशिक रुप से रोक ;

(iii) आयात की गयी मोटरगाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध ;

(iv) यात्रा भत्तों में कमी ; और

(v) कर्मचारी निरीक्षण अध्ययनों में वृद्धि ।

उपर्युक्त के अलावा, 1971–72 में बंगला देश से विपुल संख्या में शरणार्थियों के आने से और हमारी सीमाओं पर गड़बड़ी की स्थिति के कारण जो वित्तीय भार पड़ा, उनके संदर्भ में व्यय में, बचत करने के लिए कुछ विशेष उपाय किये गये थे । इन उपायों को 1972–73 में भी चालू रखा गया । स्थूलतः ये उपाय नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(1) गैर-योजना पक्ष में पदों के निर्माण पर रोक ;

(2) आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता, अतिथि-सत्कार आदि के लिए बजट व्यवस्था में कमी ;

(3) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में खाली पदों पर भरती नहीं करना ;

(4) फर्नीचर तथा सजावट की वस्तुओं आदि की खरीद पर प्रतिबंध ;

(5) विदेशों में प्रतिनिधि-मंडल भेजने पर कठोरतर नियंत्रण ।

ग्रामीण जनसंख्या के दुर्बल वर्गों को ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों पर ऋण देने वाले बैंक

5426. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त की भिन्न-भिन्न दरों पर ऋण देने की योजना के अर्न्तगत अधिक विस्तृत क्षेत्रों में ऋण देने से ग्रामीण जनसंख्या के दुर्बल वर्गों को सहायता देने के कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा तथा कितना पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां,

(ख) कमजोर वर्ग में से अपेक्षाकृत अधिक संख्या में लोग रियायती दरों पर ऋण लेने के पात्र होंगे

आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये योजनाएं

5427. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास के लिये कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रस्तुत की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उस पर अनुमानित कितना व्यय आयेगा ; और

(घ) क्या केन्द्र ने इन योजनाओं की स्वीकृति दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) जब से योजना स्कीमों के भाग II को समाप्त किया गया है, पर्यटन स्कीमों को या तो केन्द्रीय क्षेत्र में लिया जाता है या राज्यीय क्षेत्र में । निः संदेह, आंध्र प्रदेश सरकार पांचवीं योजना के लिये अपनी पर्यटन स्कीमें स्वयं तैयार कर रही है, तथा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उनके लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । पांचवीं योजना के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की पर्यटन स्कीमें तैयार की जा रही हैं ।

आसाम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बैंक सुविधाओं का विस्तार

5428. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, जहां बैंकों की संख्या कम हैं, बैंक सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई विशेष प्रयास करने की योजना बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वाणिज्यिक बैंकों को शाखा विस्तार हेतु एक तीन वर्षीय योजना तैयार करने के लिए कहा गया है जो 1973-75 तक के समय का हो । इन योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अपनी लीड जिम्मेवारी को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है और सापेक्ष रुप में शाखा विस्तार मामलों के संबंध में अल्प विकसित / अल्प बैंक वाले राज्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता समझना ।

(ख) वर्तमान समय में इन योजनाओं को तयार करने में बैंक लगे हुए हैं ।

पांचवीं योजना में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

5429. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार पांचवीं योजना में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सभी राजधानियों और नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ कर देगी ; और

(ग) क्या पांचवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में ये सेवाएं आरम्भ करने के लिये किसी स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) निम्नलिखित राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की राजधानियां नई दिल्ली के साथ विमान सेवा द्वारा जुड़ी हुई नहीं है :

असम	(शिलांग)
हिमाचल प्रदेश . . .	(शिमला)
मेघालय	(शिलांग)

नागालैंड	(कोहिमा)
अरुणाचल प्रदेश . . .	(इतानगर)
दादरा और नागर हवेली	(सिलवस्सा)
लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीव .	(कवारत्ती)
मिज़ोराम . . .	(ऐज़ल)
पांडीचेरी	(पांडीचेरी)

निम्नलिखित राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों की राजधानियां नई दिल्ली के साथ अप्रत्यक्ष इंडाइरेक्ट विमान सेवा द्वारा जूडी हुई हैं :

उड़ीसा	(भुबनेश्वर)
केरल	(त्रिवेन्द्रम)
मणिपुर . . .	(इम्फाल)
त्रिपुरा . . .	(अगरतला)
अंडमान तथा निकोबार .	(पोर्ट ब्लेयर)
गोवा, दमन तथा दीव . .	(पानजी डाबोलिन)

(ख) और (ग) जिन राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की राजधानियां फिलहाल विमान सेवा द्वारा जुड़ी हुई नहीं हैं, इण्डियन एयरलाइंस का उन्हें पांचवीं योजनावधि के दौरान विमान सेवा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बैंककारी सुविधाओं में पिछड़े हुए राज्य

5430. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंककारी सुविधाओं में कौन से राज्य सब से अधिक पिछड़े हुए हैं, जहां एक बैंक से लाभ उठाने वालों की संख्या अधिकतम एक लाख से अधिक हैं ;

(ख) इस पिछड़े पन के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) क्या इन राज्यों में अधिक शाखाएं खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं और प्रत्येक सर्वेक्षण में कितने स्थानों (केन्द्रों) पर नई शाखाएं खोलने की सिफारिश की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर 31, 1972 को केवल तीन राज्यों–मणिपुर, उड़ीसा और त्रिपुरा तथा संघीय राज्य क्षेत्र मिजोरम में प्रति बैंक कार्यालय के हिसाब से जनसंख्या 1 लाख थी ।

(ख) भूतकाल में क्षेत्रीय असमानताएं होने के कई ऐसे कारण थे जैसे प्राकृतिक संपदाओं में विभिन्नत आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध न होना, आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्राप्त स्तर आदि ।

(ग) और (घ) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत बैंकों को उन्हें आवंटित जिलों की आर्थिक रूप-रेखा का सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है । इन सर्वेक्षणों में उन विकास केन्द्रों को पृथक रूप से निर्धारित किया जाता है जिन्हें बैंकों की शाखाएं खोलने और बैंक सुविधाएं बढ़ाने के लिये हाथ में लिया जाएगा । मणिपुर, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों के जिलों में भी से सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा मिजोराम के सम्बन्ध में अभी यह कार्य पूरा किया जाना है ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए विचाराधीन लाइसेंस

5431. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन 35 केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस अभी विचाराधीन हैं या 31 दिसम्बर, 1972 तक अलाटमेंट की जा चुकी है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ केन्द्रों पर शाखाएं खुल गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं और किन किन जिलों में हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) 31 दिसम्बर 1972 को सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास हिमाचल प्रदेश में 35 केन्द्र खोलने के लाइसेन्स थे। इन केन्द्रों और जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । 31 जनवरी 1973 तक शिमला में समरहिल केन्द्र में स्टेट बैंक आफ इंडिया ने एक शाखा खोली थी ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के उन केन्द्रों के नाम जहां कार्यालय खोलने के लिये वाणिज्यिक बैंकों के पास लाइसेंस हैं ।

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	लाइसेंस प्राप्त बैंक का नाम
विलासपुर .	क्षुकाला . . .	यूनाइटेड कार्मशियल बैंक
चम्बा .	उदयपुर . .	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	पांगी (किलाय) .	पंजाब नेशनल बैंक
	चम्बा . . .	न्यू बैंक आफ इंडिया लि०
कांगड़ा .	कोटला . . .	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	रानीतल . . .	स्टेट बक आफ इंडिया
	बंकहड़ी . . .	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	भटोला . .	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	जयसिंह पुर . .	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	सेराज . . .	पंजाब नेशनल बैंक
	लुभ . . .	पंजाब नेशनल बैंक
	राजा का तालाब . .	पंजाब नेशनल बैंक
	बरसार . . .	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
	मुबारकपुर . . .	पंजाब एण्ड सिन्द बैंक लिमिटेड
किन्नौर	कालपा . . .	पंजाब नेशनल बैंक
	पूह	पंजाब नेशनल बैंक
	कुलू . . .	यूनियन बक आफ इंडिया
	मनाली . . .	न्यू बैंक आफ इंडिया लि०

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	लाइसेंस प्राप्त बैंक का नाम
लाहौल स्पिति	कजा	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	किलोंग	स्टेट बैंक आफ इंडिया
मंडी	वाग्गी	पंजाब नेशनल बैंक
	मंडी	यूनियन बैंक आफ इंडिया
	मंडी	पंजाब एंड सिन्ध बैंक लि०
शिमला	शिमला-समर हिल्स	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	सराहां	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	कसुम्पटी	यूनाइटेड कार्मशियल बैंक
	ढल्ली	यूनाइटेड कार्मशियल बैंक
	शोगी	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक लि०
	शिमला	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक लि०
हमीरपुर	भोटा	न्यू बैंक आफ इंडिया
सोलन	सोलन-चम्बाघाट	स्टेट बैंक आफ इंडिया
	बाड़ी	स्टेट बैंक आफ पटियाला
	वरोटी वालां	यूनाइटेड कर्मशियल बैंक
	सोलन	यूनियन बक आफ इंडिया
	सिरी	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक लि०

हिमाचल प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण

5432. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी और कौन-कौन सी शाखाएं 31 दिसम्बर, 1972 को हिमाचल प्रदेश में चल रही थी ; और

(ख) राज्य के सभी बारह जिलों में इन शाखाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1972 को हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे सभी वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित) की शाखाओं की जिलेवार संख्या और नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4672/73।**]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चिकित्सा अधिकारी रखने का प्रबन्ध

5433. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक हवाई अड्डे पर बीमार यात्रियों के लिए चिकित्सा अधिकारी तैनात करने के प्रबन्ध किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पांचों अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, अर्थात, सान्ता क्रूज (बम्बई), दम दम (कलकत्ता), पालम (दिल्ली), मीनमबक्कम्, (मद्रास) तथा तिरुचिरापल्ली पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर विमानों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थय विनियम, 1969 और भारतीय वायुयान लोक स्वास्थ्य नियम, 1954 का अनुपालन करते हुए अन्य लोक स्वास्थ्य उपायों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए हैं । ये चिकित्सा अधिकारी, अपने सामान्य संगरोध तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, विमानक्षेत्र के अंदर ही घटने वाली बीमारी की आपातिक घटनाओं की भी, बीमारों को निकटस्थ हस्पताल में पहुंचाने से पूर्व, देख रेख करेंगे ।

एयर इण्डिया की विमान सेवाओं में विदेश यात्राओं के लिये संसद-सदस्यों को रियायतें देने का प्रस्ताव

5434. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने भारत से किन्हीं अन्य देशों में यात्रा के लिये अनेक सस्ते प्रोत्साहन किराये चला रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर ; और

(ग) क्या सरकार का विचार एयर इण्डिया के दवारा विदेश-यात्राओं के लिये संसद्-सदस्यों को कोई रियायत देने का है और भारत में भी सुविधाएं देने का प्रबन्ध किया जाएगा ; और यदि हां, तो प्रस्ताव की मूख्य रुप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । भारत से कुछ क्षेत्रों के लिये, जिनमें उत्तरी अमरीका, यू० के०, मध्य पूर्व, दूर पूर्व तथा आस्ट्रेलेशिया सम्मिलित हैं, एयर इण्डिया द्वारा यात्रा करने के लिये विशेष रियायती किराए उपलब्ध हैं । इन विशेष किरायों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) केवलमात्र संसद्सदस्यों के लिये कोई विशेष रूप से घटी दर के किराये नहीं हैं ।

विवरण

विशेष किरायो का संक्षिप्त सारांश

वह क्षेत्र जिस पर किराया लागू होता है	किराये का प्रकार	प्रतिशत छूट
1. मध्य अमरीका . .	14/15 दिवसीय व्यक्तिगत भ्रमण किराया लगभग	20%
2. उत्तरी अमरीका .	22/45 दिवसीय व्यक्तिगत भ्रमण किराया लगभग	17%
3. यू० एस० ए०/कनाडा .	14/20 दिवसीय व्यक्तिगत भ्रमण किराया .	58%
4. उत्तरी अमेरीका .	समवर्गीय सामुदायिक किराया (एफिनिटी ग्रूप फेयर)	39%
5. उत्तरी अमरीका .	प्रोत्साही सामुदायिक किराया 14/28 दिवसीय	39%
6. उत्तरी अमरीका .	सामुदायिक एवं समस्त व्यय सहित भ्रमण-कि रय।	45%

वह क्षेत्र जिस पर किराया लागू होता है	किराये का प्रकार	प्रतिशत छूट
7. फ्रांस . . .	14/90 दिवसीय युवा किराया . .	50%
8. मध्य पूर्व . .	मुसलमान तथा इसाई तीर्थ-यात्रियों के लिये विशेष किराये . . .	20% से 30% के बीच
9. यूरोप . .	(क) 15 यात्रियों का समवर्गीय सामुदायिक किराया	30%
	(ख) 30 यात्रियों का समवर्गीय सामुदायिक किराया	45%
10. यूरोप, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका	सामुदायिक एवं समस्त व्यय सहित भ्रमण किराया	39%
11. मारीशियस . .	सामुदायिक एवं समस्त व्यय सहित भ्रमण किराया	45%
12. फिजी/न्यू कैलेडोनिया .	व्यक्तिगत एवं समस्त व्यय सहित भ्रमण किराया	30%
13. आस्ट्रेलेशिया, जापान, मलयेशिया, सिंगापुर	समवर्गीय सामुदायिक किराया . .	30%
14. जापान, हांगकांग, फिलीपाइंस, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया	सामूदायिक एवं समस्त व्यय सहित भ्रमण किराये .	40%

कूच बिहार शरणार्थी सेवा के आयकर का निर्धारण

5435. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री 26 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार शरणार्थी सेवा के आयकर के निर्धारण के बारे में आयकर निर्धारण अधिकारियों के निष्कर्ष प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। 26 मई, 1972 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7620 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा कर दिया गया है। कार्यान्वियन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न की जाती है। [ग्रंथालय में रखी गयी।देखिये संख्या एल० टी० 4673/73]

(ख) कूच-बिहार शरणार्थी सेवा को आयकर नहीं देना होता। अत: अगली कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी उदयोगों को दिये गये ऋणों के लिए दो लेखे रखने की व्यवस्था समाप्त करने का राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिया गया निदेश

5436. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को चीनी उद्योगों को दिए गए ऋणों के लिए दो लेखे (कच्चा माल लेखा तथा उत्पादन लेखा) रखने की व्यवस्था समाप्त करने का निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : गन्ना संभरकों को उनके पावनेकी तत्काल अदायगी का सुनिश्चयन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1971 में अनु-सूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह परामर्श दिया था कि वे चीनी उदयोगों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए दो खातों की प्रणाली अपनाएं अर्थात गन्ना संभरकों को की जाने वाली अदायगीयों के प्रयोग किये जानेके लिये 'देय गन्ना मूल्य खाता' और अन्य लेनदेनों के लिए 'सामान्य खाता' रखें। यह प्रणाली अभी माप्त नहीं की गयी है ।

तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में मुण्डियम्पक्कम में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषि विकास बैंक खोलना

5437. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के एक विंग के रुप में कृषि विकास बैंक तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में मुण्डियम्पक्कम में नवम्बर, 1971 में खोला जाना था जिस के उद्घाटन समारोह की तिथि निश्चित हो चुकी थी और इस के आमंत्रण-पत्र भी भेजे जा चुके थे ;

(ख) क्या बाद में वह समारोह बिना और कोई तारीख निश्चित किए स्थगित कर दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो क्यों ; और

(घ) उक्त बैंक के खोलने की क्या तारीख निश्चित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : जी हां। भारतीय स्टेट बेंक में मूण्डियापक्कम में कृषि विकास शाखा खोलने के लिए एक योजना बनायी थी और आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां की थी ।

(ग) कृषि विकास शाखा इसलिए नहीं खोली जा सकी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने, इस स्थान में उपलब्ध सुविधाओं के विचार से लाइसेंस नहीं दिया था ।

(घ) फिलहाल इस स्थान के स्टेट बैंक का कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव नहीं हैं ।

Persons belonging to Scheduled Castes working in Nationalised Banks in Surat District, Gujarat

5438. **Shri Amar Singh Chaudhary :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of persons belonging to Scheduled Castes working in the nationalised bank in Surat District (Gujarat)?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : As on 28-2-1973, the number of employees belonging to Scheduled Castes working in the nationalised banks in Surat District (Gujarat) is 68.

आस्ट्रिया से ऋण के लिए करार

5439. **श्री पुरुषोत्तम काकोड़कर :**

श्री के० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्ट्रिया और भारत ने 973 के लिए एक सहायता करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सहायता की राशि का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । 22 दिसम्बर, 1972 को भारत और आस्ट्रिया की सरकारों के बीच 37.91 लाख रुपये के एक ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) इस ऋण के व्याज की दर 2 प्रतिशत वार्षिक है और इसे 18 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 7 वर्षों की प्रारम्भिक रियायती अवधि शामिल नहीं है ।

(ग) इस ऋण का उपयोग आस्ट्रियाई मूल की वस्तुओं और पूंजीगत माल के आयात के लिए किये जायेगा ।

आयातों लाइसेंसों का दुरुपयोग

5440. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
श्री रणबहादुर सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्टियों को जारी किये गये आयात लाइसेंसों के दूरुपयोग के समाचार सरकार को मिले हैं;

(ख) 1972-73 में कितने मामलों में आयात लाइसेंसों का दूरुपयोग किया गया;

(ग) संबंधित पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या आयात लाइसेंसों के बडे पैमाने पर दूरुपयोग को देखते हुए कोई संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 1972-73 के दौरान आयात लाइसेंसों के कथित दूरुपयोग के कुछ मामलों की जानकारी सरकार को मिली है । चूंकि, दूरुपयोग के ये मामले हाल ही में प्राप्त हुए हैं अत: अभी ये मामले या तो विभागीय स्तर पर या प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से या केन्द्रीय जांच ब्यरो के माध्यम से विचाराधीन हैं । इस समय लाइसेंसों के वास्तविक दूरुपयोग के मामलों की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि जांच पूरी किये जाने पर ही इसका पता लगाया जा सकता है ।

(ग) तथा (घ) 1972-73 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आयात लाईसेंसों का बडे स्तर पर दुरुपयोग हुआ है । जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, निस्संदेह कुछ मामले आयात नियंत्रण प्राधिकारियों को सूचित किये गये हैं । लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन अथवा आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किये गए आदेशों के उल्लंघन किये जाने पर कार्यवाही करने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं । लाइसेंसों का दुरुपयोग किये जाने पर कार्यवाही करने के सरकार को अधिकार हैं, जिनके बारे में नीचे बताया जाता है :—

(1) जिन पार्टियों को लाइसेंसों के दूरुपयोग के लिए दोषी पाया जाए उन्हें निर्दिष्ट अवधि के लिए आयात लाइसेंस जारी किये जाने अथवा मार्गीकृत अभिकरणों को रिलीज आदेश जारी किये जाने के संबंध में वंचित करना;

(2) यदि अपराध गंभीर स्तर का समझा जाए तो उपर्युक्त (1) में उल्लिखित विभागीय कार्यवाही के अलावा, उन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है जिन्होंने आयात लाइसेंसों का दूरुपयोग किया होता है ।

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन जारी किये गय आदेशों का यह देखने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है कि क्या अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किये जाने वाले आदेशों के दंडात्मक उपबंध प ्प्ति हैं या उन्ह और ी कठोर बनाया जाना चाहिए ।

जांच के बाद जिन फर्मों तथा व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है उनके नाम 'विकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, इम्पोर्ट लाइसेंससे एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस' में प्रकाशित किय जाते हैं। इस बुलेटिन की प्रतियां लोकसभा सचिवालय को भेजी जाती हैं ।

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5441. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री के० लकप्पा : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने सर्किलवार तुरन्त हड़ताल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगे क्या हैं और प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच किस बात पर मतभेद हैं; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च कर्मचारियों ने भी हाड़ताल करने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय म उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ग) : जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

निश्चित स्टेशनों पर न उतरने वाले इण्डियन एयरलाईस के विमान

5442. श्री रण बहादूर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर बिमानन** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसी घटनायें आई हैं जहां इण्डियन एयरलाइंस के विमान निश्चित स्टशनों पर इसलिये नहीं उतरते कि वहां केवल एक या दो यात्री ही प्रतीक्षा कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इस चूक का पता लगाने के लिए क्या व्यवस्था विद्यमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ का आंदोलन

5443. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ ने बोनस, महंगाई भत्ते में की गई कटौती बहाल करने, बेहतर पदोन्नति और व्याज-रहित आवासऋणों के प्रश्न पर देशव्यापी आंदोलन आरंभ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने बातचीत द्वारा इसका हल ढूंढने का कोई प्रयास किया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) फेडरेशन ने, अपने सदस्यों को, अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन आदि करने का आहवान दिया है और कुछ कद्रों पर प्रदर्शन किये भी गये हैं ।

(ख) और (ग) : बोनस का प्रश्न तो वैसे भी कर्मचारियों के साथ हुए उस समझौते से निपटा हुआ है, जिसको मियाद 31 मार्च 1973 तक है ।

महंगाई भत्ता के विषय में विवाद, समझौते में तत्संबंधी व्यवस्था की व्याख्या को लेकर है और दिनांक 28 दिसम्बर 1972 के सरकारी आदेश द्वारा यह प्रश्न बम्बई स्थित औद्योगिक अधिकरण को विचारार्थ भेजा हुआ है ।

पदोन्नति संबंधी नियमों के विवाद को एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विचारार्थ भेजने के प्रश्न पर गौर किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम ने कर्मचारी संघों को सूचित किया है कि कर्मचारियों को आवास ऋण अभी भी ब्याज की रियायती दरों पर ही दिये जा रहे हैं तथा ब्याज की दर को अतिरिक्त तौर से घटाना संभव नहीं है ।

दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय

5444. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1973 में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें 1959 से लागू होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव होगा; और

(ग) क्या इस संबंध में वे आदेश दे दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : फैसले की एक प्रति अभी ही मिली है । उसमें निहित तात्पर्य की समीक्षा करने के बाद ही इस मामले में उचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

छोटे व्यापारियों और किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण

5445. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे व्यापारियों और किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए है;

(ख) क्या इस समस्या-विशेष को हल करने के लिए सभी बैंकों में एक 'सैल' बना दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बैंकों ने इस प्रयोजन के लिये विशेष योजनाएं बनाई है और अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपाय किये है :—

ऋणों के आवेदनपत्रों की छानबीन करने में; पार्टी की हैसियत की बजाय पार्टी के प्रयत्नों पर अधिक ध्यान दिया जाता है । फार्मों और प्रक्रियाओं में उपयुक्त परिवर्तन किये जा रहे हैं । बैंकों ने अपने विकास कर्मचारी बढ़ा दिये हैं । ऋण गारण्टी निगम ने इस प्रकार के ऋणों के लिये ऋण गारण्टी देने की योजना शुरू की है । कुछ बैंकों ने छोटे व्यापारियों की सहायता के लिये परामर्श सेवाओं और बहु-सेवा अभिकरणों का गठन किया है ।

(ख) सामान्यतः राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों को निपटाने के लिये विशेष कक्ष या विभाग स्थापित किये हैं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

6—7 L.S.S./73

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों में असन्तोष

5446. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) बातचीत द्वारा समझौता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है कि आल इंडिया रिजर्व बैंक आफ इंडिया एम्पलाईज़ एसोशियेशन खराब करेंसी नोटों की जांच और उनके निपटारे की संशोधित प्रक्रिया को समाप्त करने और बैंक में काम धंधों को दूर करने वाले तथाकथित उपायों को हटाने के लिये आंदोलन करती रही है । रिपोर्ट मिली है कि एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से बात चीत के दौरान बैंक ने इन मुद्दों के संबध में सही स्थिति स्पष्ट कर दी है और काम काज खत्म करने के संबंध में उनकी आशंकाओं का निवारण करने का प्रयत्न किया है ।

2. यह रिपोर्ट भी मिली है कि रिवर्ज बैंक आफ इंडिया आफिसर्स एसोसियेशन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अफिसर्स कैडर पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के क्रियान्वय में तथाकथित विलम्ब के विरुद्ध आंदोलन कर रही है और उसकी सिफारिशों के शीघ्र कार्यन्वयन की मांग कर रही है । बैंक ने उन्हें सूचना दी है कि उक्त सिफारिशें विचाराधीन है ।

दिल्ली में छोटी रोजगारी की कमी

5447. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री शंकर राव सावन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बातकी जानकारी है कि दिल्ली में अभी भी छोटी रोजगारी की काफी कमी है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक भी कनाट प्लेस (नई दिल्ली) स्थित के कई रेस्टारेंटों को छोटी रोजगारी की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो बाजार में अधिक रोजगारी उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार हैं, जिससे कि जरूरतमंद बस यात्रियों और दुग्ध डिपों पर उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिल्ली में छोटे सिक्कों की भारी कमी नहीं है । टकसालों द्वारा अधिक संख्या में छोटे सिक्के सप्लाई किए जाने के परिणामस्वरूप इस समय भारतीय रिजर्व बैंक अपने काउण्टरों से काफी अधिक संख्या में छोटे सिक्के दे रहा है ।

(ख) नई दिल्ली स्थित भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली/नई दिल्ली के होटलों/रेस्टोरेंटो को उनके आकार के अनुसार 400 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक मासिक के हिसाब से सिक्के दे रहा है तथा इन मासिक कोटों के अलावा, इनसे और मांग प्राप्त होने पर और सिक्के भी दे रहा है ।

(ग) बैंक अपनी काउण्टरोंपर जनता को 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से छोटे सिक्के दे रहा है । यदि किसी व्यक्ति को 10 रुपय से अधिक के सिक्के चाहिएं तो बैंक इस बारे में आवेदन प्राप्त होने पर अधिक सिक्के दिए जाने की स्वीकृति भी दे देता है । इस समय बस यात्रियों की सुविधा के लिए प्रति सप्ताह 20,000 रुपये तक के छोटे सिक्के दिल्ली परिवहन निगम को दिए जाते हैं । अब तक, दिल्ली दुग्ध योजना ने छोटे सिक्कों के कोटे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है, परन्तु दुग्ध केन्द्रों पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यदि इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त होगा तो उस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा ।

1973-74 के बजट के बाद अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृध्दि

5448. श्री राम सहाय पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1973 को वर्ष 1973-74 का बजट पेश होने के पश्चात् अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बजट के पेश होने के बाद की अवधि में थोक मूल्य सुचकांक में वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है, और

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग): 10 मार्च 1973 को समाप्त हुए सप्ताह के थोक मूल्यों का सामान्य सूचकांक (सबसे हाल के उपलब्ध आंकडे) (1961-62=100) 0.9 प्रतिशत बढ़ कर 220.8 हो गया है, जबकि 24 फरवरी 1973 (बजट पूर्व सप्ताह) को समाप्त हुए सप्ताह का सामान्य सूचकांक 218.8 था। इस अवधि में सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि मुख्यत: देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण खाद्ध पदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन को काफी नुकसान पहुंचाने के परिणाम स्वरूप इस समूह के मूल्य-सूचकांक के बढ़ जाने के कारण हुई है। इन समूहों में सम्मिलित वस्तुओं पर 1973-74 के बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है। सरकार, मूल्य वृद्धि के दबावों को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय, राजस्व विषयक तथा प्रशासनिक उपाय अपनाती रही है जिनका ब्यौरा 1972-73 की आर्थिक समीक्षा में दिया गया है।

वित्त मंत्रालय में काम कर रहे अनुवादक

5449. श्री प्रबोध चंद्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में कुल कितने अनुवादक हैं; और

(ख) उनमें स्थायी तथा अस्थायी अनुवादकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख): वित्त मंत्रालय (सचिवालय खास) में कुल अनुवादकों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :–

अनुवादकों की कुल संख्या : 31 स्थायी : 5 अस्थायी : 26

वर्ष 1971-72 और 1972-73 में राज्य व्यापार निगम के विदेश गये अधिकारी

5450. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में अब तक राज्य व्यापार निगम के कितने अधिकारी विदेश गये; और

(ख) उन पर विदेश मुद्रा में कितना खर्च हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 81।

(ख) 2.87 लाख रुपये।

विदेशों में खाते रखने वाले राज्य व्यापार निगम के अधिकारी

5451. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य व्यापार निगम के अनेक अधिकारियों के विदेशों में खाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों की राशि तथा इसकी समाप्ति के समय वसूली के लिये बकाया राशि

5452. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण की कुल राशि क्या है तथा इसकी समाप्ति के समय वसूली के लिये कितनी राशि बकाया थी;

(ख) तब से अब तक प्रति वर्ष कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) क्या वसूली की गति अति धीमी रही है और वसूली करने वाले इस प्रशासन की समाप्ति के बाद प्रभावहीन ढंग से काम करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो बकाया ऋणों की वसूली करने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पुनर्वास वित्त प्रशासन ने जिसकी स्थापना 1948 में की गयी थी, 31 दिसम्बर 1960, तक अर्थात् इसकी समाप्ति की तारीख तक पहले पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को 11.22 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे । 1-1-1961 को व्याज सहित ऋणों की कुल बकाया रकमें 7.30 करोड़ रुपया थी ।

(ख) वसूल की गयी/बट्टे खाते डाली गयी व्याज सहित रकमों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	वसूल की गयी रकम	बट्टे खाते डाली गयी रकम
	(लाख रुपयों में)	
1961	88.94	8.81
1962	56.16	13.91
1963	72.21	24.78
1964	36.93	27.91
1965	30.66	41.24
1966	20.09	29.65
1967	11.63	25.92
1968	9.26	28.22
1969 . . .	7.39	26.10
1970	4.19	28.37
1971 . . .	2.91	22.16
1972 (नवम्बर, 1972 तक)	3.32	16.32
जोड़ .	343.69	293.39

(ग) और (घ) वसूली में कमी विशेष कर पूर्वी पाकिस्तान के उन ऋण-कर्ताओं/गारंटीदाताओं के सम्बन्ध में हुई जो पूर्वी प्रदेश में आकर बसे थे जहां उन में से अधिकांश अपना कारोबार/उद्योग सफलतापूर्वक नहीं चला सके जिस के लिए उन्हें ऋण दिया गया था और निम्नलिखित कारणों से उनकी पुर्णअदायगी क्षमता समाप्त हो गयी थी :—

(i) चूंकी वे पूर्वी पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्तियों के लिए क्षति पूर्ति के हकदार नहीं थे इस लिए उन से वसूल की जाने वाली रकमों के बदले क्षतिपूर्ति की रकमों का समायोजना नहीं किया जा सका जैसा कि भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के मामले में किया गया था,

(ii) असम और उत्तरी बंगाल के कुछ भागों में आयी दैवी विपत्तियां,

(iii) असम के भाषायी दंगे,

(iv) चीन के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 में युद्ध के कारण पूर्वी क्षेत्र की सामान्यता असाधारण परिस्थितियां।

1962 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मामले में यह फैसला दिया था कि प्रमाणपत्र अधिकारी पुनर्वास वित्त प्रशासन के ऋणों को वसूल करने के अधिकारी नहीं हैं और उसके परिणाम स्वरूप प्रमाणपत्र अधिकारियों द्वारा जारी किये गये अधिकांश वसूली प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये थे।

इस के कारण उस क्षेत्र में वसूली पर कुप्रभाव पड़ा। पश्चिम बंगाल में यथा प्रयुक्त राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के 1966 के संशोधन के साथ प्रमाणपत्र अधिकारियों को राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत पहले जारी किये गये प्रमाणपत्रों के सम्बंध में समाहर्ता के सारे अधिकारों का प्रयोग करने और सम्पूर्ण कर्तव्यों और कार्यों का पालन करने के लिए अधिकृत करना पड़ा। केवल अक्टूबर 1966 के बाद ही कार्यवाही के लिए पड़े हुए मामलों पर प्रमाणपत्र अधिकारी कार्यवाही शुरू कर सके।

फिर भी बकाया रकमों की वसूली और अशोध्य ऋणों के मामले में ऋणकर्ताओं/गारंटीदाताओं से सम्पर्क स्थापित करके और उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के अनुसार उचित राशियों की अदायगी पर उनके मामलों में समझौता करके उन्हें समाप्त करने और वसूली करने के सभी प्रयत्न किये गये है। कुछ एक मामलों में जहां यह महसूस किया जाता है कि ऋणकर्ता/गारंटीदाता की और अदायगी करने की क्षमता नहीं है और वसूली की कार्रवाई से वे अपने परिवारों सहित फिर से अस्त व्यस्त हो जायेंगे, उन मामलों में बकाया राशि को बट्टे खाते डाला जा रहा है। उपयुक्त मामलों में ऋणकर्ताओं/गारंटीदाताओं से वसूली के लिए प्रमाणपत्र अधिकारियों से व्यक्तिगत संम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

निर्यातक सूती कपड़ा उद्योग को दी गई राज सहायता

5453. श्री सरोज मुखर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े की वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए 1970-71 और 1971-72 के वित्तीय वर्षों में सूती कपड़ा उद्योग को कुल कितनी राज सहायता दी गई ;

(ख) भारत में निर्मित सूती कपड़ा वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिए कौन-कौन सी कंपनियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से राज सहायता दी गई; और

(ग) विभिन्न प्रकार की राज सहायता जैसे (1) वित्तीय सहायता, (2) प्रशुल्क छूट और ऋण देने के अलग-अलग तरीके क्या हैं और गत दो वित्तीय वर्षों में इन मदों के अंतर्गत कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार सूती वस्त्रों के निर्यातकों को प्रत्यक्ष रूप से कोई राज सहायता नहीं देती है। परन्तु सरकार भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ को निर्यातित सूती वस्त्रों पर जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 5% की दर पर विपणन विकास निधि से एक अनुदान ऐसे वस्त्रों पर वापस न हो सकने वाले करों की कुछ राशि को पूरा करने हेतु मुआवजे के रूप में देती हैं। वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ को वितरीत किया गया अनुदान क्रमशः 5.49 करोड़ रुपये तथा 5.35 करोड़ रुपय है। कोई ऋण मंजूर नही किये गये थे। देश के निर्यातित सूती वस्त्रों के संबंध में विशिष्ट दरों पर शुल्कों की वापसी की स्वीकृति दी जा सकती है। इनकी वापसी का दावा सभी निर्यातकों द्वारा किया जा सकता है

Arrangements made to impart training to Tourist Guides by Tourism Department

5454. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Department of Tourism has made any arrangements to impart training to tourist guides and if so, the names of the places where such arrangements have been made and the total expenditure incurred thereon during 1972-73; and

(b) the qualifications of the persons eligible for this training and whether they are required to take an examination also after training?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir During 1972-73, the Department of Tourism arranged a Guide Training Course each at Madras and Cochin through the local Government of India Tourist Offices, at a cost of Rs. 4,390 and Rs. 3,920 respectively.

(b) Graduates are eligible to apply for training and preference is given to those who are fluent in foreign languages. On completion of the course, written and oral examinations are taken.

Taking over of Pathini Tea Estate

5455. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) when the Tea Corporation took over Pathini Tea Estate and the circumstances under which it was taken over;

(b) whether a foreign Government is in possession of 144.82 acres of land; and

(c) the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Pathini Tea Estate has been purchased by Government of India and is owned by them.

(b) Yes, Sir.

(c) It has not been considered opportune for the present to raise this problem with the Government of Bangladesh which is pre-occupied with urgent and heavy talks of reconstruction and rehabilitation.

Disposal of cases pending for assessment of taxes on priority basis

5456. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases still pending assessment of taxes on priority basis and the date since when pending; and

(b) whether Government would take any measures to expedite disposal of those cases and if so, the time by which the cases will be disposed of?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Income-tax assessments are placed in five categories in the scale of importance. The top important cases comprising Category I are those with income over Rs. 25,000 from business/ profession. As on 31-12-72 there were 2.27 lakh Category I assessments pending. The time limit within which any assessment has to be completed under the Income-tax Act, 1961 is two years from the end of the relevant assessment year. These pending assessments are within the time limits prescribed under the Income-tax Act, 1961. However, information regarding the exact dates since which these assessments are pending is not available and its collection will involve considerable time.

(b) Section 143(1) of the Income-tax Act, 1961 was amended with effect from 1-4-71 to provide for summary assessment of comparatively unimportant cases. Completion of bulk of the assessments under summary procedure by junior assessing officers will leave the senior assessing officers more time and attention for important cases so that these get proper and prompt attention. Administrative directions have also been issued for priority handling of these assessments. Lastly, the time limit for completion of Income-tax assessments has been generally reduced from 4 to 2 years by amending the relevant provisions in the Income-tax Act. With these measures it is hoped that the important assessments will get disposed of expeditiously and well within the time limits now prescribed in the Income-tax Act.

Income-tax Payers

5457. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of persons who pay more than Rs. 1,000 in the form of Income-tax?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The information regarding number of persons who were assessed to Income-tax (including Corporation-tax) of more than Rs. 1,000 during the period from 1-4-72 to 31-3-73 is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Assurance from Deputy Chairman of World Bank for Development works in Bihar

5458. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Deputy Chairman of the World Bank has given some assurances for the development works in Bihar; and

(b) if so, a gist thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Popularity of Indian Handlooms in Foreign Countries

5459. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Indian handlooms are becoming popular in foreign countries;

(b) if so, the progress made in this regard during the last two years in terms of foreign exchange earned and quality exported; and

(c) the names of the countries to which clothes were exported during the last two years along with the quantity and names of the clothes so exported?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The acceptability of Indian handloom goods in some foreign countries is on the increase.

(b) & (c) A statement is attached.

Statement

1. The amount of foreign exchange earned was—

	Rs. crores
1970-71	26.13
1971-72	30.08

2. The names of important countries are—

(i) The European Common Market Group,
(ii) Nordic Countries,
(iii) East European Countries,
(iv) U.S.A.,
(v) Canada,
(vi) West African Countries,
(vii) Japan, and
(viii) Australia.

3. Figures of exports of handloom goods are generally maintained in terms of value.

4. The popular varieties are—

(a) Cotton handloom shirtings,
(b) Dress materials,
(c) Real Madras Handkerchiefs,
(d) Bedspreads,
(e) Furnishings,
(f) Towels and toweling cloth,
(g) Crepes,
(h) Seer sucker, and
(i) Readymade garments.

बटाईदारों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता देना

5460. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बटाईदारों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना तैयार की है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने खेती के कारोबार और दुग्धशालाओं के विकास, मुर्गीपालन, सुअरपालन आदि अन्य संबद्ध कार्यों के लिये वित्त व्यवस्था करके ने उद्देश्य से सामान्य योजनायें तैयार की हैं, जिसके अन्तर्गत कृषक और कृषिकामिक दोनों सहायता पाने के हकदार है। इन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार के चुने हुये क्षेत्रों में बटाई पर खेती करने वालों को भी वित्त पोषित किया है।

उस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत बैंक विभिन्न कृषि संबंधी कार्यों, जिनमें खेती के काम आनेवाली वस्तुओं के लिए फसली ऋण जैसे कुओं, नलकूपों, पम्प सैटों जैसे लघु-सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों, ट्रैक्टरों और कृषि संबंधी मशीनों तथा अन्य भूमि विकास तथा भूमि सुधार के साधनों के लिये ऋण पूर्ति करते है।

ये बैंक दुधारु पशुओं के लिये, सूअरखानों को चलाने के लिये सुअरों की खरीद और चूजों की खरीद के लिये, मुर्गीपालन शैडों के निर्माण के लिये तथा मुर्गीदाना आदि की खरीद के लिये कार्यचालन पूंजी की व्यवस्था भी करते हैं।

पांचवी योजना में केरल में पर्यटन के विकास के लिये योजनाएं

5461. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पांचवी योजना में पर्यटन के विकास के लिये कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, प्रस्तुत की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) योजनाओं पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) क्या केन्द्र ने इस योजनाओं को स्वीकृति दे दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (घ) जब से योजना स्कीमों के भाग II की समाप्त किया गया है, पर्यटन स्कीमों को या तो केन्द्रीय क्षेत्र में लिया जाता है या राज्यीय क्षेत्र में। नि:संदेह, केरल सरकार पांचवीं योजना के लिये अपनी पर्यटन स्कीमें स्वयं तैयार कर रही है, तथा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उनके लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। पांचवीं योजना के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की पर्यटन स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिये ऋण दिया जाना

5462. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये जाने वाला ऋण वर्ष प्रतिवर्ष घटता जा रहा है जबकि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण में वृद्धि हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जी नहीं। जैसा कि संलग्न विवरण पता चल जाएगा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कृषि अग्रिमों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती रही है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कृषि अग्रिमों का वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बकाया ऋण अग्रिम			राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये अग्रिमों का कुल अग्रिमों में प्रतिशत
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	
जून 1969 . .	26.96	33.47	60.43	3.3
जून 1970 . .	98.47	52.68	151.15	6.7
जून 1971 . .	129.64	65.80	195.44	7.4
जून 1972† . .	167.71	87.49	255.20	8.6

† अनन्तिम।

लो कार्बन फैरो-क्रीम का निर्यात

5463. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास निगम, उडिसा ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह विदेशों कोलो कार्बन फैरो-क्रीम निर्यात करने के लिये राज-सहायता देने के प्रश्न पर विचार करे क्योंकि उसकी मांग कम है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फ़ैरो-क्रीम के निर्यातों को प्रतिपूरक समर्थन देने का इस बीच विनिश्चय किया जा चुका है।

मार्च, 1973 में एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण हुई हानि

5464. **श्री बी० आर० शुक्ल :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 में एयर इण्डिया के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया के कर्मचारीवर्ग ने जिनका कि प्रतिनिधित्व वायु निगम कर्मचारी संघ तथा एयर इंडिया अधिकारी संघ करते है 8 मार्च के अपरान्ह से हड़ताल कर दी। हड़ताल 10 मार्च को शाम 7 बजे समाप्त कर दी गयी थी।

(ख) एयर इण्डिया द्वारा उठायी गयी हानि लगभग 30 लाख रुपये है।

केन्द्रीय क्षेत्र में एक महल को पर्यटक स्थल के रूप में शामिल करने के लिये अपनाई गई कसौटी

5465. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद नवाब महल को केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक स्थल के रूप में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह ; और

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में एक महल को पर्यटक स्थल के रूप में शामिल करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) विभाग द्वारा पर्यटक रुचि के महलों की कोई विशिष्ट सूची नहीं रखी जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र में मुर्शिदाबाद के नवाब के महल के आसपास के क्षेत्र को पर्यटक रुचि के स्थान के रूप में विकसित करने की फिलाहल कोई योजना नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा धन विनियोजन के लिये पर्यटक क्षेत्रों का एक सीमित संख्या में ही चयन किया जाता है जो निधियों की उपलभ्यता के साथ साथ अग्रताओं के क्रम पर निर्भर करता है जिनका कि निर्धारण क्षेत्र विशेष के लिये पर्यटकों के वर्तमान प्रवाह, वहां तक सरलता से पहुंचने की स्थिति तथा अन्य कारणों के आधार पर किया जाता है। यह सोचना राज्य सरकार का विषय है कि क्या इसके ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए मुर्शिदाबाद क्षेत्र की पर्यटकों द्वारा यात्रा के लिये राज्य की पांचवीं योजना के एक भाग के रूप में वहां कोई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।

इण्डियन एयरलाइन्स में घटिया किस्म के खाद्य-पदार्थ सप्लाई करने के बारे में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही

5466. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स में खाद्य-पदार्थों की सप्लाई करने तथा हवाई अड्डों पर जलपानगृह का प्रबन्ध करने के लिये किसी विशेष पार्टि को अनुमति देने के लिये क्या वास्तविक प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स में घटिया किस्म के खाद्य-पदार्थों की सप्लाई के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स की बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में अपनी उड़ान पाकशालाएं हैं। बम्बई तथा दिल्ली में भारत के होटल कारपोरेशन ने "शफयर" के ढंग की उड़ान पाकशालाएं भी स्थापित की। इण्डियन एयरलाइंस द्वारा हवाई अड्डा केटरर या "शेफेयर" से उतनी ही माला में भोजन लिया जाता है जिसकी पूर्ति उनकी अपनी पाकशालाएं करने में असमर्थ होती हैं। अन्य स्टेशनों पर, विमानक्षत्र रेस्तारां से आवश्यकतानुसार भोजन लिया जाता है। कुछ मामलों में जहां कि प्रबंध-व्यवस्था सन्तोषजनक नही समझी जाती है वहां भोजन नगर में उपयुक्त केटररों से लिया जाता है। सभी बाहरी पार्टियों से भोजन सप्लाई करने के लिए दरें बातचीत करके तय की जाती हैं।

साधारणतया, रेस्तांरां चलाने के लिए ठेके टेंडरों के आधार पर दिये जाते हैं। विचार करते समय प्रस्तुत की गयी शर्तें, व्यवसाय में पार्टी का अनुभव तथा उसकी वित्तीय स्थिति ध्यान में रखी जाती हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सभी शिकायतों की पूरी तरह से छानबीन की जाती है और आवश्यक उपचारी कार्रवाई की जाती है।

भारत में निजी क्षेत्र में पांच-स्टार होटल

5467. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में निजी क्षेत्र में चल रहे पांच स्टार वाले कितने होटल हैं और व कहां-कहां पर स्थित हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : भारत में निजी क्षेत्र के पांच-स्टार डी लक्स तथा पांच स्टार वाले होटलों के नाम उनके स्थानों सहित निम्नप्रकार हैं :—

नाम	स्थान
पांच-स्टार डी-लक्स	
1. ताज महल होटल	बम्बई
2. ओबेराय इंटर-कांटिनेंटल	नई दिल्ली
पांच-स्टार	
1. क्लार्क्स शिराज होटल	आगरा
2. सन-एन-सैंड होटल	बंबई

3.	ओबेराय ग्रैंड	कलकत्ता
4.	होटल हिन्दुस्तान इंटर-नेशनल	कलकत्ता
5.	क्लैरिजेज होटल	नई दिल्ली
6.	इम्पीरियल होटल	नई दिल्ली

ब्रिटेन से ऋण क लिये करार

5468. श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार के साथ हाल में 9.5 करोड़ रुपये के ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऋण का प्रयोग किस उद्योग के लिये किया जायेगा;

(ग) करार की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । ब्रिटेन की सरकार के साथ 0.5 करोड़ पौंड (9.484 करोड़ रुपये) के एक ऋण करार पर 7 मार्च, 1973 को हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) इस ऋण का उपयोग ब्रिटेन से भारत के कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चा माल, फालतु पूर्जे तथा संघटकों का आयात करने के लिए किया जायगा ।

(ग) यह ऋण ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता के अन्तर्गत सामान्यत: नरम शर्तों पर दिया जाने वाला ऋण है । यह ब्याज मुक्त है तथा इसे 25 वर्षों में अदा किया जाना है जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है ।

विदेशी सहायता का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव

5469. श्री वसंत साठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि योजना अवधि में विदेशी सहायता का राष्ट्रीय आय पर किस सीमा तक प्रभाव पडा है;

(ख) यदि हां, तो ऊसका क्या परिणाम निकला है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में विदेशी सहायता का क्या योगदान है ;

(ग) क्या विदेशी सहायता का भुगतान और ऋण पर ब्याज की अदायगी कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 1-2 प्रतिशत है; और

(घ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी सहायता का भार कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) निवेश के लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कर के विदेशी सहायता आर्थिक विकास में सहायक होती है । परन्तु यह अनुमान लगाना कठिन है कि राष्ट्रीय आय पर विदेशी सहायता का कितना प्रभाव पड़ता है । 1965-66 से 1967-68 तक के वर्षों के बीच कुल विदेशी सहायता देश में किये गये कुल शुद्ध निवेश का लगभग एक चौथाई थी । बाद के वर्षों में शुद्ध निवेश के मुकाबले में शुद्ध विदेशी सहायता के इस अनुपात में कमी

हुई है और 1971-72 के वर्ष में यह केवल 8 प्रतिशत थी। आशा है कि चौथी आयोजना में कुल सहायता को कम करके आयोजनापूर्व के स्तर से आधे तक ले आने का लक्ष्य पूरा हो जायगा। "पांचवीं आयोजना के प्रति दृष्टिकोण" में विदेशी सहायता को कम करके आयोजना की अवधि के अन्त तक शुन्य कर देने की परिकल्पना की गयी है।

(ग) जी, हां। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में विदेशी सहायता की वापसी अदायगियों तथा ब्याज का अनुपात 1968-69 में 1.25 प्रतिशत तथा 1969-70 और 1970-71 में 1.23 प्रतिशत था।

(घ) विदेशी ऋण के भार को कम करने के उद्देश्य से निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रति-स्थापना जैसे जोरदार उपाय किए गये हैं। इसके अतरिक्त, ब्याज की दरों को कम करवाने तथा वापसी अदायगियों की अवधियों को बढ़वाने जैसे उपायों द्वारा विदेशी सहायता की शर्तों में सुधार करने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही, देश की विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने से भविष्य में ऋण का भार स्वत: ही कम हो जायगा।

विद्युत-चालित करघों और हथकरघा बुनकरों को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

5470. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विद्युत-चालित करघों और हथकरघा बुनकरों को ऋण दिये हैं; यदि हां, तो गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद और बस्ती जिले में कितनी राशि के ऋण दिये गये; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : जी, हां। राष्ट्रीय बैंकों के पास बिजली करघा और हथकरघा बुनकरों को ऋण देने की योजनाएं हैं। आंकड़ों के प्रयोजन के लिये बैंक इस समय ऋण कर्ताओं के विभिन्न व्यवसायों या व्यापारों में भेद नहीं करते। अत: बिजली करघा और हथकरघा बुनकरों के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

नेता बैंक ने आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में बिजली करघा तथा हथकरघा बुनकरों का सर्वेक्षण किया है।

वित्त मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर केन्द्रीय जांच ब्युरों द्वारा मुकदमा चलाने की सिफारिश पर निर्णय न लिया जाना

5471. **श्री राम प्रकाश** :

श्री मूलचन्द डागा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मुकदमें चलाने की सिफारिश पर निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय जांच ब्यूरों को ये मामले कब भजे थे और केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मकदमा चलाने सम्बन्धी सिफारिशें मंत्रालय को कब प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय में इन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिये स्वीकृति दे दी है; यदि हां, तो मामलेवार दी गई स्वीकृति की तारीखें क्या हैं; और

(घ) क्या कुछ मामलों में स्वीकृति वापिस लेने का प्रश्न इस समय मंत्रालय के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) : राजस्व तथा बीमा विभाग (मुख्य) के प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी का मामला जांच के लिए 2-9-1970 को केन्द्रीय जांच कार्यालय (सी० बी० आई०) को सौंपा गया था। केन्द्रीय जांच कार्यालय की रिपोर्ट 5-1-1972 को प्राप्त हुई थी और विभाग के मन्तव्यों के साथ इसे 21-1-1972 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भेज दिया गया था। इस बीच, सरकार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त हो गयी है और वह इस पर विचार कर रही है। लेकिन चूंकि इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है इसलिए इस समय यह बताना वांछनीय नहीं होगा कि केन्द्रीय जांच कार्यालय के निष्कर्ष क्या है अथवा इस मामले पर किस रूप में विचार किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारीयों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में गलत/परस्पर विरोधी बयान देना

5472. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्री राम प्रकाश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसे मामले हैं जिनमें हिन्दी कार्य के लिए नियुक्त किए गए वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गलत/परस्पर विरोधी बयान दिए हैं; यदि हां, तो मामले की परिस्थितियां क्या हैं, क्या बयान दिए गए तथा सरकार ने उक्त बयानों को किस आधार पर गलत/परस्पर विरोधी माना है;

(ख) क्या इन अधिकारियों ने सरकारी कार्यों से संबंधित तथ्यों को छिपाने के लिए उक्त बयान दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन सरकारी कृत्यों के कारण मंत्रालय के किसी कर्मचारी को अनुचित लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : इस मंत्रालय के ध्यान में एक मामला ऐसा आया है जिसमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या इस मंत्रालय में हिन्दी कार्य के लिए नियुक्त किए गए एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए बयान गलत/परस्पर विरोधी थे। मामले पर विचार किया जा रहा है।

पीतल और कांसा (बैल मेटल) उद्योग को नियंत्रित मूल्य पर कच्चा माल सप्लाई न किया जाना

5473. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पीतल और कांसा (बैल मैटल) उद्योग के धीरे-धीरे समाप्त हो जाने का मूल कारण तांबा, जस्ता, सीसा, तथा अन्य अलोह धातु जैसा कच्चा माल नियंत्रित मूल्य पर सप्लाई न किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लियें क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हैदराबाद में हुसेन सागर के तट पर एक 5 स्टार होटल स्थापित करने का प्रस्ताव

5474. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार हैदराबाद में हुसेन सागर के तट पर एक 5 स्टार होटल स्थापित करने का है और उसके लिये स्थान चुन लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का काम कब तक आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम हैदराबाद में एक 4–स्टार वाले 100 कमरों (200 शय्याओं) के होटल का निर्माण करने के बारे में विचार कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कारपोरेशन को होटल बनाने के लिये हुसेन सागर झील के तट पर 10 एकड़ का प्लाट देने की पेशकश की है। प्रायोजना का व्यवहार्यता को दृष्टि से अध्ययन अभी किया जाना है ।

चाय के निर्यात में कमी

5475. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में चाय के निर्यात में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं। गत 3 वर्षों के दौरान भारतीर चाय के निर्यात नीचे दर्शाये गए अनुसार :—

	मात्रा हजार कि० ग्रा० में	मूल्य हजार रु० में
1970	202,016	148,75,33
1971	206,074	155,34,25
1972	207,445 †	156,59,02 †

†अनन्तिम

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हैदराबाद में गोलकुंडा किले में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

5476. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटक यातयात बढ़ाने के लिये हैदराबाद के गोलकुण्डा किले में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम दिखाये जाने की सम्भावना पर विचार किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार द्वारा अतीत में गोलकुंडा किले में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन की स्थापना की संभावना की जांच की गयी ।

(ख) यद्यपि तकनीकी दृष्टि से प्रदर्शन स्थल को उपयुक्त समझा गया है किन्तु अन्य कई कारण, जैसे, हैदराबाद से गोलकुंडा दुर्ग के लिये अच्छी संचार व्यवस्था का अभाव तथा लालकिले के विषय-वस्तु की पुनरावृत्ति इत्यादि, इस प्रकार के प्रदर्शन की स्थापना के विरुद्ध हैं । इस प्रयोजन के लिये गठित विशेषज्ञ समिति ने गोलकुंडा किले में ध्वनि एवं प्रकाश प्रायोजना को स्थापित करने की सिफारिश नहीं की ।

एशिया-72 व्यापार मेले के सम्बन्ध में जनमत के निष्कर्ष

5477. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित एशिया-72 व्यापार मेले की सफलता या असफलता के बारे में जनमत करवाया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त जनमत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी, हां । निष्कर्षों का संक्षिप्त सारांश नीचे रखा जाता है ।

विवरण

एशियाई व्यापार मेले पर जनमत सर्वेक्षण निष्कर्षों का सारांश

मेले के उद्देश्यों तथा संचालन की व्यापक सराहना हुई । अधिकांश व्यक्ति (86 प्रतिशत) मैला देखने से संतुष्ट थे और उनमें से अधिकांश ने अपने मित्रों तथा संबंधियों से मेला देखने की सिफारिश की ।

दर्शकों में से 96 प्रतिशत तक भविष्य में भी समय-समय पर ऐसे मैलों का आयोजन पसंद करेंगे । दस दर्शकों में से चार दर्शक प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन पसंद करेंगे और लगभग इतने ही व्यक्तियों ने यह इच्छा प्रकट की कि यह दो या तीन वर्षों में एकबार आयोजित होता रहे ' विशेष वर्ग' के कुछ अधिक आलोचक दर्शक यह चाहते थे कि ऐसे मेलों का आयोजन बार-बार हो ।

दर्शकों में से एक तिहाई से कुछ अधिक व्यक्ति मेले में कुछ विशेष प्रबंधों के बारे में नाखुश थे । दस दर्शकों में से तीन दर्शकों की प्रमुख शिकायत इस संबंध में थी कि उन्होंने खान-पान के स्थानों को अपर्याप्त तथा महंगा पाया । बाहर दर्शकों में से एक दर्शक ने पर्याप्त पीने के पानी की सुविधाओं की कमी के संबंध में कहा ।

विशेषवर्ग की प्रतिक्रियाएं :

समाचारपत्रों की टिप्पणियों से यह आभास मिला कि सुविज्ञ वर्ग ने एशिया 72 की समानरूप से आलोचना की । तथापि, सर्वेक्षण से इस धारणा की पुष्टि नहीं होती है । विशेष वर्ग का बड़ा अनुपात (एक तिहाई से कुछ अधिक) ने लगभग सभी पहलुओं पर आलोचना की । लेकिन विशेष वर्ग के दर्शकों में से अधिकांश दर्शकों ने अपनी बहुत अच्छी टिप्पणियां दी । इस प्रकार, छ: दर्शकों में से एक यह विचार था कि मेला अपने प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा । दूसरी ओर, विशेष वर्ग के तीन दर्शकों में से दो का विचार था कि एशिया 72 काफी सफल रहा । चार में से तीन एशिया 72 की संपूर्ण व्यवस्था से संतुष्ट थे और उनमें से बहुमत (51 प्रतिशत) का यह विचार था कि अधिकांश मंडपों का प्रदर्शन जनता तथा व्यापारियों दोनों की अभिरुचि के अनुसार किया गया था ।

मेला देखने बार-बार जाना :

एशिया 72 में अनुकूल जनमत प्रतिक्रिया का पता मेले में व्यक्तियों के अनेक बार जाने से चलता है जिसके बारे में मेले में गए व्यक्तियों ने बताया। आधे (52 प्रतिशत) से अधिक ने मेला एक बार देखा ; लेकिन चार में से एक ने मेला दो बार तथा आठ में से एक ने उसे तीन बार देखा। 10 में से एक तीन बार मेला देखने पर संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने चार से सात बार मेला देखा।

मेले के प्रति उत्साह की लोकप्रियता का अनुमान एक अन्य प्रश्न के उत्तरों से भी लग सकता था। जब यह पूछा गया कि क्या वे मेले को पुनः देखना चाहेंगे तब 47 प्रतिशत दर्शकों ने 'हां' में उत्तर दिया।

दर्शकों में से लगभग दो तिहाई ने 10 मंडपों से अधिक मंडप देखे और उनमें से आधों ने 20 से अधिक मंडप देखे। विदेशी मंडपों में से जापान के मंडप ने सर्वाधिक दर्शकों (44 प्रतिशत) की आकृष्ट किया और तत्पश्चात, सोवियत संघ के मंडप (39 प्रतिशत) का स्थान आता है। जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हाल आफ नेशन्स तथा बंगला देश अगले तीन मंडप है जिन्हें बार-बार देखा गया और उनमें से प्रत्येक ने कुल दर्शकों के एक चौथाई की अपनी ओर आकृष्ट किया। अन्य प्रमुख देशों के मंडपों में, जिनका उल्लेख 10 प्रतिशत दर्शकों ने किया, ये हैं : जर्मनी का संघीय गणराज्य (16 प्रतिशत), कनाड़ा (15 प्रतिशत), फ्रांस (13 प्रतिशत), कोरिया गणराज्य (15 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (11 प्रतिशत) तथा पोलैंड (11 प्रतिशत)।

देश के भाग लेने वालों में दर्शकों (54 प्रतिशत) के आधार पर हरियाणा शीर्षपर आता है, जबकि उसके पडौसी पंजाब का दूसरा (48 प्रतिशत) स्थान है और राजस्थान (40 प्रतिशत) भी अधिक पीछे नहीं है। रेलवे (19 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (18 प्रतिशत) के मंडप शीर्ष पांच मंडपों में से थे हालांकि उन्होंने कम संख्या में दर्शकों को आकृष्ट किया।

मूल्यांकन के कारण :

किसी मण्डप को सर्वोत्तम की श्रेणी में रखने के लिए जो बात बार-बार दोहरायी गई, वह थी "आकर्षक प्रदर्शन"। यह राजस्थान (86 प्रतिशत), केरल (85 प्रतिशत), टैक्सटाइल आफ इंडिया (85 प्रतिशत), स्वास्थय तथा परिवार नियोजन (82 प्रतिशत), पंजाब (63 प्रतिशत) तथा हरियाणा के संबंध में अधिक सत्य है, अधिकांश दर्शकों ने "सर्वोत्तम" मंडप के रूप में इनका मूल्यांकन उनके "आकर्षण प्रदर्शन' के कारण किया। रक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, रेलवे तथा रूसी मंडपों का "सर्वोत्तम" मण्डप के रूप में मूल्यांकन करने वाले दर्शकों में से लगभग एक तिहाई ने इसका कारण इनका सूचनात्मक तथा ज्ञान वर्धक होना बताया। जिन दर्शकों ने रूसी मंडप की सर्वोत्तम बताया उनमें से 45 प्रतिशत देश की आर्थिक तथा औद्योगिकीय विकास की मुख्य मुख्य बातों के कारण प्रभावित थे। रक्षा (39 प्रतिशत) तथा रेलवे (33 प्रतिशत) मंडपों के मामले में यही बात काफी हद तक दर्शकों को जंची।

Films exported by Bharatiya Chal-Chitra Nigam during 1971-72 and 1972-73

5478. **Dr Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased **to** state :

(a) the value of films exported by the Bharatiya Chal-Chitra Nigam (Film Corporation of India) during 1971-72 and 1972-73;

(b) the percentage of films exported by the Corporation to the total export films; and

(c) whether the officials of the Corporation have visited various countries to explore the possibility of export, and if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) The value of films exported by Bhartiya Chal-chitra Niryat Nigam (Indian Motion Pictures Export Corporation Ltd.) and the percentage of films exported are given below :.

Financial Year	Value	Percentage
	Rs. lakhs	
1971-72	53.30	11%
1972-73 (April, 72/ Jan. 73)	31.30	Not available

(c) Yes, Sir. The Chairman Indian Motion Pictures Export Corporation visited several countries to explore possibilities of export of Indian feature films. As a result India has been able to enter into Latin American countries which so far was a non-traditional and unknown market for Indian feature films. Chairman negotiated the sale of 15 films to Peru for a total amount of U.S. $ 1,65,000. This also led to subsequent sale of another 37 films totalling U.S. $ 3,03,500.

संकटग्रस्त चाय बागान

5479. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने ऐसे चाय बागान है जो 31 मार्च, 1972 को संकटग्रस्त समझे जाते थे;

(ख) क्या इन संकटग्रस्त चाय बागानों को सरकारी नियन्त्रण में लेने के लिये सरकारने एक निश्चित नीति अपनाई है;

(ग) क्या चाय उद्योग में पनप रहे संकट के कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन कारणों की जांच करने के लिये अध्ययन किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रायलय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) : 24-6-70 को चाय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक उप-समिति द्वारा सभी उत्पादक संघों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी जिसमें उन बागानों से जानकारी मांगी गयी थी जो अपने आप को अलाभकर समझते थे। अब तक प्राप्त उत्तर समिति के विचाराधीन हैं। उप-समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देश में ऐसे बागानों की कुल संख्या का पता और अनुमान लगाया जाना और उपचारात्मक उपायों का विकास करना संभव हो सकता है।

बैंक ऋण में गिरावट

5480. **श्री एम० कतामुतु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्राप्त अतिरिक्त जमा राशी के अनुपात में वृद्धिशील बैंक ऋण की प्रतिशतता केवल 33 प्रतिशत ही रही जबकि पिछले वर्ष यह 50 प्रतिशत थी; और

(ख) यदि हां, तो बैंक ऋण में इस गिरावट के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्राय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अक्टूबर 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्राप्त अतिरिक्त जमा राशि के अनुपात वृद्धिशील बैंक ऋण की प्रतिशतता 30.4 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में यह 52.6 प्रतिशत थी।

(ख) यह कमी मुख्यत: अक्टूबर 1972 तक समाप्त होने वाले 12 महीनों में खाद्य उपलब्धि के लिये अग्रिमों में 72 करोड़ रुपये के कम हो जाने और व्यापार तथा उद्योग के लिए ऋण की माँग में कुछ कमी हो जाने के कारण थी। खाद्य उपलब्धि के लिये अग्रिमों को निकाल कर अक्टूबर 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात 36.1 प्रतिशत थी जब कि अक्टूबर 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में यह 31.2 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों का चयन

5481. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों का चयन किस आधार पर किया गया है; और

(ख) क्या बैंकिंग सुविधाओं तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम जैसे पिछड़े राज्यों का नये गठित बोर्डों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के चुनाव के लिये मानदण्ड राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा विविध व्यवस्थाएं) योजना, 1970 के खण्ड 3 में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त योजना के अनुसार 11 दिसम्बर, 1972 को गठित किये गये 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में नियुक्त 71 गैर-सरकारी निदेशकों में बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य से 4 तथा उड़ीसा और असम प्रत्येक राज्य से 2 निदेशकों है। इन बोर्डों में शेष स्थानों को भरते समय, जहां तक सम्भव हो सकेगा, इस बात को दृष्टिगत रखा जाएगा कि विभिन्न राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि और इन बैंकों द्वारा कृषकों को दिये गये ऋण

5482. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 और वर्ष 1972–73 के जनवरी, मास तक बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी जमा राशि थी और इसी अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा कृषकों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जून 1970, 1971 तथा 1972 के गत शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बकों में जमा के आंकड़े तथा उस राज्य में कृषकों को दिया गया अग्रिम निम्नलिखित है :—

(राशि लाख रुपयों में)

के गत शुक्रवार को	जमा	कृषि को अग्रिम	
		जोड़	जिसमें से कृषकों को सीधी सहायता
जून, 1970 . . .	9,149	158	38
जून, 1971	10,945	314	147
जून, 1972	13,899	466	280

टिप्पणी:—(1) आंकड़े रिपोर्टिंग कार्यालय से संबंधित हैं।

(2) जून, 1972 के आंकड़े अस्थायी हैं।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया में सेवा नियम

5483. श्री इसहाक सम्भली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अनुसार अधिकारियों की सेवा शर्तों का ब्यौरा देते हुए सेवा नियम बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या ये सेवा नियम की प्रतियां अधिकारियों को दी जाती हैं या वे बाजार में उपलब्ध हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सहायक बैंकों के निर्माण के पूर्व प्रत्येक बैंक के अपने सेवा नियम थे जो उस दशा को छोड़कर, जहाँ पर कि उनकी सेवा संबंधी शर्तों में संबद्ध सहायक बैंकों के निदेशक बोर्डों द्वारा सुधार होता रहता है, अब भी प्रचालित है।

(ग) अधिकारियों पर लागू होने वाले सेवा नियम संदर्भ के लिये प्रत्येक सहायक बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्रों में उपलब्ध है।

"मैन-मेड फ़ाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन" उपभोक्ताओं के बीच करार

5484. श्री इसहाक सम्भली : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टैक्सटाइल कमिशनर" के बीच-बचाव पर 7 फरवरी, 1972 को "मैन-मैड फाइबर स्पिनर्स एसोसियशन" और उपभोक्ताओं के बीच हुआ करार केवल चार महीने तक ही लागू रहा जब कि उसकी वैधता एक वर्ष अर्थात् 31 दिसम्बर, 1972 तक थी; और

(ख) उद्योग निदेशक, पंजाब की अध्यक्षता में उपरोक्त दोनों पार्टियों द्वारा किये गये दूसरे करार को स्पिनरों ने कभी लागू नहीं किया और उन्होंने इसके विपरीत उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई दरोंपर यार्न सप्लाई करने का अपना निर्णय थोप दिया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वस्त्र आयुक्त के हस्तक्षेप से मानवनिर्मित रेशा कत्तिन संघ तथा उत्तरी क्षेत्र के बुनकर संघों के बीच फरवरी, 1972 को एक करार हुआ। इस करार में यह व्यवस्था है कि विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत की सप्लाई मानव निर्हित रेशा कत्तिन संघ द्वारा घोषित उच्चतम कीमतों पर की जाएगी और शेष 50 प्रतिशत खुले बाजार में उपलब्ध होगा। चूंकि इस करार से पंजाब और उत्तर प्रदेश के बुनकर संतुष्ट नहीं थे अतः मानव निर्मित रेशा कत्तिन संघ तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश के बुनकरों के संघों के बीच अनेकों वार्ताएं हुई। वाणिज्य उप मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कत्तिन संघ तथा बुनकरों के संघ के प्रतिनिधि सहमत हुए कि मिलों द्वारा उत्पादित स्टेपल फाइबर धागे की सम्पूर्ण मात्रा साउथ इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन के तरीके पर और उस एसोसिएशन द्वारा घोषित कीमतों पर वितरित की जाएगी। यह करार 19–5–72 को हुआ था और अभी तक चालू है।

साउथ इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा घोषित उच्चतम कीमतें मानव निर्मित रेशा कत्तिन संघ द्वारा घोषित उच्चतम कीमतों से अधिक थी। उपरिर्वाणत बैठक में वाणिज्य उपमंत्री ने इस तथ्य पर विचार विमर्श किया और बुनकरों के प्रतिनिधि इन कीमतों के लिए विशेषरूप से सहमत थे। उद्योग निदेशक, पंजाब की अध्यक्षता में कत्तिनों तथा बुनकरों के संघों के बीच हस्ताक्षरित किसी औपचारिक करार के संबंध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

Measures to recruit Local People on Lower Posts in M.M.T.C. Offices

5485. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total number of employees in the M.M.T.C. offices at Giridih and Kodarma (Jhumari Tilaiya);

(b) whether the local people have not been appointed in either of the said offices; and

(c) whether Government propose to take any measures to the effect that local people may be recruited to lower posts, such as Clerks and Peons in the above mentioned offices of M.M.T.C.?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) 20.

(b) & (c) : The M.M.T.C. has already recruited eleven local people in lower posts.

Decision regarding Re-employment of Persons working against Temporary Posts in Asia '72

5486. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to State Government's decision in regard to re-employment of persons working against temporary posts in Asia 72

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : The appointment of persons of Asia 72 was purely temporary for the ad hoc purpose of a specific project. With the closure of Asia 72, the staff is being reduced according to a phased programme. It does not, therefore, afford any room for their re-employment.

Boards and Corporation under the Commerce Ministry

5487. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state

(a) the number and names of corporations and boards functioning under his Ministry at present; and

(b) the total expenditure incurred on running these Corporations and Boards during the last one year?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) There are ten Corporation and seven Boards functioning under this Ministry, the names of which are given in the attached statement.

(b) The total expenditure incurred on running the Corporations and Boards during 1971-72 was Rs. 15.16 crore (approximately). (This includes the figure for the Export Credit and Guarantee Corporation, Bombay, for the calender year 1971).

Statement

S. No.	Name of the Corporation/Board
1	State Trading Corporation, New Delhi.
2	Minerals & Metals Trading Corporation, New Delhi
3	Handicrafts & Handloom Export Corporation, New Delhi.
4	Export Credit & Guarantee Corporation, Bombay.
5	Indian Motion Pictures Export Corporation, Bombay.
6	Cotton Corporation of India, Bombay.

7 Projects & Equipment Corporation, New Delhi.

8 Cashew Corporation of India, Ernakulam.

9 Jute Corporation of India, Calcutta.

10 Tea Trading Corportion, Calcutta.

11 Tea Board, Calcutta.

12 Coffee Board, Bangalore.

13 Rubber Board, Kottayam.

14 Cardamom Board, Ernakulam.

15 All India Handicrafts Board, New Delhi.

16 All India Handloom Board, Bombay.

17 Marine Products Export Development Authority, Ernakulam.

Number of hippies out of total number of Foreign Tourists who visited India during 1972

5488. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviaition** be pleased to state :

(a) the total number of foreign tourists who visited India during 1972 and how many of them were 'hippies'; and

(b) the definition of 'hippies' and how they are distinguished from other foreign tourists?

The Minister of Tourism and civil aviation (Dr Karan Singh) : (a) & (b): 342,950 foreign tourists visited India during 1972. No distinction is made between "hippies" and other foreign tourists, and as such separate statistical data is not maintained in respect of the former.

खाल और चमड़े का निर्यात

5489. श्री भान सिंह भौरा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाल और चमड़े के निर्यातकों ने निर्यात बन्द कर देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तों इसके क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी सयंत्रों को भारत में लाना

5490. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी संयंत्रों को भारत में लाने के बारे में कुछ नये प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से संयंत्र है और इन्हें किन-किन देशों से लाया जायेगा; और

(ग) इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निजी क्षेत्र में विनियोजन की लाभप्रदता

5491. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के अन्त तक निजी क्षेत्र में कुल कितना विनियोजन है; और

(ख) वर्ष 1965 से वर्ष 1972 तक सरकारी क्षेत्र में विनियोजन की लाभ की दर क्या रही ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31–3–72 तक केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश की कुल रकम 5052 करोड़ रुपये है।

(ख) 1964–65 से 1971–72 वर्षों में लगी पूंजी पर आय नीचे दी गई है*।

वर्ष	लगी पूंजी*	सकल लाभ (करोड़ रुपयों में)	लगी पूंजी पर सकल लाभ की प्रतिशतता (%)
1964–65	1266	46.3	3.7
1965–66 . .	1624	55.9	3.4
1966–67 .	2058	57.8	2.8
1967–68 . . .	2658	57.0	2.2
1968–69	3164	84.6	2.7
1969–70 . .	3313	138.6	4.2
1970–71 . .	3754	146.3	3.9
1971–72	4018	169.2	4.2

*इसमें निवेश अथवा निर्माणाधीन या विस्ताराधीन एकक अथवा पूंजी निर्माण कार्य शामिल नहीं हैं।

भारतीय हस्तशिल्प के लिये विदेशों में शो रूम

5492. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिये विदेशों में कोई शो रूम खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में ये शो-रूम खोले गये हैं ; और

(ग) ये शो रूम भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने में कहां तक सफल हुए है और प्रत्येक शो रूम में कितना विनियोजन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने केवल भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के प्रदर्शन करने के लिए कोई शो रूम नहीं खोले है। फिर भी विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में हमारे व्यापार प्रतिनिधियों के संस्थानों के भाग के रूप में कुछ शो केसिज में हस्तशिल्प की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा, न्यूयार्क, बोस्टन, पैरिस, नैरोबी तथा टोकियों में हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा चलाई जा रही "सौना" दुकानें भी इन बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प की शो विंडो के रूप में कार्य करती हैं।

(ग) चूंकि हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन अलग से संगठित नहीं किया गया है इसलिए केवल भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए कोई निवेश नहीं किया गया है। तथापि भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात गत तीन वर्षों में बढ़े है जो निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपये
1969–70	83.3
1970–71	80.9
1971–72	90.5

बम्बई में असुरक्षित बड़े आयातित चिथड़े

5493. **श्री प्रबोध चन्द्र** :

श्री ई० बी० बिखे पाटिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित "चिथड़ों" की हजारों गांठे बम्बई में असुरक्षित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें न छोड़े जाने के क्या कारण है; और

(ग) लुधियाना के हौजरी उद्योगों के श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 12–2–1973 को बम्बई गोदी पर 36,183 गांठों की निकासी होनी थी। विभागीय निरीक्षण तथा निकासी के संबंध में निर्णय होने तक ये गांठें सीमाशुल्क अधिकारियों के अधिकार में हैं।

(ग) इसका प्रभाव प्रतिकूल रहा है।

काजू की गिरी का निर्यात

5494. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 के पहले आठ महीनों के दौरान भारत ने काजू की गिरी के निर्यात के जरिये 43.60 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं;

(ख) वे कौन-कौन से देश है जिन्हें काजू की गिरी का निर्यात किया गया था; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जनवरी-अगस्त, 1972 की अवधि दौरान काजू की गिरी का निर्यात 43.70 करोड़ रु० मूल्य का हुआ।

(ख) निर्यात 47 देशों को किये गये जिन में से प्रमुख देश हैं : अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया तथा नीदरलैंड।

(ग) सरकार, काजू की गिरी के देशी उत्पादन को बढ़ाने के वास्ते विभिन्न उपाय कर रही है। साथ ही, काजू की गिरी का निर्यात बढ़ाने हेतु कच्चे काजू के यथासंभव अधिकतम आयात की व्यवस्था करने के लिए भारतीय काजू निगम को हिदायतें भी दी जा रही है। काजू की गिरी के निर्यात संवर्धन के लिए काजू निर्यात संवर्धन परिषद विभिन्न उपाय करती है जसे कि, विदेशों के लिए प्रतिनिधि-मण्डल प्रायोजित करना, विदेशों में होने वाले मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, पत्र-पत्रिकाएं तथा विज्ञापन प्रकाशित करना आदि।

जीवन बीमा निगम का कारोबार

5495. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1972 में जीवन बीमा निगम का कुल नया कारोबार 127.01 करोड़ रुपए का था जिसमें लगभग 75 लाख रुपए के विदेशी कारोबार सहित 1.40 लाख पालिसियों का कारोबार था;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों के 458.18 करोड़ रुपए के कारोबार के संदर्भ में अगस्त का कारोबार सब से अधिक था और यदि हां, तो सब से अधिक कारोबार होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अगस्त, 1972 में किये गये प्रयासों जैसे प्रयास सदैव किये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों में अगस्त 1972 का एक महीने का नया कारोबार सब से अधिक था। यह न्यूनाधिक सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार है जैसा कि वर्ष 1971 और 1972 में अप्रैल से अगस्त तक के महीनों के नीचे दिये आंकड़ों से प्रकट होता है :—

(करोड़ रुपयों में)

महीना	1972–73	1971–72 में नया कारोबार
अप्रैल	25.95	30.27
मई	80.98	53.47
जून	96.68	72.17
जलाई	124.56	111.99
अगस्त	127.01	107.25

जीवन बीमा निगम सतत प्रयत्न करता है कि नये कारोबार का प्रवाह अधिकाधिक प्रगति करे।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के महाप्रबन्धक और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मिली शिकायतें

5496. श्री अजीत कुमार साहा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नयी दिल्ली के गवर्नर और मैनेजर को स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, दुराचार और अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के अधिकारियों के विरूद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त की हैं और यह बताया है कि उनके निरीक्षण-अधिकारी तथा भारतीय स्टेट बैंक के निरीक्षण अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच की गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह रिपोर्ट भी दी है कि शिकायतों में उल्लिखित अनियमितताओं के बारे में, जहां आवश्यक है, उपयुक्त उपाय करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

पटना, रांची, मुजफरपुर और जमशेदपुर के हवाई अड्डों का विस्तार

5497. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना, रांची, मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर के हवाई अड्डों का आगे विस्तार करने और इनमें सुधार करने की सम्भावनाओं की जांच की है अथवा जांच करने का विचार है जिससे वहां पर बड़े-बड़े विमान दिन और रात दोनों समय उतर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है और यह प्रस्ताव किस प्रक्रम में है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस पहले ही पटना से होकर बोइंग 737 सेवाओं का परिचालन कर रही है जहां कि विद्युत धावनपथ प्रकाश-व्यवस्था उपलब्ध है। परन्तु वर्तमान बाधाओं के कारण रात्रि परिचालन सुरक्षित नहीं समझे जाते। हमारे हवाई अड्डों पर सुविधाओं को सुधारने के प्रश्न का निरंतर पुनरालोकन किया जाता है तथा परिचालन आवश्यकताओं और वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए रांची, मुज़फ्फरपुर तथा जमशेदपुर के मामलों की भी जांच की जाएगी ।

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट

5498. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने वर्ष 1971-72 के लिये अपनी रिपोर्ट में देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा निकट भविष्य में किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) देश में बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन तथा पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के परिणामस्वरूप पड़ने वाले दबावों के बावजूद अर्थ व्यवस्था ने जो लचीलापन दिखाया है, उसकी सराहना करने के साथ-साथ रिजर्व बैंक की 1971-

72 की वार्षिक रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था की कतिपय अनुकूल प्रवृत्तियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

सरकार मूल्य-स्थिति की हाल की प्रवृत्तियों तथा कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति से चिन्तित है । इस स्थिति को सुधारने के लिए पहले ही कई उपाय किये जा चुके हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा संसद में प्रस्तुत 1972-73 की "आर्थिक समीक्षा" में दिया गया है । 1973-74 के बजट में उन अन्य विभिन्न उपायों का और आगे उल्लेख किया गया है जो सरकार द्वारा आगामी वर्ष में अर्थ व्यवस्था के कार्य निष्पादन मे गति लाने के लिए किये जा रहे हैं । बजट में इस बात के लिए विशेष प्रयास किया गया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था पर कम निर्भर रहा जाय । प्रतिबन्धात्मक ऋण नीति परजोर दिया जाना जारी है और अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा तथा ऋण सम्बन्धी स्थिति की मौसम की मध्यावधि में की गयी समीक्षा के परिणामस्वरूप बैंकों की शुद्ध नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्तियों का अनुपात बढ़ा दिया है ताकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋण को महंगा बनाया जा सके ।

बकाया ऋणों की वसूली के बारे में पुनर्वास वित्त प्रशासन की उपलब्धियां

5499. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बकाया ऋणों की वसूली के मामले में पुनर्वास वित्त प्रशासन की, इसे वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत लाए जाने के परिणाम स्वरूप इसके विलय से लेकर 28 फरवरी, 1973 तक की उपलब्धियों की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भूतपूर्व पुनर्वास वित्त प्रशासन एक स्वायत्त निकाय था और इसे 31-12-60 को कारोबार बंद कर दिये जाने के कारण विघटित कर दिया गया था । इसके द्वारा दिये गये बकाया ऋणों की वसूली का काम पुनर्वास वित्त प्रशासन एक को सोंपा गया था जो वित्त मंत्रालय में पहली जनवरी, 1961 को स्थापित किया गया एक अधीनस्थ कार्यालय है । उस तारीख को 11,688 ऋण-खातों के संबंध में 7.30 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) बकाया थे । प्रत्येक ऋण-कर्ता और उसकी गारंटी देने वाले व्यक्ति की वित्तीय अवस्था पर पुर्नविचार करने के बाद, प्रत्येक खाते के संबंध में समझौते के आधार पर बकाया प्राप्तव्यों का निपटारा करने के लिए उपाय किये गये थे जहां ऋण कर्ताओं/गारंटी देने वाले व्यक्तियों का कारोबार समाप्त हो गया था तथा उनकी और अधिक भुगतान करने की क्षमता नहीं थी, बकाया रकमों को बट्टे खाते डाल दिया गया था ।

1-12-1972 को 2412 और खाते अभी बंद किये जाने थे जिन में 31-12-1971 तक लिये गये ब्याज सहित 2.50 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी ।

इस प्रकार वर्ष 1948 से, अर्थात् जब भूतपूर्व पुनर्वास वित्त प्रशासन की स्थापना हुई थी, लगभग 15,000 ऋण-खातों पर मूलतः दिये गये 11.22 करोड़ रुपये के ऋणों के मुकाबले 12,588 खाते बंद कर दिये गये हैं जिनके संबंध में 1-1-1961 के पहले और उसके पश्चात 10.59 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी ।

दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा आन्दोलन के बारे मे वक्तव्य

STATEMENT RE AGITATION BY DOCTORS IN DELHI HOSPITALS

Mr. Speaker ; I have no objection to allowing discussion under rule 377 but we shall consider the notice of the Adjournment Motion only after the Statement is made.

(Interruption)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है । क्या मंत्री महोदय आज शाम को वक्तव्य दे सकेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवहन नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडि़लकर) : यदि आप चाहते हैं तो मैं वैसा ही करूंगा । मैं पहले ही राज्य सभा में वक्तव्य दे चुका हूं । मैं उसका सारांश अभी बता देता हूं और उसे बाद में सभा-पटल पर रख दूंगा । तथ्यों का सारांश बताना कठिन है ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि दिल्ली के अस्पतालों, विलिंगडन, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान और सफदर जंग आदि के इंटर्न्स, हाउस सर्जन, रजिस्ट्रार और पोस्ट-ग्रेज्युएट मेडिकल छात्रों ने 7 फरवरी से हड़ताल करने की संक्षिप्त सूचना दी और जुलूस निकाल कर मेरे निवासस्थान पर आये । मैं उनसे मिला और उनसे उनकी मांगें और वित्तीय स्थिति पर बातचीत की और मैंने उनसे हड़ताल 28 फरवरी तक स्थगित करने को कहा । मेरे अनुरोध पर उन्होंने 31 मार्च तक हड़ताल स्थगित कर दी । इसी बीच हमने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दिया जाये । इस महीने की 20 तारीख को मेडिकल छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ हमारी बैठक हुई और हमने उनसे कहा कि ऐसी परिस्थिति में हम उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते । इसमें थोड़ा समय लगेगा ।

यह गंभीर मामला है और मैं इसकी गंभीरता कम नही करना चाहता हूं । यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं इसे पढ़कर सूना दूंगा जिसके लिये मुझ 10—20 मिनट लगेंगे ।

महोदय; अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिन्ग मेडिकल कालेज, सफदर जंग अस्पताल और विलिंग्डन अस्पताल के इन्टर्नों, हाउस सर्जनों, अधिस्नातक छात्रों और रजिस्ट्रारों द्वारा हड़ताल करने की धमकी के बारे में मैं एक व्यक्तव्य देने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं । मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिन्ग मेडिकल कालेजों और सफदर जंग अस्पतालों के इन्टर्न, हाउस सर्जन, पोस्टग्रेजुएट्स और रजिस्ट्रार 7 फरवरी, 1973 को जलूस बना कर आये और मुझ से मिले । उन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी दिया जिसमें उनकी निम्नलिखित आठ मांगें थीं :—

1. दिल्ली में अन्तरिम उपाय के रूप में तत्काल निम्नलिखित दरों पर वृत्ति दी जाय :

इन्टर्नशिप . . .	300 रुपये प्रतिमास
हाउस जाब . . .	400 रुपये प्रतिमास
सभी अधिस्नातक . . .	500 रुपये प्रतिमास

2. रजिरट्रार को 450 रुपये मूल वेतन दिया जाए और अन्य मौजूदा भत्तों के अलावा उन्हें मूल वेतन का 50 प्रतिशत प्रक्टिस-बन्दी भत्ता भी दिया जाए ।

3. एक अन्तिम उपाय के रूप में हाउस सर्जनों को उचित ग्रेड और वेतन मानों में अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाए, उदाहरण के लिय जी०डी०एम०ओ० ग्रेड-2 और उनके आवास, मंहगाई, प्रतिकर भत्ता आदि जैसे सरकारी सेवा के सभी लाभ दिये जाए ।

4. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण काल में इन डाक्टरों की सेवाओं का कनिष्ठ रजिस्ट्रार के रूप में उपयोग किया जाए और इन अधिस्नातकों (सह-कनिष्ठ रजिस्ट्रारों) को अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के रूप में सरकारी कर्मचारि ों के उपर्युक्त विशेष लाभों सहित उचित वेतन-मान भी दिया जाए ।

5. हाउस सर्जनों, अधिस्नातक-सह-कनिष्ठ रजिस्ट्रारों, रजिस्ट्रारों, लेक्चररों आदि के प्रस्तावित वेतन-मानों को क्रमिक ग्रडों का रूप दिया जाए ।

6. वरीयता, पदोन्नति और सरकारी सेवा में मिलने वाले अन्य सभी लाभों के लिये हाउस सर्जन हाउस मैन के पद के सेवा काल को सरकारी नौकरी के रूप में समझा जाए ।

7. वरीयता, पदोन्नति और सरकारी सेवा में मिलने वाले अन्य सभी लाभों के लिय अधिस्नातक सह-कनिष्ठ रजिस्ट्रार के पद के सेवा काल को सरकारी नौकरी के रूप में समझा जाए।

8. सरकार की प्रस्तावित ग्रामिण स्वास्थ योजना को (संशोधित रूप) जिसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अप्रशिक्षित चिकित्सक शामिल है, वापस ले लिया जाए।

ज्ञापन में यह संकेत था कि यदि सरकार 24 फरवरी, 1973 के चार बजे अपराह्न तक इन मांगों को नहीं मानती तो ये लोग हड़ताल पर चले जायेंगे। इस ज्ञापन के पूरे पाठ की प्रतिलिपियां अलग से सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

आन्दोलनकारी इन्टर्नों, हाउस सर्जनों आदि के प्रतिनिधि 20 फरवरी को मुझे दोबारा मिले। कुछ प्रारम्भिक विचार विमर्श के बाद मैंने उन्हें बतालाया कि वृत्ति / मानदेय आदि सम्बन्धी उनकी मुख्य मांग पर सरकार पहले ही सक्रिय रूप से विचार कर रही है, किन्तु इस मसले से वित्तिय प्रश्न जुड़े होने से जिनका देश के विभिन्न राज्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है इसलिय वे सरकार के निर्णय की 31 मार्च, 1973 तक प्रतीक्षा करें। इस मामले पर वित्त मंत्रालय से परामर्श करते हुए विस्तारपूर्वक विचार किया गया।

इण्टर्नशिप भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित एक प्रशिक्षण अवधि है और पूर्व इसके कि उन्हें एम० बी० बी० एस० डिग्री दी जा सके यह 12 महिने का प्रशिक्षण काल उन्हें पूरा करना होता है। इस प्रकार इण्टर्न एम०बी०बी०एस० डिग्री के लिये अध्ययन करने वाले छात्र होते हैं। दिल्ली में इण्टर्नी को 1965 से पहले तक सौ रुपये प्रतिमास के हिसाब से मानदेय दिया जाता था। करमरकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1-1-65 से इस राशि को बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमास कर दिया गया। 1-1-68 से इसे फिर बढ़ाकर दो सौ रुपया कर दिया गया। जहां दिल्ली में इतनी रकम दी जा रही है वहां आन्ध्र प्रदेश केरल और उड़ीसा में इण्टर्नी को कोई मानदेय नहीं दिया जाता तथा गुजरात, मैसूर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गोआ में इस मानदेय की रकम 150 रुपय से 180 रुपये के बीच है। राजस्थान 225 रुपये देता है जबकि पंजाब और हरियाणा 250 रुपये देते हैं। दिल्ली में इण्टर्नी को आमतौर पर मुफ्त मकान दिया जाता है।

अधिकांश राज्यों में 6 से 12 महीने के हाउस सर्जनसी के कोर्स को पोस्टग्रेजुएशन करने के लिये न्यूनतम अर्हता माना जाता है। एम०बी०बी०एस० डिग्री प्राप्त, हर किसी व्यक्ति के लिये हाउस सर्जन के रूप में शिक्षण अस्पताल में भर्ती होना जरुरी नहीं है। ऐसा उसे तभी करना पडता है जब वह अस्पतालों की कार्य प्रणाली का अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई पोस्टग्रेजुएट कोर्स करना चाहता हो और हाउस सर्जनसी न तो प्राइवेट प्रेक्टिस करने के लिये आवश्यक शर्त है और न जूनियर लेवल पर सरकारी नौकरी में आने के लिए। हाउस सर्जनसी की अवधि में व्यक्ति एक अच्छा जनरल प्रेक्टिशनर बन जाता है। 1965 से पहले तक हाउस सर्जनों को 150 रुपये प्रतिमास मानदेय दिया जाता था जिसे करमरकर समिति की सिफारिश पर 1-1-1965 से बढ़ा कर 200 रुपये कर दिया गया था। 1-1-1968 से इसे बढ़ाकर 275 रुपये कर दिया गया। हाउस सर्जनों को आमतौर पर कैम्पस ही में रहना होता है और उन्हें बिना किराया रहने का मकान भी दिया जाता है। हाउस सर्जनसी का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि उन्हें अस्पताल में रोगियों को देखने की सीधी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। केरल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोआ, महाराष्ट्र और तामिलनाडु में काम कर रहे हाउस सर्जनों को 150 रुपये से 250 रुपये प्रतिमास के बीच मानदेय मिलता है। राजस्थान में 250 रुपये प्रतिमास, गुजरात में 300 रुपये प्रतिमास और पंजाब तथा हरियाणा में प्रथम छः मास में 325 रुपये प्रतिमास और अगले छः मास में 350 प्रतिमास के हिसाब से वे मानदेय प्राप्त करते हैं।

पोस्टग्रेजुएट नाम से ही यह ध्वनित होता है कि उम्मीदवार को पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन का कोई कोर्स करना है। पोस्टग्रेजुएट डिग्री डाक्टर की क्वालिफिकेशन बढ़ा देती है और इसी बात से उनका

[श्री आर० के० खाडीलकर]

मार्किट मूल्य बढ़ जाता है। सरकारी नौकरी में भी पोस्टग्रेजुएट योग्यता वाले डाक्टर को अधिक वेतन राशि प्राप्त करने का लाभ मिल जाता है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम जैसा ही है और इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिये पर्याप्त प्रतियोगिता होती है। इस पाठ्यक्रम को करने वाले स्नातकों को अधिकांश मामलों में इस पाठ्यक्रम के लिये सामान्य फीस देनी होती है परन्तु उन गुणी और योग्य छात्रों को जो स्वयं इस पाठ्यक्रम के करने में असमर्थ हों, सहायता देने के लिये भारत सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर चयन करके ऐसे छात्रों को सीमित संख्या में छात्रवृत्तियां देने की एक योजना चलाई। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले व्यक्ति को स्कालर माना जाता है न कि डाक्टर जो अस्पताल में रोगियों की चिकत्सा संबंधी देख रेख करता है अथवा विशेष उत्तरदायित्व संभालता है। बहुत से चिकित्सा विषयों मे पाठ्यक्रम ही कुछ ऐसा होता है कि ऐसे स्कालरों को आवश्यक व्यावहारिक कुशलता और अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। प्रसंगवश इसका एक उद्देश्य यह भी था कि छात्रों को नान-क्लीनिकल अथवा पैरा-क्लिनिकल विषयों में कोर्स करने के लिये छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए।

पोस्टग्रेजुएट्स के लिये भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व अखिल भारतीय आधार पर गुणी छात्रों को शिक्षवृत्ति देने की एक योजना चलायी है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष दी जाने वाली कुल 377 शिक्षा वृत्तियों में से 100 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रतिपादित होती हैं और 52 दिल्ली के अन्य मेडिकल कालेजों में देश की अन्य मेडिकल संस्थाओं में तो शेष केवल 225 शिक्षावृत्तियां ही उपलब्ध हैं।

दिल्ली में छात्रवृत्ति की दर 300 रुपये प्रतिमास है जबकि दिल्ली से बाहर यह 250 रुपये प्रतिमास के हिसाब से सीमित है। इसके अतिरिक्त केरल, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश और तामिलनाडु जैसे राज्य सीमित संख्या में छात्रवृत्तियां देते हैं जिसकी दर 100 रुपये से 250 रुपये प्रतिमास के बीच है। पंजाब और हरियाणा 250 रुपये प्रतिमास के हिसाब से छात्रवृत्तियां देते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ डाक्टरों को जो रजिस्ट्रार अथवा सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किये गये है और इन पदों से सम्बन्धित उत्तर दायित्व निभा रहेहै, स्नातकोत्तर पाठय क्रमों के लिये रजिस्टर कराने की अनुमति दे दी जाती हो। ऐसे मामले में वे स्वभावतः उस पद का वेतन लेते हैं जिस पर वे लगे हुये हैं। बहुत सी अन्य राज्य सरकारें इस प्रकार की कोई छात्रवृत्तियां नहीं देती।

इण्टर्नों अथवा पोस्टग्रेजुएट की तरह न होकर रजिस्ट्रारों का वर्ग इनसे एकदम भिन्न होता है। उनका चयन उनकी विशेष योग्यता और गुणों के आधार पर किया जाता है ताकि वे अधिक दायित्वों को संभाले तथा यूनिट के अध्यक्ष की प्रत्यक्ष रूप से मदद करें। वे हाउस सर्जनों के वर्ग से लिये जाते हैं और वे स्नातक अथवा अधिस्नातक भी हो सकते हैं। वे एक निश्चित अवधि के लिये रखे जाते हैं और यह अवधि होती है तीन साल। इसमें उनका वेतनमान 375-25-425 रुपय होता है और वे अन्य प्रतिकर भत्ते पाने के पात्र होते हैं। आजकल रजिस्ट्रारों को आरम्भ में कुल 609.80 रुपया मिलता है। यदि वह पोस्टग्रेजुएट डिग्री धारी अथवा डिप्लोमा धारी है तो उसे क्रमशः 100 अथवा 50 रुपये का अतिरिक्त भत्ता मिलता है।

आन्दोलनकारी इण्टर्नों, हाउस सर्जनों, आदि की मांगों में से रजिस्ट्रारों से संबंधित मांग के बारे में यह महसूस किया गया कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जाय। हाउस सर्जनों, अधिस्नातकों आदि को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मानने और उन्हें समुचित क्रमिक वेतनमानों पर रख जाने तथा मकान, महंगाई भत्ते, प्रतिकर भत्ते आदि जैसे सरकारी सेवा की सभी विशेष सुविधाओं के हकदार बनाने सम्बन्धी दूसरी मांगों को स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि अवधि यह ऐसी अवधि होती है जिसमें व्यक्ति पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने अथवा पोस्टग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश पाने की तैयारी के लिये अध्ययन कर रहा होता है।

उनके प्रशिक्षणार्थी होने की इस स्थिति के अतिरिक्त यह बात भी समझनी होती है कि किसी एक वर्ष में औसतन एक चिकित्सा कालेज से उत्तीर्ण होने वाले कुल समझ लीजिये कि 100 इण्टर्नी में से 25-30 इण्टर्नी से अधिक हाउस सर्जन के रूप में भर्ती नहीं हो सकते । इनमें से लगभग 50 प्रतिशत बाद में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के रूप में भरती होते हैं और अन्तत: केवल 4 या 5 व्यक्तियों को ही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जा सकता है । यदि 25 चिकित्सा स्नातकों को जो आरम्भ में हाउस सर्जन के रूप में ज्वाइन करते हैं, आन्दोलनकारी इण्टर्नी आदि की मांग के अनुसार नियमित सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाय तो यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि एक वर्ष के अन्त तक उक्त संस्था में से आधे भी इस पद पर नहीं बने रहेंगे । अगले दो अथवा तीन वर्षों के बाद उन लोगों की संख्या जो सरकारी सेवा में बने रह सकते हैं, अत्यधिक कम हो जायेगी ओर वे भी रजिस्ट्रारों के पदों तक ही सीमित रह जायेंगे क्योंकि तब वस्तुत: ये पद ही उपलब्ध होंगे । हर वर्ष होती रहने वाली भारी रिक्तियों की इस स्थिति में यह समझ लिया जाना चाहिये कि जहां इन वर्गों के कर्मचारियों के अपने ही बीच तथा नियमित सरकारी डाक्टरों के बीच कोई तुलनात्मक जिम्मेदारियां नहीं हैं वहां नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाला वेतनमान का ढ़ाचा भी इनके लिये व्यावहारिक नहीं होगा ।

अत: सरकार ने यह महसूस किया कि आन्दोलनकारी इन्टर्नी, हाउस सर्जनों आदि की जो मुख्य मांग हैं वह दिल्ली में इन श्रेणियों के व्यक्तियों को दी जाने वाली वृत्तियों की दरों के बारे में है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में ऐसे ही श्रेणियों के व्यक्ति इसी प्रकार की मांगें करेंगे और राज्यों के सम्मुख समस्याएं खड़ी कर देंगे किन्तु साथ ही यह भी सोचते हुए कि वृत्तियों की दरें कुछ हद तक तो बढ़ाई ही जा सकती हैं, मेरे मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से वृत्तियों की दरों में वृद्धि करने से सहमत होने के लिए कहा । वित्त मंत्रालय निम्नलिखित वृद्धियां करने के लिए सहमत हो गया :–

1. इण्टर्नी	200 रुपये से 225 रुपये तक
2. हाउस सर्जन . . .	275 रुपये से 325 रुपये तक
3. अधिस्नातक (छात्रवृत्तियां) .	300 रुपये से 350 रुपये तक

मैं फिर 20 मार्च, 1973 को आन्दोलनकारी इन्टर्नों, हाउस सर्जनों आदि के प्रतिनिधियों से मिला। मैंने उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा सहमत वृद्धियों के बारे में बताया और उनसे अपने विचार देने के लिये कहा ताकि इन वृद्धियों को सरकारी निर्णयों के रूप में घोषित किया जा सके । उनके इस दावे के बारे में कि वे उन अस्पतालों में जहां व प्रशिक्षण पा रहेहैं, बहुत काम कर रहे हैं उन्हें यह भी बतला दिया गया था कि उनके द्वारा की जा रही ये सेवाएं उनके प्रशिक्षण का एक अनिवार्य अंग है और उन्हें चाहिये कि वे सरकार द्वारा दी जा रही इन वृत्तियों/मानदेयों को उनके द्वारा की जा रही सेवाओं के बदले में किया गया भुगतान न समझे बल्कि इसे वे अपने पाठ्यक्रम की अवधि में एक प्रकार की सहायता समझें जो उन्हें आर्थिक बोझ से कुछ राहत देने के लिये दी जाती है जिसे उन्हें अन्यथा वहन करना पड़ता ।

मेरे कहने पर मेरे अधिकारी फिर से दो बार उनसे मिले और काफी देर तक उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया । आन्दोलनकारी इन्टर्नों आदि को यह बतला दिया गया है कि यदि वे ऐसी कोई व्यावहारिक योजना सुझा सकते हो जिससे हाउस सर्जनों और पोस्टग्रेजुएटों के रैंकों में प्रवेश की अवस्था में चयन की प्रक्रिया पर विचार किया गया हो और ऐसी योजना के कोई अत्यधिक गंभीर वित्तीय प्रतिक्रिया न हो तो उस पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया जाएगा । आन्दोलनकारी इन्टर्नों ने इस पेशकश पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाने की बजाय इस बात पर जोर डाला है कि हाउस सर्जन के रूप में प्रवेश पाने के समय से ही उन्हें पूर्ण सरकारी कर्मचारी समझा जाए और उन्हें सरकारी सेवा में कार्य कर रहे एक नियमित डाक्टर को मिलने वाले वेतन, प्रैक्टिस बन्दी भत्ता और अन्य भत्ते दिये जाये । चूंकि ऐसा करने से सारे देश में इसका गंभीर प्रभाव पड़ता और साथ ही इसमें व्यावहारिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता इसलिये आन्दोलनकारी-इण्टर्नों आदि ने जिस रूप में मांग की है उस रूप में इसे माना नहीं जा सकता ।

[श्री० आर० के० खाडीलकर]

इस तथ्य को सराहने की बजाय कि सरकार नियमों से बाहर जाकर भी इन वृत्तियां / शिक्षावृत्तियों की दरें बढाने के लिए राजी हुई है। इन आन्दोलनकारी इन्टर्नी, हाउस सर्जनों पोस्टग्रेजुएटों आदि ने सरकार द्वारा उनसे की गई पेश कश को ठुकरा दिया है और 31 मार्च, 1973 की आधी रात से हड़ताल पर जाने का नोटिस दे दिया है। देश में अन्यत्र दी जा रही अधिकतम वृत्तियों के तुल्य इन वृत्तियों की दरों में वृद्धि करने की सरकार द्वारा की गई पेशकश के बावजूद आन्दोलनकारी इन्टर्नों, हाउस सर्ज , आदि की इस प्रस्तावित कार्यवाही से न केवल कुछ हद तक दिल्ली में अस्पताली सेवाएं गड़बडा जाएंगी, बल्कि जनता को भी असुविधा होगी। मुझे अभी भी आशा है कि ये लोग बुद्धिमानी से काम लेंगे और इन लोगों में जो संयत स्वभाव के लोग हैं वे ऐसा उग्र कदम उठाने से दूर रहेंगे। मैं सदन को यह भी आश्वासन देदूं कि यदि यह हड़ताल हो ही गई तो जनता की इससे हाने वाली असुविधा को कम से कम करने के लिए सरकार समुचित उपाय बरतेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) There is proposal of increasing only Rs. 25/ The salary of a peon is more than that of a doctor.

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : जब तक डाक्टरों के साथ उचित बर्ताव नहीं किया जाएगा वे हड़ताल करते रहेंगे जिसमें जनता को बहुत अधिक कठिनाई होगी (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : उन्होंने डाक्टरों के संजीदा वर्ग से अपील की है। उसका मतलब यह है कि वह डाक्टरों में फूट डालना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते।

श्री वसंत साठे: (अकोला) : हड़ताल टालने के लिए एक प्रस्ताव है ...... (**व्यवधान**) जैसा कि यह 31 तारीख तक स्थगित हुई है। इसे आगे भी स्थगित किया जा सकता है। (*Interruption*)

Mr. Speaker : If the House wants to discuss this matter, it can. But we have to pass Manipur Budget today. If you like, you can discuss it on Monday.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhopalpur) It will be too late on Monday.

श्री सेझियान: (कुम्बकोणम) : क्या मणिपुर का बजट पास करने के बाद हमें इसके लिए समय दिया जायेगा ?

Mr. Speaker ; We can not postpone Budget. If you want to discuss it to-day, you can sit late.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे किसी अन्य तारीख को रख लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे किसी अन्य दिन रखा जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मंत्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य के बारे में

RE : ALLEGED WRONG STATEMENT BY MINISTER

श्री श्यामनंदन मिश्र: (बेगुसराय) : मैं आपका ध्यान उस विस्तत पत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ जो मैंने आपको दस दिन पहले दिया था। पहला विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी स्थिति के बारे में है। जैसा आपने सभा में कहा था, मैंने उस पहले पत्र में बहुत सी घटनाओं का उल्लेख कया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देख लिया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दूसरा पत्र रक्षा उत्पादन मंत्री द्वारा विशेषाधिकार भंग करने के बारे में है। मैंने घटनाओं का उल्लेख किया है कि उन्होंने किस प्रकार सभा को गुमराह किया है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है।

मेरा निवेदन है कि मुझे दूसरे विशेषाधिकार के प्रश्न को सभा में समक्ष रखने की अनुमति दी जाये।

आपको प्रत्येक सदस्य के अधिकार और कर्त्तव्य का सन्मान करना चाहिए, जब कोई सदस्य यह समझे कि विशेषाधिकार भंग हुआ है। सम्बन्धित मन्त्री ने मेरे प्रश्नों के दौरान गुमराह करने वाले वक्तव्य दिये हैं। संसद से न्याय पाने का मेरा हक है। इस मामले में देश की भी रुचि है क्योंकि यह मामला रक्षा और सुरक्षा से सम्बन्धित है।

अब मैं दूसरी शिकायत, जो विशेषाधिकार भंग करने के बारे में है, बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे पढ़ लिया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यहां तक कि "हाउस आफ कामन्स" में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता हैं। इस सभा में भी एक अधिकारी को सभा की समिति को गुमराह करने के सम्बन्ध में दन्ड दिया गया है आप हमारे अधिकारों के अभिरक्षक है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे शिकायत का स्वरूप बताने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है। वे मामले ऐसे थे जहां सम्बन्धित मन्त्री ने तथ्यों को स्वीकार किया था। जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध है वे इस मामले पर लागू नहीं होते हैं। मैं इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि इन दोनों मामलों में ही तथ्य और व्याख्या विवाद ग्रस्त है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जब विवाद ग्रस्त तथ्य होते हैं और मन्त्री महोदय अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं, तब क्या प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा चाहे तो विवाद ग्रस्त तथ्यों पर चर्चा कर सकती है परन्तु विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है। अध्यक्ष कानूनी व्याख्याता नहीं होता है। मेरी राय है कि आप सभा में इस पर चर्चा कर ले। (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने अपने तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजों का साक्ष्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो तथ्य रखे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली वित्तीय निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राज्य वित्तिय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 कीं उपधारा (3) के अन्तगत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा परिसम्पत्तियों और देनदारियों, लाभ और हानि लेखे का विवरण

[श्री के० आर० गणेश]

तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 6(11)/72-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4662/73]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 159(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4663/73]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 172(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4664/73]

मंत्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य के बारे में—जारी
RE : ALLEGED WRONG STATEMENT BY MINISTER—Contd.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : परन्तु यह व्याख्या का मामला नहीं है। यह तथ्य सम्बन्धी मामला है। इस पर सभा में चर्चा करने की अपेक्षा इसकी जांच के लिए समिति बनाना बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जबकि इसमें मन्त्री सम्बद्ध है और अन्य बातें सम्बद्ध है, इस प्रकार आप तो मन्त्री महोदय का बचाव कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है। प्रो० चट्टोपाध्याय।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

चाय बोर्ड का वर्ष 1969-70 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखे

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं चाय बोर्ड के वर्ष 1969–70 सम्बन्धी लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेख का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4665/73]

मंत्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य के बारे में—जारी

RE : ALLEGED WRONG STATEMENT BY MINISTER—Contd.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सचिव ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब इस मामले पर सभा में चर्चा हुई थी तो कुछ राजनीतिक रंग दिया गया था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

आपको राजनीतिक प्रभाव में नहीं आना चाहिए । मैंने श्री मिश्र द्वारा दिए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है । मन्त्री महोदय ने इस आशय का स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि कोई विशेष रक्षा प्रतिष्ठान अब विद्यमान नहीं है अथवा वहां विद्यमान है ।

वह इस बात का सबूत दे रहे है कि वह वहां पर ही स्थित है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं । आप इस प्रकार, मुझे किसी बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते ।

(अन्तर्बाधायें)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि आपके विचार में आप को दिए गए तथ्य गलत हैं तो मुझे इन्हें विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखने का अवसर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : इस लिए ही मैंने कहा था कि यदि तथ्यों पर कुछ मतभेद हो, तो सदन इन पर चर्चा कर सकता है । मैंने अपना निर्णय दे दिया है । इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(1) कि राज्य सभा को शरणार्थी सहायता कर (उत्पादन) विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1973 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(2) कि राज्य सभा को संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 के बारे में जो लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1973 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(3) कि राज्य सभा 29 मार्च, 1973 को अपनी बैठक में पंजाब की राजधानी (विनियमन और विकास) (चण्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972 में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1973 को किए गए संशोधनों से सहमत हुई है ।

अधिनियमन सूत्र

Enacting Formula

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

तेइस (Twenty third) के स्थान पर चोबीस (Twenty fourth) पढ़ा जाए ।

[सचीव] खण्ड—1

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, Clause—1

"1972" के स्थान पर "1973" पढ़ा जाये ।

(4) कि राज्य सभा 29 मार्च, 1973 को अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई है कि विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति में उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री भोला पासवान शास्त्री द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा ने उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह, सदस्या, राज्य सभा, को नियुक्त किया है ।

(5) कि राज्य सभा 29 मार्च, 1973 को अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई है कि कम्पनी (संशोधन) विधयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति में, उक्त समिति की सदस्यता से श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा ने उक्त समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए श्री एच० एम० त्रिवेदी, सदस्य, राज्य सभा को नियुक्त किया है ।

(6) कि राज्य सभा 29 मार्च, 1973 को अपनी बठक में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई है कि अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति में, उक्त समिति की सदस्यता से प्रो० एस० नूरुल हसेन और श्री भोला पासवान शास्त्री द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा ने उक्त समिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वश्री राम निवास मिर्धा और जमना लाल बरवा, राज्य सभा सदस्यों को नियुक्त किया है ।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दारान ससद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधयक सभापटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973।

(2) विनियोग विधेयक, 1973 ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
35 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) लघु उद्योग के सम्बन्ध में 35वां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

27 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवादी सारांश

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं :—

(1) नैशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 27वां प्रतिवेदन ; और

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

अध्यक्ष महोदय : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने वाला कोई सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है । अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं ।

---

*मनीपुर बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें, 1973-74

*MANIPUR BUDGET 1973-74—GENERAL DISCUSSIONS DEMANDS FOR GRANTS (ON ACCOUNT) 1973-74

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरीक मनीपुर) : मैं वर्ष 1973–74 के लिए मनीपुर के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । पांचवी लोक सभा के पहले दो वर्षों में यह दूसरा अवसर है जबकि मनीपुर के बजट पर यहां पर चर्चा हो रही है । पहली बार यह तब यहां पर प्रस्तुत किया गया था जब मनीपुर में दो वर्ष तक राष्ट्रपति का शासन लागू रहा था । उस समय मनीपुर का दर्जा संघ राज्य क्षेत्र का था, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण मनीपुर को राज्य का दर्जा मिलने से मनीपुर के लोगों को इसके लाभ नहीं मिले ।

इक स्थानीय दल को, जिसका नाम मनीपुर पीपल्स पार्टी है, 60 में से 15 स्थान मिले थे । उनको वहां पर सरकार बनाने के लिए अवसर दिया गया तो, उन्हों ने वहां पर भ्रष्टाचार फैला दिया और लोगों की प्रादेशिक भावनाओं को इस हद तक उभारा कि वहां के लोग पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग करने लगे । यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी ।

1972 के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ । कांग्रेस को 60 में से 17 स्थान मिले थे । पीपल्स पार्टी ने 14 स्थान पाकर निर्दलीय सदस्यों की सहायता से वहां पर सरकार बनाई थी ।

इन्होंने अनेक अवैध तरीकों से धन एकत्र किया । अधिकारियों के तबादले किए तथा अनेक अधिकारियों को पदोन्नतियां दी । ठेकेदारों, व्यापारियों से पक्षपात किया । उन्होंने नियमों तथा विनियमों की परवाह न की । मामूली जांच से ही पता लग जाएगा कि मन्त्रियों ने कम वेतन पाने वाले उन सरकारी कर्मचारियों का तबादला कर दिया जिन्होंने मन्त्रियों की राजनैतिक विचारधारा का समर्थन नहीं किया था ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

*Moved with the recommendation of the President.

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

प्रत्येक मन्त्री ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किया। अत: मुख्य मन्त्री का अपने साथियों पर कोई नियन्त्रण नहीं था। इन लोगों ने राज्य को काफी क्षति पहुंचाई है। इस क्षति को पूरा करने में काफी समय लगेगा।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रपति को यह सिफारिश की है कि बिधान सभा को स्थगित कर दिया जाए, उन्हों ने राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है।

सत्तारूढ़ दल का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी पद पर आसीन था। इस प्रकार कुछ समय तक वहां पर स्थिरता बनी रही। परन्तु यह अधिक समय तक नहीं चल सकी। यू० एल० पी० के विभिन्न दलों में कोई भी बात सांझी नहीं थी। अत: इस तथाकथित गठजोड़ ने सार्वजनिक जीवन के सभी स्टॅन्डर्ड नष्ट कर दिए थे। विभिन्न दलों ने धन एकत्र करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। मन्त्रीयों ने विभिन्न वर्गों के लोगों, नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों से धन एकत्र किया। इन सच्ची बातों का उल्लेख राज्य पाल ने अपने प्रतिवेदन में किया है। राज्यपाल ने विधान सभा को स्थगित करने की सिफारिश की थी। वहां पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है। इस वर्ष का समय नष्ट कर दिया गया है। वहां कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार, लालफिताशाही, तथा पक्षपात का पता लगाने के लिए सरकार को भरसक प्रयत्न करने चाहिए। और उनको खत्म किया जाना चाहिए। मनीपुर के लोगों को आशा थी कि राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात् उन को काफी लाभ होगा, परन्तु वहां पर कुछ भी नहीं किया गया है और लोगों की आशाओं को धक्का लगा है।

अनेक बार यह कहा गया है कि वहां पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे और परियोजनाएं शुरू की जायेंगी। मेरा निवेदन यह है कि उद्योगों तथा परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन आबन्टित किया जाए। पर्यटकों के लिए भी मनीपुर का विकास किया जाना चाहिए। संचार व्यवस्था के अभाव तथा आन्तरिक परमिट णाली के कारण पर्यटक वहां पर नहीं जा रहे है। विकास का एक ठोस कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए तथा वहां पर आदी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाना चाहिए। वहां पर सीमेन्ट, पल्प तथा मिलों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन है। मैं नहीं जानता कि इन प्रस्तावों पर अग्रेतर कार्यवाही में समय लगने का क्या कारण है।

जीरीबन में एक रेल्वे स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव था। अत: इसको भी शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए। इस राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाना बहुत आवश्यक है।

यू० एल० पी० मन्त्रालय के सदाचारों की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्ताओं का समर्थन करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गैर-विकास कार्यों तथा पुलिस पर बहुत अधिक धन राशि खर्च की जा रही है। 14,83,90,000 की कुल राशि में से गैर विकास कार्यों पर 5,77,66,000 रुपये, व्यय पुलिस पर 1,18,29,000 रुपये व्यय किए जा रहे है। इस आकार के राज्य के लिए पुलिस पर इतना व्यय करना उचित नहीं है। राजस्व से 1,72,99,000 रुपये का व्यय पूरा किया गया है। लोकतन्त्र, विकास, लोक कल्याण तथा समाज वाद की बात करने वाले इस प्रकार का बजट तैयार कर रहे है।*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the chair.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को गन्दी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पुलिस के व्यय के अतिरिक्त मनीपुर के छोटे से राज्य को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 30 कम्पनियों का बोध भी बहुत करना पड़ेगा।

कांग्रेस ने देश में अन्य दलों के शासन को उलटने का जो खेल शुरु कर रखा है उसी कारण यह बजट हमारे सामने आया है। केन्द्रीय सरकार के एजेन्टों अर्थात राज्यपालों द्वारा इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के स्टैन्डर्ड अपनाए जा रहे है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियम अपनाये जा रहे है। यही कारण है कि मनीपुर में विधान सभा को भंग नही किया गया है हालांकि मुख्य मन्त्री ने इस बात की सिफारिश की थी। मुख्य मन्त्री ने अपने पत्र में बहुत ही निन्दनीय स्थिति का उल्लेख किया है। वहां पर प्रायः दल बदल हो रहा था। अनेक मामलों में सदस्यों ने तीन अथवा चार बार दल बदल किया है। इन सदस्यों को पुलिस के संरक्षण में सभा में लाया जाता है। अतः वे खुले दिल से इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि क्या गलत है अथवा क्या ठीक है। मुख्य मन्त्री ने सभा को भंग करने तथा यथासम्भवशील मध्यावधि चुनाव की सिफारीश की है ताकि भविष्य में वहां पर स्थायी सरकार बन सके।

हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि मनीपुर में शीघ्र ही मध्यावधि चुनाव कराये जायेंगे और उन्हें केन्द्र की कठपुतली नहीं बनने दिया जाएगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)]

राज्य में राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है और दलबदल को बढ़ावा मिल रहा है। इस कार्य में मनीपुर के राज्यपाल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो वहां कांग्रेसी शासन चाहते हैं। ये केन्द्र के एजेन्ट हैं जो वहाँ केन्द्र के कहने पर संसदीय लोकतन्त्र को खतरे में डाल रहे हैं, मेरी मांग है कि वहां से राज्यपाल को शीघ्र वापिस बुलाया जाये, अन्त में मैं सरकार की इस कार्यवाही की निन्दा करूंगा जिसके कारण मनीपुर का बजट यहाँ संसद में लाया जा रहा है।

श्री पाओकाई दाओकिप (बाह्य मनीपुर) : यह बड़े दुःख की बात है कि एक बार फिर मनीपुर के लिए बजट संसद द्वारा पारित किया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री एन० टोम्बी सिंह ने इसकी पृष्ठभूमि पर पर्याप्त प्रकाश डाला है परन्तु फिर भी मैं विधान सभा भंग किए जाने वाले कारणों के बारे में कहना चाहूंगा।

सभा को यह बात जाननी चाहिए कि एक स्थानीय पार्टी मनीपुर पीपुल्स पार्टी ने किस प्रकार वहां सत्ता को अपने हाथ में लिया, उन्हों ने भ्रष्टाचार के जरिए चुनाव में विजय प्राप्त की थी, चुनाव प्रचार के दौरान उनकी न कोई राजनैतिक विचारधारा थी और न अब है, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार के जरिए चुनाव को जीता, सत्ता हथियाने के उपरान्त उन्हों ने जनता की सेवा करने के बजाए सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जनता को उनसे हथकंडों का पता लगा और राज्य सरकार शीघ्र ही अलोकप्रिय हो गई।

मनीपुर पीपुल्स पार्टी की ज्यादतियों के कारण उसके फरक निर्दलीय सदस्यों ने उसका साथ छोड दिया क्योंकि वे जनता की सेवा करना चाहते थे। ये 9 सदस्य कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाना चाहते थे।

कांग्रेस ने इन नौ सदस्यों को साथ मिलाकर सभा में, जो कि संसदीय लोकतंत्र का उचित मंत्र है, बहुमत की परीक्षा की चुनौती को स्वीकार किया। तदनुसार विधान सभा बुलाई गई परन्तु अध्यक्ष ने सरकार के प्रति बहुमत का अभाव देखकर अनुचित बहानों से सभा को स्थगित कर दिया। इसके बाद 22 तारीख को अधिवेशन फिर बुलाया गया परन्तु इस बार भी बहाना बनाकर अधिवेशन स्थगित कर दिया गया।

[श्री पाओकाई दाओकिप]

इसके बाद 32 सदस्यों का प्रगतीशील दल गठबंधन, जिसमें 19 कांग्रेसी और भारतीय साम्यवादी दल के 5 सदस्य थे, राज्यपाल के निवास स्थान पर गया ताकि उन्हें वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर दिया जाये, राज्यपाल ने उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार विधान सभा भंग कर दी गयी।

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या संसदीय लोकतंत्र में बहुमत वाले दल को अपनी सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए ? मेरे विचार में वहां विरोधी दलों को अपनी सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये थी। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर सभा भंग कर दी गयी।

माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु का कहना है कि मनीपुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 30 कंपनियां हैं, क्या वे इस बात को नहीं समझते कि सीमा क्षेत्र होने के नाते मनीपुर में और भी अधिक सुरक्षा कर्मचारी होने चाहिएँ ? न केवल मनीपुर में अपितु समूचे भारत के सीमाक्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियां नियुक्त की जानी चाहिएँ।

मैं कुकी शरणार्थियों के बारे में कहना चाहता हूँ, जिनकी संख्या इस समय 1600 हैं, मे 1967 में बर्मा से आए थे, केन्द्रीय सरकार ने इनको जो सहायता दी है, वह बहुत कम है, इनको और अधिक सहायता दी जानी चाहिये ताकि वे राज्य में आराम से जिन्दगी बसर कर सकें।

अब मैं मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में दो और जिलों के निर्माण के बारे में कहना चाहूँगा। मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने से पूर्व वहां अधिनियम के अंतर्गत एक स्वशासी परिषद थी, अधिनियम के प्रावधान के अंतर्मत दो और जिलों का निर्माण किया जाना था ताकि पहले से निर्मित चार जिलों की भांति यहां भी विकास कार्य तीव्र गति से चलाया जा सके, मनीपुर की जनता की सिलचर से जेरीबन तक रेलवे लाईन बिछाने की मांग है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के लोगों को संरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में की गई है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन वर्गों के लोगों पर अत्याचार तथा अन्याय न किए जाएँ। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि दो जिलों का शीघ्र निर्माण किया जाये तथा जिला परिषदों का चुनाव निर्धारित समय पर किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां जो कुछ कहा गया है वह बजट से कम संबंधित होकर राष्ट्रपति शासन लागू करने के राजनैतिक प्रश्न से अधिक संबंधित है। सरकार को राष्ट्रपति शासन लाग करने के बारे में संकल्प प्रस्तुत करना था, सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण की यह दुःखद घटना है कि मनीपुर में फिर एक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मनीपुर एक लम्बे समय तक संघ राज्य-क्षेत्र रहा है और पिछले चुनाव से पूर्व 2½ वर्ष तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा, वहां की जनता राष्ट्रपति शासन की विरोधी है, परन्तु मेरे विचार में इसके अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं था।

मनीपुर के राज्यपाल, जो कि एक अनुभवी प्रशासक हैं, ने वहाँ की राजनितिक स्थिति का आश्चर्यजनक विश्लेषण किया है, यदि उनकी ऐसी धारणा है, तो मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि उन्होंने विधान सभा को भंग न करके उसे स्थगित रखने की सलाह कैसे दी। यदि सरकार उनकी इस सलाह को मान जाती, तो राज्य में दल-बदल, भ्रष्टाचार, लोगों को धमकी देना आदि जैसे कार्यों को बढ़ावा मिलता। सरकार का विधान सभा को स्थगित न करके भंग करने का निर्णय सही प्रतीत होता है। मनीपुर में स्थिर सरकार बनाये जाने की कोई संभावना नहीं थी।

अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार दल-बदल पर रोक संबंधी विधेयक अविलंब पारित करे। जब तक इसको संवैधानिक रुप नहीं दिया जायेगा, तब तक दल-बदल को बढ़ावा मिलता रहेगा। सरकार द्वारा इस बारे में कार्यवाही न करने के कारण जनता में संदेह पैदा हो रहा है।

इस घटना में अध्यक्ष महोदय की भूमिका भी आश्चर्यजनक रही है। मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का मामला उठाने के समय अध्यक्ष ने पहले अतिरिक्त काल के लिये सभा स्थगित कर दी परन्तु राज्यपाल के हस्तक्षेप से विधान सभा पुनः बुलाई गई। अध्यक्ष ने वादविवाद की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की, जिससे वाद-विवाद चलता रहे।

मैं समाचारपत्रों की इन खबरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कुछ विधायकों का अपहरण किया गया, परन्तु इतना अवश्य सच है कि कुछ विधायको को अपनी ओर करने के लिए उन्हें डराया-धमकाया गया।

मनीपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना अनिवार्य सा हो गया था, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ की जनता इसके सरल विरुद्ध है, इसलिये हमारा प्रयास वहां यथाशीघ्र नए चुनाव कराना होना चाहिए ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर सके, वहाँ बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार की जांच कराई जानी चाहिये। ऐसा आरोप लगाया गया है कि कतिपय मंत्रीयों और विधायकों के निकट संबंधियों ने इम्फाल में आकर जमीनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमा लिया है, इस तरह की बातों की जाँच की जानी आवश्यक है।

सरकार को न केवल मनीपुर अपितु पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के मन से यह भावना निकाल देनी चाहिए कि वे दूसरे दर्जे के राज्य हैं। श्री नेहरू एक ही साथ आसाम, नागालैंड, मेघालय और मनीपुर के राज्यपाल हैं, इसके कारण उनका किसी स्थान विशेष की ओर समय पर ध्यान देना कठिण हो जाता है।

मंत्री महोदय ने कल के अपने बजट संबंधी भाषण में बताया कि मनीपुर के बजट में फाटा होने का मुख्य कारण खाद्यान्नों को जमा रखने में रुपया लगाना है, मुझे इस कथन पर बड़ा आश्चर्य है क्योंकि मनीपुर में खाद्यान्नों की कमी है और उनको ऊंचे मूल्य पर बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त राशन के दुकानों में आटा, चावल आदि उपलब्ध नहीं है, इस मामले की जांच की जानी चाहिए कि खाद्यान्नों को जमा रखने में जब रुपया लगाया गया है, तो आखिर ये बजार में उपलब्ध क्यों नहीं है।

मनीपुर में अविलम्ब विकास संबंधी कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाना चाहिए। वहां न सिंचाई संबंधी कार्य चल रहा है और न पेय जल की व्यवस्था है। मनीपुर में प्राकृतिक संसाधनों के होने के बावजूद भी कोई उद्योग नहीं है, वहां कागज उद्योग, डिब्बाबंदी उद्योग आदि स्थगित किए जाने चाहिए, राष्ट्रपति के शासन की अवधि के दौरान कुछ योजनाओं को आरम्भ किया जाना चाहिये।

इम्फाल में जनसंख्या के बढ़ने से उसके क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता हो गई है। इस विस्तार कार्य में आसाम राइफल्स के शिबिर का वर्तमान स्थान अवरोधक बन रहा है, इसके कारण आप शहर के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर नहीं जा सकते हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि आसाम राइफल्स के शिबिर को अन्यत्र ले जाया सकता है और इस प्रकार खाली हुए स्थानों में नगर का विस्तार किया जा सकता है।

अन्त में मेरा यह कहना है कि वहाँ निर्वाचन शीघ्र कराए जाएँ ताकि जनता को उसके मौलिक लोकतंत्रीय अधिकार मिल सकें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : (गौहटी) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि कांग्रेस दल द्वारा दल-बदल को बढ़ावा देने के कारण मनीपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया । परन्तु यदि आप निष्पक्ष रूप से देखें तो यह पाएंगे कि वहां कि सरकार को किसी न किसी प्रकार से जिन्दा रखा जा रहा था ।

राज्यपाल मनीपुर में राष्ट्रपति शासन को लागू न होने देने के लिये वहां लोकप्रिय सरकार बनाए रखने के पक्ष में थे । उन्होंने मनीपुर पीपुल्स पार्टी को अल्पमत में होते हुए भी सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया । परन्तु इस दल ने किस प्रकार से कार्य किया, उसकी जाँच कराई जानी आवश्यक है, सरकार को यह बात बड़ी गम्भीरता के साथ सोचनी चाहिए कि इस प्रकार से होने वाले दल-बदल अथवा अल्पकालिक सरकारों के होने से जनता में लोकतंत्र के प्रति संदेह की भावना पैदा होती है ।

दल-बदल पर रोक संबंधी विधेयक का लाया जाना आवश्यक है परन्तु यह तभी सफल होगा जब जन प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों में जिम्मेदारी की भावना आयेगी । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अध्यक्ष महोदय का भी उल्लेख किया है । परन्तु इसके लिये न केवल विपक्षी दलों को अपितु कांग्रेस दल को जिम्मेदारी की भावना से कार्य करना चाहिये ।

मुख्य बजट पर अपने विचार रखते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि न केवल मनीपुर में अपितु समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएँ हैं । उसमें पर्यटन भी महत्वपूर्ण है। इस मामले में मणिपुर समृद्ध है जहां कि पहाड़ियों और मैदानों का अपूर्व संगम है । दुर्भाग्यवश इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है । वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने से केन्द्र पर्यटन के लिये बहुत कुछ कर सकता है ।

मनीपुर में हस्तशिल्प उद्योग का अच्छा भविष्य हो सकता है । वहां जुलाहे विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाते हैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया था परन्तु वित्तीय समस्या मार्ग में बाधक बनी, सरकार को उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करनी चाहिए ।

सरकार ने 1973-74 के लिये बजट प्राक्कलन में परीक्षा राहत कार्य हेतु पर्याप्त राशी रखी है परन्तु इससे निर्धन व्यक्तियों को राहत नहीं मिलेगी सरकार को चाहिये कि वह स्थिति ऐसी बनाए जिस में इस प्रकार के राहत कार्यों की आवश्यकता न हो, इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया, अब चूंकि मनीपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है इसलिए केन्द्र पर वहां ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं को सफल बनाने की जिम्मेदारी आ जाती है । यदि इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो सरकार पर आरोप लगाये जायेंगे ।

जब तक उद्योग, पर्यटन आदि के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था नही की जाएगी तब तक इस दिशा में कुछ नही किया जा सकता है । इसके लिए वहां रेलवे लाईन बिछाना आवश्यक है । मनीपुर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक क्षेत्र हैं और मेरा सुझाव है कि वहां रेलवे लाईन बिछाने के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये ।

अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन और गैर-उत्पादन कार्यों पर खर्चा कम किया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन मांगों को आज ही पारित कर अन्य सदन में भेजना है । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सहयोग दें और केवल 5 मिनींट का ही समय ले ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मैं सरकार के इस मत का समर्थन नहीं करता की जब कभी किसी राज्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, तो वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और विधान सभा भंग कर दी जाए। राष्ट्रपति शासन केवल मात्र देश में लोकतंत्र का गला घोटना है। लोग वहां राष्ट्रपति शासन से प्रसन्न नहीं है क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि ही उनकी समस्याओं पर विचार करे और अपना बजट स्वयं पारित करें राज्य के बजट को राज्य विधान सभा में पास करने के लिये लगभग एक महीने का समय लगता है, किन्तु यहां वह केवल 2 या 3 घण्टों में ही पारित कर दिया जाता है। हमारी लोकतंत्र व्यवस्था में यह कोई अच्छी बात नहीं है।

एक भूतपूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि एक विधायक का अपहरण कराने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग किया गया। सरकार को इस मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। यदि यह बात सच सिद्ध हो जाए तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। 1967 के आम चुनावों के पश्चात् लोक-सभा ने इस मामले पर ध्यान दिया और दल बदलने के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया तथा एक समिति गठित की गई जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है किन्तु सरकार 3 वर्ष से इस पर अभी तक विचार कर रही है। सरकार को दल बदलने की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए, किन्तु कांग्रेस दल इसे प्रोत्साहन दे रहा है। इन घूसपैठियों और दल बदलुओं को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल तक में शामिल किया जाता है।

मनीपुर में एक भी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है और इस सुंदर राज्य की नितान्त अवहेलना की गई है। यदि सरकार इस राज्य के विकास में रूचि लेती तो यह दूसरा कश्मीर बन सकता है। पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों को भी मनीपुर के विकास में रूचि लेनी चाहिए जिससे हमारे देश के इस सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी अपने आपको सुरक्षित अनुभव कर सके और देश के अन्य भागों में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मनीपुर के बजट से मुझे बहुत निराशा हुई है क्योंकि राज्य में उद्योगों के किास के लिए निधि का आबंटन नहीं किया गया है। मनीपूर जैसे राज्य में रेशम उद्योग बहुत महत्त्वपूर्ण है। वहां हाल ही में टसर रेशम के कीडे की नई किस्म का पता चला है जिसे ओक के पेड के पत्तों पर पाला जा सकता है किन्तू हमने इसका विकास नहीं किया है। केन्द्रीय सिल्क बोर्ड परियोजाना एक रोजगार प्रख्यात उद्योग है और इससे लगभग 9 हजार लोगों को पूरा रोजगार मिल सकता है और एक लाख से अधिक लोगों को अल्पकालिक रोजगार मिल सकता है। अतः इस उद्योग के विकास में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय को मनीपूर राज्य में इस उद्योग के विकास के लिए इस बजट में अपेक्षित निधि का आबंटन करना चाहिए और टसर सिल्क के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

Shri Phool Chand Varma (Ujjain) : About a year has passed when Manipur was given the Status of a State and since then not a single industry has been established there. Government has not paid due attention for the development of the State. There is means of transport and communication in the state. Manipur is a border state and it is a strategic for the Military point of view. During rainy season the state remains cut off from the other parts of the Country. Government should pay serious attention to this matter and take steps so that anti national elements may not become active there.

Political defections and floor crossing are increasing in the state and the Congress Party is mainly responsible for encouraging such defectors. This attitude of the local congress there should be discouraged. This political crime is damaging the roots of democracy in the country. Inspite of persistent demands, Government is not bringing forward Bill on defections to curb this evil. Government seems to have vested interest in keeping the defections encouraged. Therefore, I want the hon. Minister to bring forward a Bill on defections in this session so that this evil may be removed.

[Shri Phool Chand Varma]

There are not enought means of transport and industries in Manipur. Law and order situation is also alarming so far as the administration in the Manipur is concerned. MLA's have been kidnapped and have been kept like captures. It is a slur on our democracy. Such things can not be tolerated.

This is a deficit Budget, keeping in view of overall development, particularly industrial and economic development of Manipur Government should allocate more funds so that new industries, may be established and opportunities of employment may be available to the people of Manipur.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : राष्ट्रपति को भेजी गई राज्यपाल की रिपोर्ट में अनेक पहलुओं का संकेत किया गया है। जहां तक मनीपूर की राजनीतिक परिस्थितियों का सम्बन्ध है, वहां 18 विधायकों ने एक बार ही नहीं, अपितु, कई बार दल-बदल किया था और ऐसी परिस्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना ही एक मात्र उपाय रह गया था जिससे वहां चुनाव के लिए अनकल स्थिति पैदा की जा सके। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करेगी कि प्रशासनिक और अन्य संवेधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप वहां शीघ्र ही चुनाव कराये जायें।

यह बजट मनीपुर विधान सभा नें 5 मार्च को पेश किया गया था। किन्तु राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां की स्थिति खराब हो गई थी। अत: यह बजट सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए एक ऐसा बजट है जिस मनीपुर के मंत्रिमण्डल ने तैयार किया था और सभा के समक्ष पेश किया गया था। यदि वहां राजनीतिक अस्थिरता न होती, तो यह बजट राज्य विधान सभा में ही पारित किया जाता।

इस बजट के कुछ ठोस पहलू हैं जिन्हें मैं सदन में प्रस्तुत करूंगा। मनीपूर में भयानक सू ा पड़ रहा है और वहां की मुख्य फसल, धान का उत्पादन लगभग 30 प्रतिशत कम होने की संभावना है। रबी की फसल के दौरान आयात कृषि उत्पादन कार्यक्रम सफल नहीं हो सका और शीतकाल में वर्षा न होने से खरीफ की फसल में हुई कमी को पूरा नहो किया जा सका। राज्य सरकार धान उगाने सम्बन्धी अभियान शीघ्र चलाने का विचार कर रही है और लगभग 5,000 से 10,000 हैक्टर भूमि में धान उगाने का विचार है। सूखा पड़ने से मनीपूर सरकार को राहत के रूप में केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ी। वहां एक केन्द्रीय दल भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। 40 लाख रुपए की अन्तरिम सहायता दी गई है ताकि वहाँ कठिनाइयों पर काबू पाया जा सके।

मनीपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें आदिवासियों की अधिक जनसंख्या है। अतः इस के आर्थिक विकास की केवल मनीपुर को ही नहीं अपितु सारे राष्ट्र की चिंता है। इसलिये समूचय राज्य को नये उद्योगों की स्थापना के लिये 10 प्रतिशत अनुदान देने के लिये चुना गया है और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर वित्तीय सहायता देने के लिये भी कहा गया है। मनीपुर के पांच खंडों में एक मिली जुली एम० एफ० ए० एल०/एस०एफ० डी०ए० की योजना आरम्भ की गई है इन में से चार पर्वतीय क्षेत्र हैं। चौथी योजना के एक अंश के रूप में पिछड़े बर्गों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ आरम्भ की गई हैं।

चौथी योजना के दौरान मनीपुर के लिये 34.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1973-74 में उस राज्य के लिए 8.91 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं जिसमें 8.51 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहायता के रूप में हैं।

लोकटाक जलविद्युत परियोजना और चर्चांदपुर से मिजोरम के निकट तिपाई मुख तक सड़क परियोजना और क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी अन्य केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएँ हैं जिनपर आगामी वर्ष में 28 लाख रुपए खर्च होंगे ।

उद्योगों क लिए 1973–74 के बजट में 56 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। तासार संस्कृति के विकास के संबंध में आई० डी० बी० आई० और राज्य सरकार के योजना आयोग के बीच इस के वित्तीय पहलु पर चर्चा की जा रही है। निगमित क्षेत्र में एक संस्था बनान का विचार किया जा रहा है।

जहा तक पुलिस पर होने वाले खर्चे का संबंध है यह सीमावर्ती राज्य है और सामरिक दृष्टि से बहुत नाजुक है। सीमा की रक्षा करना न केवल मनीपुर सरकार का दायित्व है अपितु सारे राष्ट्र का दायित्व है। राज्य में 25,000 तकूओं वाला एक कताई कारखाना है और वहां क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगास को सलाहकार के रूप में बनाए रखा गया है और 1973–74 में इस कारखाने के लिए 31 लाख रुपयें की व्यवस्था की गई है।

मैं आशा करता हुं कि वहां एसी परिस्थितियां पैदा की जायेंगी जिससे वहां फिर लोकप्रिय सरकार स्थापित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मणिपुर सरकार की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित पूरी पूरी मांगें सभा में मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following demands in respect of Government of Manipur were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	भू राजस्व	6,67,000
2	राज्य उत्पाद शुल्क	67,000
3	मोटरगाडियों पर कर	44,000
4	विक्रय कर	63,000
5	अन्य कर तथा शुल्क	2,000
6	स्टाप	10,000
7	पंजीकरण	31,000
8	संसद् राज्य और संघ राज्यक्षेत्र विधान मण्डल	3,53,000
9	सामान्य प्रशासन	36,45,000
10	न्याय प्रशासन	1,39,000
11	जेलें	2,33,000
12	पुलिस	1,18,29,000
13	नागरिक पूर्ति	2,16,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
14	शिक्षा	1,85,05,000
15	चिकित्सा	36,67,000
16	लोक स्वास्थ्य	15,44,000
17	परिवार नियोजन	3,68,000
18	कृषि और मीनक्षेत्र	26,14,000
19	पशु पालन	10,78,000
20	सहकारिता	5,17,000
21	उद्योग	15,59,000
22	सामुदायिक विकास	34,80,000
23	श्रम	1,42,000
24	सांख्यिकी	2,70,000
25	सिंचाई	8,07,000
26	विद्युत	38,00,000
27	लोक निर्माण कार्य (मूल निर्माण कार्य मरम्मत)	31,67,000
28	लोक निर्माण कार्य (प्रतिष्टान)	51,15,000
29	सड़क परिवहन	26,67,000
30	दुर्भिक्ष	80,66,000
31	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3,60,000
32	लेखन सामग्री और मुद्रण	3,33,000
33	वन	10,30,000
34	विविध	29,60,000
35	लोक स्वास्थ पर पूंजी परिव्यय	28,00,000
36	सिंचाई, नौवहन तटबन्ध और जल निकासी निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	50,00,000
37	बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	6,67,000
38	विद्युत पर पूंजी परिव्यय	48,33,000
39	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	78,33,000
40	इमारतों पर पूंजी परिव्यय	92,32,000
41	सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	2,67,000
42	राज्य व्यापार पर पूंजी परिव्यय	3,37,37,000
43	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	18,66,000
44	ऋण और अग्रिम	28,07,000

मणिपूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973
MANIPUR APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मुझे मणिपूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक, 1973 पर विचार किया जाए"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्ड वार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री० के आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें
GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS

औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांग संख्या 58 और 59 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मांग संख्या 95 से 97 तक पर चर्चा की जाएगी। सदन में उपस्थित जो माननीय सदस्य इन पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे 15 मिनट में लिखित रूप में भज दे। उन्हें प्रस्तुत हुआ माना जायेगा।

गण सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	40	श्री दीनेन भट्टाचार्य	75 बड़े औद्योगिक गृहों का बिना मुआवजा दिये राष्ट्रीयकरण करनें की आवश्यकता	राशि में से 100 रुपयों घटा दिए जाएं
58	41	,,	देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक असन्तुलन दूर करने में विफलता	,,
58	42	,,	देश भर में छोटे कारखौनों को कच्चे माल की सप्लाई की उचित व्यवस्था करने में विफलता।	,,
58	43	,,	छोटे पैमाने के क्षेत्र को अपेक्षित विपणन सुविधायें देन की आवश्यकता।	,,
58	44	,,	पिछड़ क्षेत्र में श्रम–प्रधान कारखाने आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
58	45	,,	औद्योगिक संयंत्रों में संगणक यंत्र लगाने पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।	,,
58	50	श्री एस० एन० सिंह	सीमेंट के बोरों से सीमेंट के निकलन को कम से कम करने के लिये सीमेंट के बोरों में उर्वरक के बोरों की भांति रसायनिक लगाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
58	53	श्री डी० के० पंडा	देश में ही तकनीकी जानकारी का विकास करने तथा विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों में से प्रबंध विशेषज्ञ विकसित करने में विफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए
58	54	,,	उड़ीसा में 13 उद्योगों, जिनके बारे में लाइसेंस पहले ही दिये जा चुके हैं को स्थापित करने तथा उनका विकास करने में विफलता।	,,

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
1	2	3	4	5
58	55	**श्री डी० के० पंडा**	सामान्य रूप से देश भर में तथा विशेष रूप से उड़ीसा में बन्द पड़े उद्योगों का अधिग्रहण करने में विफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए
58	56	,,	सामान्य रूप से देश भर में तथा विशेष रूप" से उड़ीसा में छोट पमाने के उद्योगों को नियमित रूप से कच्चा माल, मुख्यतया इस्पात, की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में विफलता।	
58	57	,,	आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति के अनुरुप औद्योगिक नीति संकल्प में प्रगतिशील परिवर्तन करने में विफलता।	,,
58	58	,,	एकाधिकारी गृहों को सरकारी वित्तीय संस्थानों से अधिकतम लाभ उठान से रोकने में विफलता।	,,
58	59	,,	औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में उड़ीसा की पूर्ण अवहेलना।	,,
58	60		एकाधिकारी गृहों तथा विदेशी एकाधिकारियों विशेषतया अमरीकी एकाधिकारियों के बीच आर्थिक सहयोग को रोकने में विफलता।	,,
58	61	,,	राज्यों तथा राष्ट्र की आर्थीक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विकासशील छोटे पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता दने में विफलता	,,
58	62	,,	छोटे उद्दमियों तथा बेरोजगार इंजीनियरों को सरकारी ऋण देने में विफलता।	,,
58	63	-	औद्योगिक विकास के लिये सामान्य रूप से पिछड़े राज्यों को तथा विशेष रूप से उड़ीसा को पर्याप्त ऋण देन में विफलता।	,,
58	64	,,	एकाधिकारी गृहों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय संयुक्त क्षत्र के सिद्धान्त का शिकार बनना।	,,

9—7 LSS/73

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाक	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	65	श्री डी० के० पंडा :	औद्योगिक विकास के लिये आयोजना में गर-पूंजीवादी निति अपनाने में विफलता।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए
58	66	,,	देश में औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में विफलता।	,,
58	67	,,	देश में 102 एकाधिकारी गृहों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
58	68	,,	उड़ीसा का औद्योगिकीकरण करने में विफलता, जो देश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है।	,,
58	69	,,	एकाधिकारी अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन में एकाधिकारी गृहों को गैर-कानूनी ढंग से लाइसेंस देना बन्द करने में विफलता।	,,
58	70	,,	सामान्य तौर पर पिछड़े राज्यों और विशेष रूप से उड़ीसा राज्य को औद्योगिक विकास में प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने में विफलता।	,,
58	71	,,	एकाधिकार गृहों को सरकारी उपक्रमों द्वारा तैयार किये गये आधारभूत ढांचे से अनुचित लाभ उठाने से रोकने में विफलता।	,,
58	72	,,	उड़ीसा में पद दलित आदिवासी लोगों को रोजगार देने के लिये उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग का विकास करने की आवश्यकता, जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाएं
59	76	,,	उड़ीसा के गंजम जिले में भंजनगर में एक कागज उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
59	77	,,	केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले सभी उद्योगों पर तुरन्त काम शुरु करने की आवश्यकता।	,,

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग की वर्ष 1973–74 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

औद्योगिक विकास मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
58	औद्योगिक विकास मंत्रालय	1,61,82,000
59	उद्योग	12,61,34,000

विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
95	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग	3,19,35,000
96	भारतीय सर्वेक्षण	8,04,68,000
97	वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान .	20,19,58,000

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : हमारे जैसे अल्प विकसित देश में भूमि सुधार के बिना औद्योगिकरण प्रभावी ढ़ंग से नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था डांवाडोल है, जबतक सरकार गंभीरता से भूमि सुधार लाकर जनता की क्रयशक्ति में वृद्धि नहीं करेगी और देश में खपत के लिए मांग उत्पन्न नहीं करेगी तबतक देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता, चाह कितने भी कारखाने लग जाएं।

पूंजीपति प्रधान आर्थिक नीतियों के कारण उद्योगों को विदेशी सहायता एवं सहयोग पर आश्रिता रहना पड़ता है। सरकार समझती है कि उनकी लाइसेंस नीति और ऋण नीति आदि से पूंजी के कुछ हाथों में संचयन में कमी होगी परन्तु हुआ इसके विपरीत ही है। 'इकोनोमिक टाइम्स' के सवक्षण के अनुसार टाटा की कुल आस्तिमां 1951 में 150 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1972 में 850 करोड़ रुपय हो गई। इसी प्रकार बिड़ला की आस्तिमां 1951 में 51.4 करोड़ रुपय से बढ़ कर 1972 में 800 करोड़ रुपये हो गई। उस पत्र में यह भी बताया गया है कि 201 बड़े-बड़े उद्योग गृहों में 25 प्रतिशत आस्तिमां विदेशी एकाधिकारियों की है। इस स्थिति में सरकार अपने को असहाय समझती है। देशीय साधनों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा सरकार विदेशी कम्पनियों को सभी सुविधाएं दे रही है और उन्हें नए नए धंध चालू करने में सहायता दी जा रही है।

संयुक्त क्षेत्र की योजना भी बड़े बड़े व्यापारियों की जेबें भरने में ही सहायक होगी।

सीमेन्ट पर से नियन्त्रण हटाया गया। परन्तु उत्पादन नहीं बढ़ा और भाव बढ़ गए और कारखानों ने जनता को लूटा। यही नीति सरकार की चीनी के मामले में भी रही है।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

मोटरगाडी उद्योग की वरीयता क्यों बदली गई इसका सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। मैं मारुति या प्रधान मन्त्री के पुत्र के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु इस उद्योग को सरकारी क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र में क्यों रख दिया गया? 'अम्बेसेडर' कार की काफी आलोचना होती है परन्तु सरकार बिड़ला की इस कम्पनी को अपने नियन्त्रण में क्यों नहीं लेती? सरकार को मोटर गाडी बनाने वाले सभी 7–8 कारखानों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मेरा सुझाव है कि छोटी कार का नया कारखाना सरकारी क्षेत्र में हो।

हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं परन्तु सरकार का कोई टायर निर्माण कारखाना नहीं है। सेना और वायु सेना को डनलप, फायरस्टोन और अन्य विदेशी कम्पनियों पर निर्भर रहना पड़ता है और ये 6–7 कम्पनियां लूट रही है। भारत में इन कम्पनियों के टायर पुराने है और कहीं भी प्रयोग में नहीं आ रहे है अत: ये कम्पनियां इस मामले में देश को पिछड़ा रख रही है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे इनका तुरन्त सरकारीकरण करे जिससे बढ़िया टायर बनाने के साथ साथ इन कम्पनियों का विस्तार करके अधिक लोगों को काम मिले।

पश्चिम बंगाल में सरकार दो कम्पनियां, जस्सप्स और ब्रेथवेट, चला रही है और वहां 60 प्रतिशत काम के लिए समयोपदि भत्ता दिया जाता है जबकी रोजगार के अवसर बढ़ा कर और अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है परन्तु यह आपकी नीति में शामिल नहीं है।

सरकारी नीति के कारण ही अनेक लघु उद्योग बन्द हो गए है या बन्द होने वाले है, क्योंकि इन्हें सरकरी सहायता और आर्डर समय पर नहीं मिलते है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं सम्बन्धी अधिनियम राज्य पर लागू करने के लिए कहा है ताकि एकाधिकार वाले गृहों का विस्तार किया जा सके। परन्तु मेरा अनुरोध है कि पहले इन सभी कारखानों का सरकारीकरण किया जाये। राज्य सरकार का यह दावा भी गलत है कि वहां कांग्रेस शासन में 170 कारखाने पुन: खुले है और 1.5 लाख लोगों को काम दिलाया गया है—यह दावा भ्रामक है। इससे पहले सभी राज्यों में कारखाने बन्द हुए है और गुजरात में इनकी संख्या सब से अधिक है। यह कांग्रेस की नीतियों का ही तो परिणाम है।

अन्त में मैं मांग करता हूं कि सभी 75 एकाधिकार गृहों को बिना मुआवजा दिए अपने हाथ में लिया जाये, सभी विदेशी कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर किया जाए और उन्हें अपने लाभ देश से बाहर भेजने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय और विज्ञान तथा औद्योगिकी विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं। मन्त्रालय का कार्य देश में औद्योगिकरण को व्यवस्थित करना है, परन्तु हम देखते है कि सरकार की नीतियों के कारण बड़े उद्योग गृह इतने बड़े हो गए है कि इनसे न केवल आर्थिक स्थिरता को अपितु राजनीतिक स्थिरता को ही खतरा पैदा हो गया है। लाइसेंसिग नीति फरवरी, 1970 और पुन: फरवरी, 1973 में बदली गई परन्तु तबतक खतरा काफी बढ़ गया था एकाधिकार व्यापार प्रक्रियाओं सम्बन्धी अधिनियम 1969 में बना और जून, 1970 में लागू किया गया परन्तु इसमें अग्रगामी उपक्रमों और परस्पर-सम्बन्धित उपक्रमों की परिभाषाएं इतनी अस्पष्ट है कि किसी भी बड़े गृह को इनके अन्तर्गत नहीं लाया जा सका और नहीं इस अधिनियम की किसी धाराको उनपर लागू किया जा सका।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

लोक लेखा समिती
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

78 वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में पहले हुई असाधारण घटनाओं के कारण यह रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा सकी। अत: मैं इसे अब प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देता हूं।

श्री इरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं वर्ष 1970–71 के लिए भारत के निमन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 35 और 52–केन्द्रीय सरकार (सिविल) इस्पात और विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी (सी० एस० आइ० आर०) से सम्बन्धित पर लोक सेवा समिति का 78वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

25 वां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS
TWENTY-FIFTH REPORT

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ होता है।

श्री बीरेन एंगटी (दीफू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 28 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 25 वे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उप ध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 28 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 25 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विदेशी तेल कम्पनियों और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प -- (जारी)

RESOLUTION RE. NATIONALISATION OF FOREIGN OIL COMPANIES AND OTHER VITAL INDUSTRIES (*contd.*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हीरेन मुकर्जी के संकल्प पर आगे चर्चा होगी। पिछली बार श्री बाजपेयी भाषण कर रहे थे परन्तु इस समय वह उपस्थित नहीं है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : श्री मुकर्जी ने अपने संकल्प के पक्ष में बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया है और मांग की है कि विदेशी तेल कम्पनियों और 72 एकाधिकार-गृहों को सरकारी नियन्त्रण में लिया जाए।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARY IN THE CHAIR.]

[श्री० डी० के० बरुआ]

मैं उनकी इस मांग से भी सहमत हूं कि उर्जा उत्पादन पर राष्ट्रिकों का नियन्त्रण होना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि व्यक्ति के स्थान पर इसका नियन्त्रण राष्ट्र के हाथ में होना चाहिए क्यों कि समाजवाद के प्रति निष्ठावान देश होन के नाते विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों के सभी शिखरों पर राष्ट्र का नियंत्रण होना चाहिये और खनिज तेल और शोधित तेल से बड़ी उर्जा कोई नहीं है। इसी लिए संसार भर में यहीं मांग की जा रही है। समाजवादी देशों के अतिरिक्त ब्रिटन, इटली और फ्रान्स जैसे देशों में भी तेल पर सरकारी नियन्त्रण है।

हमारे यहां तेल कम्पनियां भिन्न कार्य करती है और इस क्षत्र में श्री के० डी० मालवीय का नाम सदा अमर रहेगा, जिन्होंने तेल के क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व का श्रीगणेश किया। तेल उद्योग का आधार खनिज तेल है जिसका उत्पादन पहले ही सरकार के हाथ में है।

यह सच है कि पहले खनिज तेल केवल बर्मा आयल कम्पनी ही निकालती थी परन्तु उनका उत्पादन केवल 5 लाख टन ही था। श्री मालवीय जी ने रूस की सहायता से और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का गठन कर के यह कार्य आरम्भ किया और इस समय 48. 4 लाख टन खनिज तेल निकाल जाता है।

बर्मा आयल कम्पनी के साथ मिल कर आयल इण्डिया की स्थापना की गई और ऊपर से नीचे तक दूसरा भारतीयकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त आयल इण्डिया ने इण्डोनेशिया में पाईप लाइनों के उत्पादन के लिए आवेदन किया है। गत वर्ष 80 लाख टन खनिज तेल के उत्पादन में से निजी क्षेत्र ने केवल 11 लाख टन का ही उत्पादन किया। स्वाधीनता-प्राप्ति के समय तेल के सभी प्रकार के तैयार माल का आयात होता था, परन्तु बाद में श्री मालवीय द्वाराही सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना पहले गोहाटी में और बाद में बरौनी तथा कोयली में लगाया गया। ये कारखाने यद्यपि मित्र समाजवादी देशों के सहयोग से लगाए गए थे परन्तु इनका प्रबन्ध पूर्णतया भारतियों द्वारा किया जाता है। इन कारखानों में उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ा है।

आज स्थिति यह है कि तेल शोधन का समस्त कार्य बर्मा-शैल, एस्सो और काल्टेक्स को छोड़कर सरकार द्वारा किया जाता है जो देश का 60 प्रतिशत तेल साफ करती है और पांचवी योजना के अन्त में यह 82 प्रतिशत हो जाएगा। सभा को विचार करना होगा कि क्या हमारा कदम ठीक दिशा में नहीं उठ रहा है? हम सरकार का इतना विस्तार करना चाहते है कि कल के मित्र आज बौने दिखाई दें। हम विकास का सन्तुलित कार्यक्रम अपनाना चाहते है। विदेशी कम्पनियों के साथ हुए करार 1979 के अन्त में समाप्त हो जाएंगे।

जैसा मैंने पहले कहा है, सभी प्रगतिशिल देशों में तेल का नियन्त्रण सरकार के हाथ में होता जा रहा है। अत: इस पर कोई मतभद नहीं है और इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का सभी स्वागत करेंगे,अत: हमें इन कम्पनियों के बारे में जो भी निर्णय करना है, वह जन साधारण के हितों को ध्यान में रख कर करना होगा।

श्री मुखर्जी ने इन तीन विदेशी फर्मों द्वारा बाहर भेजी गई राशियों के जो आंकड़े दिए है, वे सही नहीं है। वित्त मन्त्री के अनुसार बर्मा शेल ने वर्ष 1969 से 1971 तक कुल 2.64 करोड़ रुपये, एस्सो ने 95 लाख रुपये तथा काल्टेक्स ने 39 लाख रुपये बाहर भेजे। इस प्रकार उक्त तीनों विदेशी कम्पनियों के इन तीन वर्षों में कुल 3.98 करोड़ रुपये की राशि बाहर भजीं। श्री मुखर्जी ने जो आंकड़े दिये है वे इस लिए सही नहीं है क्योंकि उनमें कच्चे तेल के मूल्य तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यय भी उन्हों ने जोड़कर बताया है। कच्चे तेल का आयात हम अपने निर्धारित मूल्यों पर करते है और अपने खाते में मद्रास तेल शोधक

कारखाने के लिए करते है। अत: यह राशि उक्त कारखाने के नाम में जाती है। इसी प्रकार हम को चीन, हाल्दिया तथा बरौनी के लिए भी कच्चा तेल खरीदते है। अब कच्चे तेल को हम साफ करें या बर्मा शैल करें, उस कच्चे तेल का मूल्य तो हमें देना ही पड़ता है। अत: इन मूल्यों को जोड़कर ही इन कम्पनियों द्वारा भेजी गई राशियां बहुत बड़ी दिखाई देती है। अन्यथा ये राशियां अधिक नही है। कच्चे तेल की हमारी वार्षिक आवश्यकता 2.20 करोड़ टन है जबकि हमारे यहां उत्पादन केवल 70.67 लाख टन का होता है और इसी लिए हमें सरकारी क्षेत्र के तथा अन्य तेल शोधक कारखानों के लिए लगभग 130 लाख टन का आयात करना पड़ता है। और जब तक हम और अधिक कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर पाते है, इस का आयात करते रहना पड़ेगा और दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा।

मुझे नहीं मालूम कि श्री मुखर्जी इस मामले पर सभा में मतदान कराना चाहेंगे या नहीं परन्तु यह सही है कि हम सब इस मामले में एकमत है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तरपूर्व) : मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि जहां तक देश में विदेशी तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण किये जाने की बात है मंत्री महोदय सहित सभी इस बारे में प्राय: एकमत हैं। परंतु फिर भी मैं अपना संकल्प तो वापस नहीं लेना चाहूंगा। इसके विपरीत अपने संकल्प में श्री मूलचंद डाया द्वारा प्रस्तुत वह संशोधन स्वीकार करने का अवश्य सुझाव दूंगा जिसमें उन्होंने 75 एकाधिकार गृहों संबंधी भाग को हटा देने तथा केवल विदेशी तल कंपनियों का ही राष्ट्रीयकरण करने की बात रखने का सुझाव दिया है। यदि सरकार को मेरे संकल्प को क्रियान्वित करने में कोई अस्थायी कठिनाई अनुभव होती है तो वह उसे किसी उचित अवधि के बाद क्रियान्वित कर सकती है। अत: मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय मेरे संकल्प को श्री मूलचन्द डागा के संशोधन सहित स्वीकार कर ले क्योंकि मेरी ऐसी धारणा है कि स्वयं कांग्रस दल के बहुत से सदस्य भी यह चाहते हैं कि विदेशी तल कंपनियों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाये।

मंत्री महोदय ने केवल इसी बात पर अधिक जोर दियो है कि हमारे देश में इस संबंध में ऐसी स्थिति है जैसा कि हमने अपने तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर ही रखा हो और इसीलिये वर्ष 1979 तक हमें इससे अधिक कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान तथा ईराक जैसे देशों में तेल के उत्पादन का भी राष्ट्रीयकरण किया गया है। परन्तु यह भी तो एक तथ्य है कि ईरान और ईराक में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं और उन्हे कच्चे तेल के उत्पादन से ही अधिकांश आय मिल जाती है जब कि हमारे देश में पेट्रोलियम के स्त्रोत बहुत ही सीमित मात्रा में हैं और हमें कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है जिसके लिये हमें इन विदेशी तेल कंपनियों पर आश्रित रहना पड़ता है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-क्षेत्र में बहुत गन्दा रिकार्ड है। इसका एक मात्र कारण यही है कि हमारे पास पेट्रोलियम के पर्याप्त स्रोत नहीं है जोकि देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हमारे पास सभी प्रकार की तकनीकी जानकारी होते हुए भी हमारा इन कंपनियों पर इस प्रकार निर्भर रहना दुर्भाग्य की बात है। ये कंपनियां अनेक बार हमारी बात या हमारे द्वारा निर्धारित शर्तों को न मानकर विवाद खड़ा कर चुकी है तथा देश का शोषण कर चुकी हैं। इनके पास बहुत सा धन है, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी भ्रष्ट करती है, तथा हमारी अर्थव्यवस्था को अस्य-व्यस्त करती है; हमारी नैतिकता का ह्रास करती है।

ऐसी स्थिति में हमें चाहिये कि वर्ष 1973 में हम ईराक, ईराण तथा कुवैत तथा अन्य अरब दशों से अपने संबंधों में परिवर्तन करके वहां से कच्चे तेल का आयात कर सकते है तथा विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करके पेट्रोलियम मंत्रालय इन देशों से यह तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किस प्रकार सस्ते दामों पर कच्चा तेल प्राप्त किया जा सकता है।

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

मंत्री महोदय ने मेरे द्वारा प्रस्तुत आकड़ों का उपहास किया है परन्तु मेरे आंकड़े वस्तुतः उनके पूर्ववर्ती मंत्री महोदय के विवरण पर आधारित थे जिससे मैंने सेवा-खर्च, रायल्टी लाभांश तथा लाभ आदि का जोड़ कर बताये है जो कि बाहर भेजे जाते हैं ।

सरकार के विभिन्न मंत्रालय के मध्य परस्पर उचित समन्वय नहीं है। यदि योजना मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, विदेश मंत्री तथा नौवहन मंत्री भी पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के साथ सहयोग करे तो कच्चे तेल का आयात हमें काफ़ी सस्ता पड़ सकता है, और हम इन विदेशी कंपनियों के शोषण से बच सकते हैं जिनका काम केवल यही है कि वे हमें विदेशों से कच्चा तेल उपलब्ध कराती है । परन्तु अब तो ये कम्पनियां अन्य कई प्रकार से भी कतिपय ठेके आदि प्राप्त करके, हमारे यहां अपना नियंत्रण जमाना चाहती हैं । अतः हमें शीघ्रातीशीघ्र इनके अंगुल से छुटकारा पाना चाहिये तथा कच्चे तेल के लिये स्वयं अपने कोई प्रबंध करने चाहिये ।

मंत्री महोदय ने बड़ी कुशलता से वर्ष 1952-53 के करारों के विवरण को छिपा लिया है क्योंकि कोई भी स्वतंत्र देश इस प्रकार के करार नहीं कर सकता । उनका कहना है कि वर्ष 1979 तक सब कुछ ठीक हो जायेगा परन्तु यह बात इतनी आसान नहीं है क्योंकि ये विदशी कंपनियां भी विश्व के अंतर्राष्ट्रीय निगमों से अपना आर्थिक अस्तित्व रखती है तथा किसी ताकत के आधार पर ही तो इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विचलित कर रही है । उनके साथ सरकार द्वारा किये गये करार हमारी देश की सुरक्षा के विरुद्ध हैं अतः उन्ह समाप्त किया जाना चाहिए ।

साथ ही इन कंपनियों में कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति इन कंपनियों का व्यवहार बहुत ही अभद्र है तथा हमारे देश के गौरव को नीचा करता है । हमें इस संबंध में कुछ करना होगा । ये कंपनियां हमारे देश की प्रभुसत्ता को भी चुनौती देती है क्योंकि समुचित तकनीकी जानकारी होते हुए भी हम इन पर आश्रित हैं । अतः मैं सुझाव देता हूं कि सरकार सदन की भावना को समझते हुए तुरन्त ही इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करे, मंत्री महोदय क्यों नहीं कह देते कि सरकार इस संकल्प में निहत के सिद्धान्तों को स्वीकार करती है क्योंकि सरकार इन स्वदशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर देने को वचनबद्ध है । सरकार राष्ट्रीयकरण की घोषणा अभी कर दे तथा उक्त प्रक्रिया की, क्रियान्विति संबंधी बाते बाद में होती रहेंगी । आखिर राष्ट्रीयकरण करने के सिद्धांत को स्वीकार करने में मंत्री महोदय को क्या परेशानी है ? यदि वह मांन ले तो सभा में एक सर्व संम्मत संकल्प पहले हो सकता है कि इन विदेशी कंपनियों का तुरंत राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ।

अन्त में, मैं श्री मूलचन्द डागा के संशोधन को स्वीकार करता हूँ तथा अपने संकल्प को संशोधित रूप में सभा के सामने प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री डी० के० बरुआ : इस बारे में कोई मतभेद नहो है कि तेल उद्योगकी सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाये तथा इस पर केवल विदेशियों का ही नहीं बल्कि किसी भारतीय व्यक्ति का भी नियंत्रण नहीं रहना चाहिये । यह बहुत महत्वपूर्ण तथा बड़े दायित्व का मामला है । अतः यह सारा उद्योग केवल सरकारी क्षेत्र के अधीन ही रहना चाहिये ।

सभापति महोदय : अब मैं मूलचन्द डागा का संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 1 was put and negatived.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना पहला संशोधन वापस लेता हूँ परन्तु मेरा दूसरा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा जाये।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 2 वापस लिया गया।
The Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The Amendment No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है कि :

इस सभा की राय है कि विदेशी तेल कंपनियों और 75 एकाधिकारगृहों के नियंत्रणाधीन अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

राज्य सभा के उत्सादन के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : ABOLITION OF RAJYA SABHA

Shri Bibhuti Misra (Motihari): Sir, I beg to move :

"That this House direct the Government to bring forward a Bill to amend the Constitution to provide for the abolition of Rajya Sabha."

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]
[MR. S. A. KADAR *in the Chair*]

While bringing in this Resolution, I may make it clear that I have absolutely no sense of jealousy or ill will against any Member of the Rajya Sabha, and I have got fullest respect and honour for that body.

The existing provision of the Upper House was made by the constituent Assembly which in fact, did not represent the entire country and was dominated by either the pro-British Government people or by the persons who were under the influence of that Administration. And that is why this provision of this House—one Rajya Sabha and the other Lok Sabha on the pattern almost similar to those of House of Lords and House of Commons respectively. But Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, was not in favour of having this House. Before the Federal Structure Committed in 1931 he had said :

"I am certainly not enamoured or I do not swear by two legislatures. I have no fear of a popular legislature running away with itself and hastily passing some laws of which afterwards it will have to repent. I would not like to give a bad name to it and then hang the popular legislature. I think that a popular legislature can take care of itself and since we are dealidpg with the poorest country in the world, the less expenses we have to bear, the better it is for us. I do not for one moment endorse the idea that unless we have an Upper Chamber to exercise control over the popular chamber, the popular chamber will ruin the country. I have no such fear, but I can visualise a state of affairs when there can be battle royal between the popular chamber and the Upper Chamber." (What Mahatmaji

[Shri Bibhuti Misra]

predicated has already come true and we have had so many battles royal with the other House). "Any way, whilst I would not take up a decisive attitude in connection with it, personally I am of opinion that we can do with one Chamber only and that we can do with to great advantage. We will certainly save a great deal of expenses if we can bring ourselves to believe that we shall do with one Chamber".

Then Gandhiji insisted on creating our own precedence rather than to follow Britisher. He said,

"We need not go after precedents. Let India create her own precedent, so that the rest of the world may follow it."

Similarly, in 1936, Pt. Jawaharlal Nehru also had said that there should be only one House in India.

Then, the way in which the Members of the Rajya Sabha are elected shows that the body gives scope for the entry of the persons who have been defeated and rejected by the masses. In fact, many of the entrants in Rajya Sabha are such persons and also those who may not be useful in that House but have to be obliged and given seat. Therein you can find such persons there who have never faced the people at large and who have never sought, fought or won any election. They, in fact, have no link and contact, with the people at all and therefore they have no knowledge of people's sufferings and grivences. Besides this, the above pattern permits back door entry of those who might have been otherwise rejected or deplored by the masses.

The Membership of Rajya Sabha Member is safe upto six years whereas an elected Member of Lok Sabha can fear the dissolution of Lok Sabha any day and any time alt hough he comes to this House after great struggle and efforts. Whereas a Lok Sabha Member is elected by lakhs of people, this counterpart in the other House can be nominated by 30, 40 or 50 people, whose votes can be purchased or got not with great difficulty. In such circumstances, there can be and there has been ample scope of corruption among the Members of that House. I am not casting any aspersion on any one but I am narrating the truth what really matters. That is why we say that Rajya Sabha should be abolished.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : व्यवस्था के प्रश्न पर। संसद के एक भाग के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है यदि संबंधित मंत्री, जिन्होंने चर्चा का उत्तर देना है वह सभा में हो नहीं है, यह सभा के प्रति असम्मान की बात है।

संसदीय कार्य विभाग के उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : वह सभा-पीठ की अनुमति से कुछ देर के लिए बाहर गये हैं तथा उनकी ओर से मैं नोटस लिख रहा हूं।

सभापति महोदय : वह वापस आ रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : The existence of the Upper House have causes obstructions and delay and also duplication of work in the affairs. Secondly the Cabinet has to be responsible to both the Houses. By having only one House that Lok Sabha, not only the Cabinet would be responsible to one House only, but also it would comprise of the Members of this House only.

Then the abolition of Rajya Sabha would vanish the scope of conflict between the two Houses. We have seen such an incident on matter concerning abolishing of privy purses of the ex-rulers when the Bill passed by this House was rejected by the Rajya Sabha by the fraction of a vote. In this way the Upper House blocks many progressive measures which are very vital for the welfare of the entire nation.

Thus we cannot do remarkable progress till the other House exists. We are bound to seek their approval.

If we go through the figures, we find that the meetings or the sittings of the Upper House during the last 20 years have been much less than those of Lok Sabha. The working hours also have been considerably lesser whereas the expenditure on that House has been comparatively on the high side which, if avoided by abolishing that House, could be utilised for constructing small siphon rivers, with which we could irrigate waste lands and remove poverty.

I know, there are very learned, and dedicated scholars in that House, much more than what we are here. But the House itself states to no providence, no solid use. So, it should be done away with. In case the Government or the country needs great scholars, engineers, technicians, scientists, educationists etc. let us form a separate corporation of specialists in different fields and fix their scholarships and utilise their services as and when needed. But let us have separate provisions for them.

We say that Rajya Sabha is a permanent body and it is never dissolved. But what worth does it have when Lok Sabha is dissolved? Nothing.

I, therefore, urge upon the Government to act according to what Gandhiji or Nehruji said. We should not blindly follow other country which have different circumstances. Let us save our hard earned money which we get by way of different taxes and utilise the same for good objects. I have no ill-feelings or anything like for anybody in that House but after sustained thinking and analysing, I have come to demand the abolition of that House in the interest of the entire nation.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I am glad to note that a very senior Member of this House has brought forward this Motion and I am also of the opinion that as a principle the second House should be done away with. We have already passed a resolution here to abolish West Bengal Legislative Council although with some opposition.

Rajya Sabha Membership can be had by the rejected and defeated individuals who are capable of purchasing Assembly votes which amounts to only 42 for a win. I don't want to go into it anymore but certainly I do realise that Rajya Sabha has no utility in its existence, may it be that there are great scholars and patriots. The opinions of Mahatma Gandhi and Nehru have already been quoted in this behalf.

Despite the fact that the Lok Sabha Member have to face stiff contest and struggle unlike those of Rajya Sabha before coming to this House, the privilages and other facilities are the same in both the cases whereas the Rajya Sabha Members are neither directly responsible to the people at large nor are they required to face them for their actions whatsoever. A Lok Sabha Member is always open to much criticism and deploration if he, even by mistake, utters or commits something which could be termed as anti-people.

Back door entry in Rajya Sabha to make a person M.P. is quite well known. All sorts of fair and unfair efforts are made to have through causing very much people of corruption and immoral activity. The prospective candidates

[Shri S. N. Banerjee]

for Rajya Sabha wait for the retirement or even death of a sitting member just as a bunch of eagles waiting long for the death of a cattle to make their food.

Rajya Sabha is a kind of luxury for us and I think we can ill-afford it. Let us deeply think over it, whether we really need it and whether we can do without that House.

Today you propose to effect economy by abolishing class IV posts, reducing the Budget, asking people to eat less, eat whatever is cheaper. Then how do we propose to afford such a heavy expenditure of a body which has no utility and without which, we can do things better and earlier.

Therefore, I suggest that in case there is no legal obstacle let Rajya Sabha be abolished or let the Government at least ponder over it quite seriously particularly with reference to the country's present economic state of affairs when people are dying of hunger and unemployment.

With these words I fully support the motion.

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का विरोध करता हूं। इसके साथ ही मैं श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा व्यक्त विचारों का भी विरोध करता हूं। राज्य सभा की तुलना हाउस आफ लार्डस से करना उचित नहीं है क्योंकि राज्य सभा के लिये हर दो वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। श्री विभूति मिश्र का कहना है कि राज्य सभा पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च होता है। हमारा देश बहुत बडा देश है, जिसका, 5,000 करोड रुपये से अधिक का बजट होता है । यदि हम इस बजट में से एक करोड रुपये खर्च कर के राज्य सभा को नहीं रख सकते, तो मुझे इस बात का बहुत खेद है ।

हम सब जनता द्वारा निर्वाचित हैं और हम पर राजनीतिक दबाव डाला जा सकता है । फिर हम कोई प्रस्ताव जल्दी में पास कर देते है, जिसमें कोई गलती रह सकती है और राज्य सभा में उस पर पुनः विचार किया जा सकता है । इस लिये दूसरा सदन बहुत आवश्यक है । 56 करोड जनता वाले देश के लिये यह कहना कि एक सदन ही पर्याप्त है, उचित नहीं है । श्री विभूति मिश्र का तर्क यह है कि राज्य सभा में निजी थैलियां और विशेषाधिकार समाप्ति विधेयक को रद्द कर दिया था। एक लिहाज़ से अच्छा ही हुआ क्योंकि हमने चुनाव करवाये और भारी बहुमत से जीत गये। मैं श्री एस० एम० बनर्जी के इस आरोप से सहमत नहीं हूं कि राज्य सभां में स्थान प्राप्त करना आसान है, क्योंकि विधान सभा के सदस्यो के वोटों को खरीदा जा सकता है। हमें इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये। फिर यह कहा गया है कि राज्य सभा में एकाधिकार ग्रुप के लोग निर्वाचित हो जाते है । इसमें क्या हानि है ? राज्य सभा का सदस्य बनने सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ती राज्य सभा का सदस्य बन सकता है ।

राज्य सभा को समाप्त करने की मांग उचित नहीं है । फिर राज्य सभा ने कुछ संशोधन करके हमारे कुछ विधेयक वापस किये है, जिनको हमने स्वीकार कर लिया है अतः यह कहना कि उनका संसदीय लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं है, उचित नहीं है।

जहां तक इस तर्क का सम्बन्ध है कि हारे हुए व्यक्तियों को राज्य सभा में स्थान दे दिया जाता है, ऐसी बात कभी कभी होती है । जब बहुत आवश्यक हो, तभी ऐसे लोगों को राज्य सभा का सदस्य बनाया जाना चाहिये, ताकि हम उनके अनुभव का लाभ उठा सके।

श्री सोमनाथ चतर्जी (बर्दवान) : हम इस संकल्प का इस रूप में समर्थन नहीं कर सकते जिस रूप में इसे पेश किया गया है । यदि इस संकल्प में राज्य सभा के गठन में सुधार और परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये होते, तो हम उस संकल्प का समर्थन करते। इस देश में राज्य सभा का संवैधानिक महत्व है । हमें इस मामले पर किसी राजनीतिक दल के विचारों की दृष्टि से नहीं सोचना है । संविधान में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है । इसका अर्थ यह है कि हमार पूर्वजों नें इस देश के लिये संघीय संविधान बनाया है । विश्व में जहां भी संघीय संविधान बनाया गया है, वहां दो सदनों वाले विधान मंडल की व्यवस्था है । यह आवश्यक भी है क्योंकि जनता के अलावा देश के लिये कानून बनाने में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये। हमने भारत-संघ में सम्मिलित होने के लिये जो सहमति दी, वह भारत संघ के उत्थान के लिये ही नहीं अपितु संघ बनाने वाले सभी राज्यों के उत्थान के लिये भी है ।

अत: राज्यों को महसूस होना चाहिये कि वे एक संघ से सम्बद्ध है और राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, राज्य सभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। यदि इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता तो हम निश्चय ही उसका समर्थन करते।

यह आरोप लगाया गया है कि अप्रत्यक्ष चुनावों के कारण विधान सभाओं के कुछ सदस्यों के वोटों को खरीद लिया जाता है और इस प्रकार हारे हुए राजनीतिज्ञ इस सदन के लिये चुन लिए जाते है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उपरोक्त कदाचार को ध्यान में रख कर हमें राज्य सभा के लिये भी प्रत्यक्ष चुनाव करवाने चाहिये।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARY *in the chair*]

हमारा विचार यह है कि जहां तक कानून के पुनरीक्षण की शक्तियों का सम्बन्ध है इसको लोक सभा की शक्तियों के साथ समन्वित कर देना चाहिये। राज्य सभा के महत्व का पता संविधान के अनुच्छेद 249 से चलता है । उसमें लिखा है कि यदि राज्य सभा निर्णय करती है कि अमुक विषय के बारे में संसद कानून बना सकती है, जो निश्चय ही राज्य के अधिकार क्षेत्र आता में है, तो उस कानून के बारे में इस सभा में चर्चा की जा सकती है । अब प्रश्न यही है कि संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार की शक्ति राज्य सभा को क्यों दी। इसका कारण यह है कि संविधान देश के संघीय ढांचे को मान्यता दी है । संघ बनाने वाले सभी एककों का यह महसूस करना चाहिये कि उनको राष्ट्रीय विधान मंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। हाऊस आफ लार्डस् को छोडकर विश्व के अन्य भागों में उपरी सदन के लिये सीधे चुनाव करवाये जाते है ।

हमें इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि राज्य सभा के गठन या राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व के कारण राज्य सभा के कार्यकरण में पाये गये दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है ? और किस प्रकार एक अच्छा और अधिक समन्वित संविधान बनाया जा सकता है जिससे सभी राज्य राज्य सभा की कार्यवाही में समान रूप से भाग ले सकें । इस समय एक राज्य के केवल पांच सदस्य है और दुसरे राज्य के 30 या 40 सदस्य है, इसके क्या कारण है ? अत: मेरा सूझाव यह है कि प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिये और सदस्य को राज्य में से चुना जाना चाहिये अत: हमें इस दोष को दूर करना चाहिए और राज्य सभा को इस देश में उचित संघीय ढांचे का प्रतीक बनाना चाहिये और इस देश में संघीय ढांचे को क्रियान्वित करने का साधन बनाना चाहिये ।

श्री डी० एन० तिवारी : (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं अपने पूर्ववर्ती वक्ता से एक बात में सहमत हूं कि हमारे देश का संघीय ढांचे के अनुरूप यहाँ दूसरा सदन होना आवश्यक है।

[श्री डी० एन० तिवारी]

विधान सभा को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार इसलिए दिया गया है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनैतिक पार्टियां सत्तारूढ़ होती हैं और राज्य सभा में वे पार्टियां अपने प्रतिनिधि भेज सकती हैं। अगर चुनाव का अन्य कोई तरीका अपनाया जाता तो उस पार्टि को यहाँ राज्य सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। मैं अपने मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि वे गांधीजी के नाम को इस प्रकार के मामलों में न घसीटें। हम गांधीजी के बहुत से सिद्धान्तों को नहीं अपना रहे है। जब संविधान पारित किया गया, तब पं० जवाहरलाल नेहरू सर्वे सर्वा थे। वह उस समय जो चाहते, कर सकते थे, परन्तु उन्होंने दूसरे सदन को बनाना ही उचित समझा। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी राज्य सभा को समाप्त करने की बात नहीं सोची, इसलिए पं० नेहरू का सन्दर्भ देना उचित नहीं ।

राज्य सभा समाप्त करने के उन्होंने तीन चार कारण बताये है। एक तो खर्च, दूसरा दोनों सदनों के बीच मतभेद और तीसरा इसका अनुपयोगी होना। राज्य सभा पर एक करोड़ रुपया खर्च आता है, यह कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं । गण्डक परियोजना की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये की, जो अब बढ़कर 152 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए खर्च का कोई आधार नहीं बनता। अगर यह सदन बेकार है, तो इसे समाप्त किया जा सकता है।

हम विधेयक पारित करके राज्य सभा को भेज देते हैं और कुछ संशोधनों के साथ राज्य सभा हमें वे वापस कर देती है। हम उन्हें तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। केवल दहेज विधेयक के बारे में लोक-सभा और राज्य सभा के बीच मतभेद हुआ था। दो सदन होने से एक सदन दूसरे सदन की गलतियों की ओर संकेत कर सकता है।

दूसरे सदन को बनाने का आशय राज्यों को प्रतिनिधित्व देना था। संघीय ढ़ाँचे के अन्तर्गत राज्यों को अपने प्रतिनिधि भेजने होते हैं, जो उनकी ओर से बोलते हैं। हम सब विभिन्न राज्यों से चुने गये हैं, परन्तु हम राज्यों के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। राज्य सभा सदस्यों को राज्य सरकारों का दृष्टिकोण यहाँ रखना होता है, जब कि हमारे विचार निष्पक्ष होते हैं।

पं० मिश्र ने एक उदाहरण का उल्लेख किया कि राज्य सभा द्वारा एक प्रगतिशील विधेयक को पारित होने से रोक दिया गया। यह विधेयक तो अपने को प्रगतिशील कहने वाली एक पार्टी काँग्रेस (संगठन) के विरोध के कारण पारित नहीं हो सका था। यह राज्य सभा पर नही पार्टियों पर निर्भर करता है कि वे कैसी विचारधारा का अनुसरण करती हैं।

राज्य सभा तो विधेयकों पर पुनर्विचार करने के लिए है। अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को राज्य सभा में भेजा जाना चाहिए। प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है । कांग्रेस पार्टी में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। साधारण सदस्य डेलीगेट चुनते है और डेलीगेट अखिल भारतीय काँग्रेस पार्टी के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसलिए विधान सभा सदस्य राज्य सभा सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। हममें से कोई भ्रष्टाचारी हो सकता है; परन्तु यह कहने का कोई आधार नहीं कि विधान सभा सदस्यों को खरीद लिया जाता, और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इन शब्दों के साथ मैं श्री विभूति मिश्र के संकल्प का विरोध करता हूँ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री विभूति मिश्र के संकल्प का पूर्णतया विरोध करता हूँ। अगर इस संकल्प की भावना को कार्यरूप देना था, तो इसे संविधान (संशोधन) विधेयक के रूप में पेश किया जाना चाहिये था और दो तिहाई बहुमत से यहाँ पारित किया जाना चाहिए था। उसके बाद राज्य सभा में इसका पास होना मुश्कील था। इस संकल्प पर एक ऊँचे स्तरपर चर्चा हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानने का इच्छुक है कि संघ का प्रशासन कैसे चलाया जाय?

यह कहा गया कि अगर एक सदन होगा, तो निर्णय शीघ्रतापूर्वक लिये जा सकेंगे और खर्च में भी कमी आयेगी । परन्तु प्रजातंत्र की कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी। हिटलर कहा करता था कि इंग्लैंड के 500 सदस्य जो निर्णय पाँच दिन में लेंगे, वह निर्णय मैं केवल एक घंटे में ले सकता हूँ। यह तर्क भी दिया जा सकता है कि लोक-सभा के 522 सदस्य जो काम करते हैं, वह काम केवल 50 मंत्री कर सकते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति ही सारे देश का शासन चलाने के लिए पर्याप्त होगा।

श्री विभूति मिश्र ने कहा कि राज्य सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता है अत: उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाईश होती है। एक सदस्य ने कहा कि अगर कोई सदस्य पांच लाख रु० खर्च कर सके, तो वह राज्य सभा का सदस्य बन सकता है। लोक-सभा के उप चुनावों पर 15, 17 अथवा 20 लाख रुपये तक खर्च किये जाते हैं। भ्रष्टाचार की गुंजाईश तो सभी प्रकार के चुनावों में होती है। पाँच हजार करोड़ रु० के राजस्व में एक करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है। अन्य देशों के संसद सदस्यों की तरह यहाँ के संसद सदस्यों को सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; परन्तु हमें 51 रु० प्रति दिन भत्ता मिलता है। जबकि देशमे प्रतिव्यक्ति आज केवल 37 रु० प्रति माह है। क्या हम लोक-सभा को भी भंग कर दें?

मई 1953 में पं० नेहरू ने कहा था कि दोनों सदन मिलकर संसद बनते हैं और कुछ वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में दोनों सदन बराबर हैं। वित्तीय मामलों में लोक-सभा को विशेषाधिकार प्राप्त है।

संविधान में राज्य सभा के लिए "काउन्सिल आफ स्टेट्स" शब्द था। अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और ब्रिटन में "हाउस आफ लार्ड्स" कहते हैं। राज्य सभा देश का एक ऐसा सर्वोच्च विधायिका फोरम है, जिसमें संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व मिलता है। राज्य सभा को समाप्त करने का अर्थ संघीय ढांचे को ही नष्ट करना है।

ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से संघात्मक सरकार के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। अगर आप दूसरे सदन को बेकार समझते हैं, तो यही तर्क राज्य विधान मण्डलों के बारे में भी दिया जा सकता है। हम राज्य विधान मण्डलों को समाप्त करके अधिक पैसा बचा सकते हैं और केवल केन्द्र में एक एकक रख सकते ह। इसलिए प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए केवल विविधता बनाये रखना ही आवश्यक नहीं है, उनका सम्मान करना भी आवश्यक हैं।

द्रमुक पार्टी देश के संघीय ढाँचे पर विश्वास रखती है। हम केन्द्र को कमजोर नहीं करना चाहते, परन्तु हम राज्यों को अधिक अधिकार देने के पक्ष में हैं। राज्य जिन मामलों में कार्य-वाही कर सकते हैं, वें विषय केन्द्र को सौंपकर हम उस पर और अधिक भार डालने के पक्ष में नहीं हैं। जब हम राज्यों को और अधिक अधिकार देने की माँग करते हैं, तो हम सहयोग की भावना से करते है, संघर्ष के विचार से नहीं। जब सभी राज्य मजबूत होंगे तो केन्द्र भी मजबूत होगा।

संघीय ढाँचे के अन्तर्गत सभी राज्यों को अपना खर्च पूरा करने के लिए उनके पास संसाधन होने चाहिएं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के इस सुझाव का पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि राज्य सभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में सीनेट के अन्दर सभी राज्यों को प्राप्त है।

राज्य सभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और अगर उसे समाप्त कर दिया गया, तो इससे देश के संघीय ढाँचे पर चोट पहुँचेगी। इसलिए मैं मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि देश के संघीय ढाँचे को बनाये रखने के लिए सहयोग करें ताकि भारत को शक्तिशाली बनाया जा सके।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसीरहाट) : इस चर्चा में दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चेटर्जी, जो मार्कसिस्ट है, के रचनात्मक सुझाव वाले भाषण को सुनकर मैं बहुत चकित हुआ। राज्य सभा में हर राज्य के सदस्यों की संख्या मे अंतर है ।

दूसरे सदन की उपयोगिता के बारे में सबने चर्चा की है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई कानून पास करता है तो दूसरा सदन इस कानून पर ध्यान और शांत से विचार करेगा। दूसरे सदन की उपयोगिता यही है।

संविधान के अनुसार राज्य सभा एक सतत निकाय है। लोक-सभा किसी अवसर पर भंग हो सकती है। इस लिये देश में एक सतत निकाय का रहना जरुरी है।

राज्य सभा के लिये सीधे चुनाव का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि राज्य सभा के सदस्य भी यही चाहेंगे कि राज्य सभा को लोक-साभा के बराबर समझा जाये जिसके फलस्वरुप इन दोनों सदनों के बीच किसी मामले पर टकराव हो सकता है। मैं श्री विभूति मिश्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

Shri R. R. Sharma (Bauda) : Our constitution is that of federal structure. This is a constitutional issue and we have to consider the provisions of the constitution thoroughly in order to arrive at a difinite conclusion. The constitution has provided for the nomination, to the Rajya Sabha, of learned persons in the field of literature, science, art and social service. The spirit in which this provision has been made is definitely commendable keeping in view the fact that it is not possible for a man who spent whole of his life in the development of art in any of the field, to contest and win the election.

The retention of Rajya Sabha is necessary to keep watch over the hasty actions of the Lok Sabha.

It seems that Shri Mishra has not given full thought to the resolution before bringing the same before the house.

It is not correct to say that Nehruji was not in favour of Rajya Sabha. In fact Nehruji was in favour of federal system of Government.

Expenditure being incurred on Rajya Sabha is not much keeping in view the larger interests of the country. I oppose this resolution.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

28 वाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का 28 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा आन्दोलन के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE AGITATION BY DOCTORS IN DELHI HOSPITALS,

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : चर्चा का विषय हम सब के लिये महत्वपूर्ण है। जिस हड़ताल की धमकी दी गयी है, उसका प्रभाव इस नगर के 5 प्रमुख अस्पतालों पर पड़ेगा। यह एक गम्भीर मामला है, जिस पर हमें संयम से विचार करना है।

कहा गया है कि डाक्टर लोग अच्छा वेतन लेते हैं और सम्पन्न परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये उनके लिये हड़ताल करना उचित नहीं। मेरे विचार में अधिक वेतन की मांग करने के लिये उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनकी हड़ताल से दस हज़ार रोगी प्रभावित होंगे।

डाक्टरों की कार्य समिति ने निर्णय किया है कि हड़ताल शुरू होने के तुरन्त बाद ही डाक्टर लोग आपस में चंदा एकत्र करके अस्पताल के पास ही बाहर रोगियों का एक समानान्तर विभाग खोलेंगे। इसके लिये डाक्टरों की कार्य समिति बधाई की पात्र है।

हमें इस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करना चाहिये। डाक्टरों की वतन सम्बन्धी मांग उचित है। ।कार्य समिति वेतनमानों के बारे में बातचीत करने और अंतरिम राहत स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। बात स्पष्ट है। सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि उन्हें पूरा डाक्टर माना जाये। इस बारे में नौकरशाही का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिये। इस सदन को मानवीय आधार पर डाक्टरों की मांगों पर विचार करना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह बात विचित्र है कि डाक्टरों को हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिये बाध्य किया गया है। उन्होंने यह निर्णय अचानक नहीं लिये। मंत्री महोदय, सचिव तथा महानिदेशक से बातचीत करने के बाद ही उन्होंने यह निर्णय लिया है। लेकिन इन सब से मिलने के बाद भी इन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मंत्री महोदय ने मांग संख्या 1 तथा 2 पर विचार करने का वचन दिया है। मांग संख्या 3, 4 तथा 5 की ओर भी स्वास्थ मंत्री को उचित ध्यान देना चाहिये। मांग संख्या 8 केबारे में मैं डाक्टरों से सहमत नहीं हूँ।

आखिर उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिये क्यों बाध्य किया गया?

सचिव उन्हें पूरे डाक्टर मानने के लिये तो सहमत हुए लेकिन उन्हें वेतनमान देने के लिये सहमत नही हुये। यह तर्क निराधार है।

स्वास्थ निदेशालय की नौकरशाही डाक्टरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। महानिदेशक कुछ डाक्टरों का पद लेते हैं और कुछ के विरुद्ध चलते हैं। आज सुबह आउटर लाबी में जब हम उनके बारे में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग रहे थे, तो वे एक सदस्य की इच्छा को संदेह से देख रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो सदस्य उनके बारे में बात कर रहे थे वे उनसे कुछ पक्षपात चाहते हैं——

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसके लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं।

श्री भागवत झा आजाद : इस अधिकारी को यह कहने का साहस हुआ कि सदस्य . . .

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : सदन में इस प्रकार की बात कहने के लिये विशेष प्रक्रिया है। इन्हें इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को देनी चाहिये। उसी के बाद ये इसकी चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : वह आदमी लाबी में कैसे आ सकता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री भागवत झा आजाद ने जो कुछ कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि इस प्रकार की निंदा का कोई आधार है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन अधिकारी इतर लाबी में नहीं था—वह शायद आउटर लाबी होकर गुज़र रहा था।

श्री भागवत झा आजाद : वह आउटर लाबी में खड़ा था। मंत्री महोदय इस आरोप से इन्कार करें। मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं इनसे प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध करूंगा। यह कोई तरीका नहीं है।

सभापति महोदय : जो कुछ भी हुआ कृपया लिख कर दें जिसे अध्यक्ष महोदय को भेज दिया जायेगा। वे इस पर निर्णय लेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिये और हमें डाक्टरों से कहना चाहिये कि वे कल से हड़ताल न करें।

***श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** (औसग्राम) : सभापति महोदय, हम आज एक गम्भीर मामले पर विचार कर रहे हैं क्योंकि कल से दिल्ली अस्पतालों के पांच हज़ार डाक्टर हड़ताल करने जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। डाक्टर रोगियों की चिकित्सा करके माननीय सेवा करते हैं। सरकार को इस समस्या का समाधान करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिये और इसे मर्यादा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। मंत्री महोदय के वक्तव्य से प्रतीत होता है कि उनका डाक्टरों की मांगों से मतभेद नहीं है। अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में महंगाई अधिक है यहां की दैनिक समस्याएं भी अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक पेचीदा हैं। क्या डाक्टरों को मकान देने सम्बन्धी आश्वासन पूरा किया जा चुका है? मैं और मेरा दल इस हड़ताल से बहुत चिंतित हैं क्योंकि इससे सारी राजधानी प्रभावित होगी। डाक्टरों की हड़ताल को मजदूरों की हड़ताल नहीं कहा जा सकता। इस मामले में बुद्धिजीवियों को हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिये बाध्य होना पड़ा। मंत्री महोदय को चाहियें कि वे डाक्टरोंको बातचीत द्वारा हड़ताल न करने के लिये राज़ी कर। मैं डाक्टरों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री बसंत साठे (अकोला) : डाक्टरों द्वारा हड़ताल का रास्ता अपनाने सम्बन्धी मामला बहुत ही चिंताजनक है, मंत्री महोदय मजदुर संघ के नेता रहे है मुझे आशा है की वे डाक्टरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है, जिससे डाक्टरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें इन डाक्टरों के प्रति सहानुभुतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। यदि हम उनकी मांगों पर गौर करें तो उन्होंने इन्टर्नशिप डाक्टरों के लिये जो 300 रुपये प्रतिमास की मांग की है वह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। 300 रुपये की अल्प राशि से वे किस प्रकार अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं?

हमें इन डाक्टरों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इन्टर्नों का जहां तक संबंध है यह उनकी शिक्षा का ही एक हिस्सा है उन्हें एम० बी० बी० एस० की डिग्री तब ही प्रदान की जाती है, जब वे इन्टर्नशिप पूरा कर लेते हैं। एक इन्टर्न डाक्टर दिन में पुरे 24 घंटे कार्य करता है और वह अस्पताल में एक पूर्णरूपेण डाक्टर के

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

रूप कार्य कर रहा है। इसलिये हमें उनके कार्य को देखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें अधिक वेतन दिया जाये।

हमारे देश में विशेषकर ग्राम्य क्षेत्रों में डाक्टरों की बहुत कमी है। ग्राम्य क्षेत्रों को भी अर्हताप्राप्त तथा पूर्णरूपेण अनुभव प्राप्त डाक्टरों की आवश्यकता है। सरकार इन डाक्टरों को 400 रुपये प्रतिमास तथा आवास के लिये मकान की व्यवस्था करके ग्राम्य क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजती है। यदि ये डाक्टर ग्राम्य क्षेत्रों में जाने से इन्कार करते हैं तो इससे वह लोगों की सहानुभूति खो देंगे।

मैं डाक्टरों से एक अपील करूंगा कि यदि उनके किसी रोगी के जीवन को खतरा होगा तो यह उनकी असफलता मानी जायगी। उन्हें हड़ताल संबंधी अपना यह निर्णय 15 दिनों के लिये स्थगित कर देना चाहिए। इस बीच मंत्री महोदय उनसे बात कर लेंगे तथा जो भी मत-भेद हैं, उन्हें दूर करके कोई सौहार्दपूर्ण समझोता कर ले।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : डाक्टरों ने कहा है कि सरकार देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी उचित ग्रेड तथा वेतनमान अथवा एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृत निर्णय के अनुसार अंतरिम सहायता देगी, हम उन्हें स्वीकार कर लेगें। श्रमिकों के अन्य वर्गों ने कहा है कि पिछले 25 वर्षों से सरकार मूल्यों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रही है और इसके लिये एकमात्र जिम्मेदार सरकार है। अत: वित्तीय संकट के बारे में लोग क्यों परवाह करे। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिये कि डाक्टरों ने वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया है। किन्तु मंत्रालय उनकी न्यायोचित मांगों को मानने के लिये तैयार नहीं है।

महा-निदेशक के बारे में ब त कुछ कहा गया है। मेरा स्वास्थ मंत्री से अनुरोध है कि वह महा-निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराये।

आज कार्यकारी संयुक्त समिति बातचीत द्वारा समझौता करने के लिये तैयार है। आशा है कि स्वास्थ मंत्री, श्री खाडिलकर, जो श्रम संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सिद्धहस्त माने जाते हैं, इस मामले में अवश्य कुछ करेंगे और कोई अन्तिम समाधान खोज निकालेंगे। इस बार यदि हड़ताल होती है, तो यह हड़ताल विभिन्न अस्पतालों में गम्भीर रूप से बीमार रोगियों के लिये खतरनाक सिद्ध होगी।

इन डाक्टरों को नौसिखिया माना जाना चाहिये न कि पूर्णरूपेण डाक्टर। लेकिन आज भी अस्पतालों में वही डाक्टर अधिकांश कार्य कर रहे हैं। उन्होंने डाक्टर बनने के लिये बहुत धन व्यय किया है। ये लोग देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन्तु उन्हें बहुत कम राशि दी जा रही है। मंत्री महोदय को उन्हें विचार-विमर्श के लिये बुलाना चाहिये और इस समस्या को सुलझा देना चाहिये। मंत्री महोदय की उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

मंत्री महोदय डाक्टरों से अपील करें कि वे हड़ताल न करें और 15 या 20 दिन के लिये इन्तजार करें। अस्पतालों तथा केंन्द्रीय सरकार स्वास्थ सेवा विभाग के कार्यकरण की जांच करनी चाहिये और सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिये, अन्यथा स्थिति बड़ी खराब होने जा रही और उसके लिये मंत्री महोदय को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I appeal to the hon. Minister to find a way out by means of discussion to avert this threatened strike. The report of the Karmarkar Committee was received in the year 1966, but no action

(Shri Jagannathrao Joshi)

was taken on its recommendations upto 1969. Today housing facilities for doctors are not adequate. When we want doctors to work for 18 hours a day we should provided them satisfactory accommodation.

A House Surgeon, doing his post-graduate studies, does the work of a full fledged doctor. He has got the degree also. To think that by giving some stipend to him you are doing some favour to him, is not a correct approval. Had they been properly treated and guided, this situation would not have arisen.

Those who are doing post graduate course in the All India Institute of Medical Sciences, get some non-practising allowance. This allowance should be given to usuh persons in other institutions also.

A doctor going in for higher studies after doing post-graduate course owes some responsibility to his family also. That aspect should also be taken into consideration.

The strike by the doctors would create a serious situation. The patient would suffer immensely. The Government should find a way out and try to meet the demands of the medicos.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैंने माननीय मंत्री महोदय, श्री खाडिलकर, को 28 मार्च को डाक्टरों के संबंध में एक पत्र लिखा था। मैं यह महसूस करता हूँ कि स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त रजिस्ट्रारों तथा हाउस सर्जनों और इन्टर्न डाक्टरों को सरकार जो पारिश्रमिक देती है वह अपर्याप्त है और वे समान अर्हता तथा ड्यूटी का स्वरूप और जिम्मेदारीयों वाले अन्य व्यवसायों को दिये जा रहे पारिश्रमिक से मेल नहीं खाती। डाक्टर की ड्यूटी समय-असमय पर होती है और सेवा की अत्यावश्यकता के समय उसे समयोपरि भी कार्य करना पड़ता है।

पांच अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के लगभग 4000 डाक्टरों ने एक अप्रैल से हड़ताल करने का निश्चय किया है और यदि हड़ताल हो जाती है तो बहुत से बहिरंग और अन्तरंग रोगियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अत : सरकार को इस हड़ताल को रोकने के लिये कुछ करना चाहिये।

श्री आर० के० खाडिलकर: सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और डाक्टरों और रोगियों के बारे में उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उनके साथ सहमत हूं।

मुख्य मामला यह है कि क्या हाउस सर्जनों, रजिस्ट्रारों, स्नातकोत्तरों आदि को, जब वे अस्पतालों में आगे अध्ययन करना चाहते हैं आरम्भ से ही सरकारी कर्मचारी माना जाए। मैं यहां पर एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। हम इन डाक्टरों की शिक्षा पर, सरकारी खर्चे से, लाखों रुपये व्यय कर रहे हैं। क्या हम उनके जीवन-निर्वाह के बारे में नहीं सोचते हैं।

हमें इस विषय पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करना है। इस समय हमारे देश में प्रति वर्ष 12,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं। जो व्यक्ति हाउसमेन-शिप ले लेते हैं उन्हें कुछ विशेष प्रशिक्षण प्रारम्भ में देना होता है। अन्य डाक्टर बाहर जा सकते हैं तथा नौकरी ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस स्थिति में जब वे सेवा के दौरान प्रशिक्षण में होते हैं यह वास्तव में, उन्हें एक अवसर मिला हुआ है अर्थात् एक विशेषाधिकार दिया हुआ है, जिससे वे बेहतर अर्हता प्राप्त करके विशेषज्ञ के रूप में निकलते हैं। क्या यह वांछनीय है कि 12,000 लोगों में से कुछ लोगों को चुना जाये और उन्हें यह लाभ दिया जाये तथा उन्हें पूर्ण रूप से सरकारी सेवा में बनाया जाये। क्या यह व्यवहार्य है ?

कुछ लोगों को आगे प्रशिक्षण पाने के लिये अवसर मिलता है और स्नातकोत्तर डाक्टरों को कुछ विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इन लोगों की उच्च शिक्षा पर जब सरकार इतना खर्च कर रही है, तो क्या इसे सरकारी-सेवा के भुगतान के रूप में माना जाये अथवा क्या यह वजीफा है? इसका अभिप्राय उन्हें सहायता देना है ताकि वे न केवल रोग विषयक क्षेत्र का गहन अध्ययन कर सकते हैं बल्कि अनुसंधान के लिये भी कार्य कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार उनके वजीफे में थोड़ी वृद्धि करने पर विचार कर रही है, जोकि सराहनीय होगी।

हमारी पूरी सहानुभूति इन डाक्टरों के साथ-साथ इनके माता-पिता से है क्योंकि सरकार के अलावा वे ही इनकी शिक्षा में सहयोग और हाथ बंटाते हैं। चिकित्सा व्यवसाय हमारे समाज में सम्मानजनक व्यवसाय माना जाता है। क्या ऐसे सम्मानजनक व्यवसाय में डाक्टरों को हड़ताल करनी चाहिये जब कि अधिकारी, वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, उनके साथ प्रत्येक विषय पर विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हैं? इन्टर्नी, हाउस सर्जन, रजिस्ट्रार और स्नातकोत्तर डाक्टरों की कुल संख्या 1886 है। मैं यह भी मानता हूँ कि हाउस सर्जन अपनी सेवा का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं और अस्पतालों को चलाने में उनका मुख्य हाथ है।

अधिकारी उनसे मिल चुके हैं और यह आशा की जाती है कि वे इस पर पुनः विचार करेंगे। यदि वे चाहते हैं, तो वजीफे के प्रश्न को छोड़कर हम अन्य बातों पर विचार करने को तैयार हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये मैं चिकित्सा व्यवसाय के स्वतंत्र लोगों से यह कहने के लिये तत्पर हूँ कि इस स्थिति में बिना किसी वित्तीय जटिलताओं के हम उनकी मांगों का कैसे समायोजन कर सकते हैं। चिकित्सा व्यवसाय में उच्च अध्ययन के लिये पूरे भारत में, हम 300 रुपये प्रतिमास वजीफे के रूप में देते हैं। ऐसा हम इसलिये कर रहे है जिससे हमारे देश में चिकित्सा व्यवसाय सर्वोच्च स्तर पर बना रहे। जब हमारे पास कुछ चयनात्मक तरीके हैं तो उन्हें इसे महसूस करना चाहिये और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये। यदि वे विकल्प के साथ बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। जब वे धमकी देते हैं, तो इस सभा का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह सर्वसम्मति से उन्हें हड़ताल न करने के लिये कहे। हम विकल्पों पर विचार-विमर्श करेंगे कि हम इस समस्या पर पुनः किस प्रकार विचार कर सकते हैं।

हमें एक बात याद रखनी चाहिये कि इससे राज्यों में क्या प्रतिक्रिया होगी। कई राज्य कुछ भी नहीं दे रहे। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों में भी य प्रतिकियाएं हुई हैं। राज्य सरकारें सदैव केन्द्र को सतर्क करती रही है कि वह 'सतर्क रहें'। इस नगर में विशेष रूप से डाक्टरों को देश के अन्य स्थानों से अधिक अच्छा व्यवहार मिल रहा है। अतः इन डाक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिये और हमें आग की वार्ता के लिये दरवाजे खुले रखने चाहिये।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 2 अप्रैल, 1973/12 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 2, 1973/Chaitra 12, 1895 (Saka).

भा०स०मू०ना०—वि०2—7 एल० एस० एस० 73—11-7-73—490